खण्ड-222, अंक-3
बुधवार, 22 चैत्र, शक संवत् 1883
(12 अप्रैल, 1961 ई0)

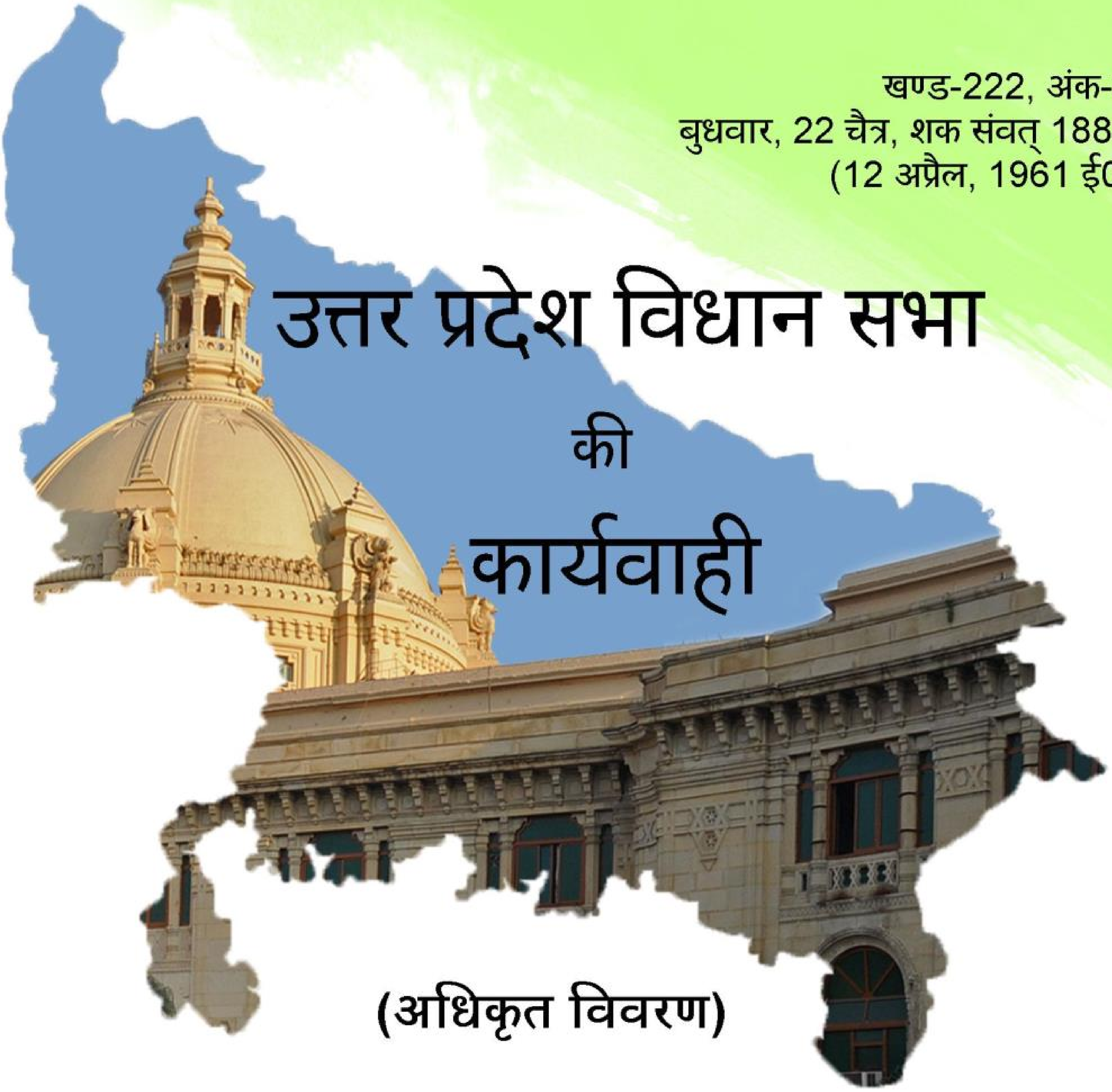

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 222 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १२ अप्रैल, १९६१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३२७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आत्माराम पाण्डेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री

गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापभानुप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजू राम, श्री

ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेश भूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पाण्डेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफजाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री

रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूर्मासिह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अंसारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेंद्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १२ अप्रैल, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

केसर शुगर मिल, बहेड़ी में हड़ताल

**१—श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली) (अनुपस्थित), श्री बाबूराम (जिला बरेली) तथा श्री मदनपांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या यह सही है कि केसर शुगर मिल, बहेड़ी (बरेली) में २९-३-६१ से हड़ताल हो गयी है जिसके फलस्वरूप मिल बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार हड़ताल का कारण बताने की कृपा करेगी ?

सूचना उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—वर्ष १९५१-५२ के बोनस के भुगतान के प्रश्न पर इस मिल के श्रमिकों ने २८ मार्च, १९६१ की रात्रि के ११ बजे से हड़ताल कर दी थी और अब इस मिल ने २ अप्रैल, १९६१ के ९।। बजे प्रातः काल से पेराई आरम्भ कर दी है।

**२—श्री नत्थूसिंह (अनुपस्थित), श्री बाबूराम तथा श्री मदनपांडेय—क्या यह सही है कि किसानों की सैकड़ों गाड़ियां गन्ने से भरी उपर्युक्त मिल के फाटक पर खड़ी हैं और गन्ना सूख रहा है?

श्री रऊफ जाफरी—जी नहीं ।

श्री बाबूराम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन मांगों को लेकर यह हड़ताल की गयी थी वे उचित थीं या अनुचित थीं ? क्या सरकार ने इसकी जांच करायी है ?

श्री रऊफ जाफरी—कुल २५ मांगें थीं जिनमें से २४ समझौते से तय हो गयीं । बोनस के सवाल के बारे में मुकदमा हाई कोर्ट में है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यह जो ५१-५२ के बोनस के बारे में मुकदमा चल रहा है या हाई कोर्ट को रेफर हुआ है उसमें केवल बोनस वाला मामला है, वह लेबर कमीशन का फैसला था, उसको बहाली दी गयी थी और अब अन्य मामलों के संबंध में हाई कोर्ट को रेफर हुआ है ?

श्री रऊफ जाफरी—मान्यवर, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है । जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है, मेरे पास सूचना सिर्फ मिल के बन्द होने, गन्ने के पेरने और उनकी मांगों के बारे में है। हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, उसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस वक्त हड़ताल खत्म होने के बाद, विधिवत् काल आफ कर लिये जाने के बाद भी, मिल मालिकों ने १०० मजदूरों के ऊपर उनको विक्टिमाइज करने के लिये, चार्जशीट लगा दी है?

श्री रऊफ जाफरी—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे—उन्होंने कहा है कि २५ मांगों में से २४ के बारे में समझौता हो गया है लेकिन बोनस वाली मांग के बारे में हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, इसलिये उसका फैसला नहीं हुआ है—कि क्या उनको निश्चित रूप से मालूम है कि बोनस वाला मामला हाई कोर्ट में है या किसी दूसरी चीज का है ?

श्री रऊफ जाफरी—मेरे पास जो सूचना थी, वह मैंने अर्ज कर दी ।

श्री बाबूराम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या मिलमालिकों ने इस बात की सूचना किसानों को दे दी थी कि २८ तारीख को मिल बन्द होने वाली है, इसलिये वे अपना गन्ना फैक्टरी पर न लायें ?

श्री रऊफ जाफरी—यह सूचना दे दी गयी थी लेकिन २८ तारीख को २९४ गाड़ियां और १६ ट्रक आ गयी थीं। मगर बाद को सूचना दे दी गयी थी कि बाद की पर्चियों वाले गाड़ियाँ न लायें। ३१ की पर्चियां रोक ली गयी थीं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस स्ट्राइक के सिलसिले में कुछ लोग पकड़े गये थे ? यदि हां, तो वे किस पार्टी से संबंधित थे ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां, ५ आदमी गिरफ्तार हुए थे। इस मिल में दो यूनियन्स हैं एक आई० एन० टी० यू० सी० की तथा दूसरी कम्युनिस्ट कन्ट्रोल्ड। यह हड़ताल कम्युनिस्ट कन्ट्रोल्ड यूनियन की तरफ से करायी गयी थी। आई० एन० टी० यू० सी० वाले हड़ताल नहीं चाहते थे, काम करने जा रहे थे। दूसरे यूनियन वाले रास्ता रोके खड़े थे, जाने नहीं देते थे। इसलिये मजदूरों को पुलिस का प्रोटेक्शन लेना पड़ा और पहली से वहां दफा १४४ लगा दी गयी।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट की धारा ६-एस के मुताबिक बाकायदा नोटिस देने के बाद यह हड़ताल की गयी थी और इस प्रकार कानूनी हड़ताल होने पर भी वहां मजदूरों को विक्टिमाइज करने के लिये १०० से ज्यादा लोगों को नोटिस दे दिया गया है?

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में उन्होंने कह दिया कि उनके पास सूचना नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह सही है कि इस मामले के हाई कोर्ट जाने से पूर्व बोनस को दिलाये जाने की बाबत मजदूरों ने दरख्वास्त सरकार के पास भेजी थी ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या ऐक्शन लिया ?

श्री रऊफ जाफरी—मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसके मुताल्लिक नोटिस की जरूरत है। हो सकता है बोनस के मामले में उन्होंने सरकार को कोई प्रार्थना-पत्र दिया हो लेकिन तय न होने की वजह से ही वह मामला हाई कोर्ट को भेजा गया हो।

ग्राम प्रधानों का अन्तरिम जिला परिषदों के लिए चुनाव

****३—श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि अन्तरिम जिला परिषदों में गत पंचायतों के ग्राम चुनावों में नव-निर्वाचित ग्राम प्रधानों के प्रतिनिधियों के चुनाव किस माह की किस तिथि तक सम्पन्न कराने का विचार सरकार का है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—उक्त चुनाव की तिथियां अभी निश्चित नहीं हुई हैं किन्तु यह चुनाव मई के दूसरे सप्ताह के बाद होगा।

शारदा कैनाल डिवीजन, लखनऊ के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा हरिजन वरकन्दाज को पीटे जाने की शिकायत

****४—श्री रामेश्वर प्रसाद** (जिला रायबरेली) तथा **श्री खयालीराम** (जिला लखनऊ)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शारदा कैनाल, लखनऊ डिवीजन के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के विरुद्ध जनवरी सन् १९६१ में हरिजन वरकन्दाजों ने उनको मारपीट करके निकाल देने के विषय की दरख्वास्त सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर व चीफ इंजीनियर, नहर विभाग लखनऊ को दी है ?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—राम औतार नामक एक हरिजन वरकन्दाज ने जनवरी, १९६१ में सुपरिन्टेन्डिग इंजीनियर को एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, लखनऊ, द्वारा मारे पीटे जाने के संबंध में एक प्रार्थना-पत्र दिया था।

****५—श्री रामेश्वर प्रसाद तथा श्री खयालीराम**—यदि हां, तो इस मामले में क्या हो रहा है ?

श्री राममूर्ति—जांच करने पर विदित हुआ कि उक्त प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप निराधार थे।

श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और उसमें कौन-कौन गवाह पेश हुए ?

श्री राममूर्ति—उपरोक्त जांच सुपरिंटेंडिग इंजीनियर ६ ठी सर्किल ने की और मेरे पास जो कागजात हैं उनमें गवाहों के नाम तो नहीं लिखे हैं।

श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन्हीं इंजीनियर ने उक्त वरकंदाज को दो तीन दफा मारा था और यह कह कर कि तुम नीच चमार हो, तुम्हारे हाथ का पानी पीने वाला भी नहीं है, उसको अन्त में २३ तारीख को मारा जिसकी रिपोर्ट २४ तारीख को उसने कोतवाली, लखनऊ में की है ?

श्री राममूर्ति—मान्यवर, मेरे पास जो कागज में खबर आयी है वह तो यह है कि एक मर्तबा पहले वह वरकंदाज बगैर छुट्टी लिये हुए घर भाग गया और फिर वहां के और लोगों के साथ भी उसका बर्ताव अच्छा नहीं था। चूंकि वह टेम्पोरेरी नौकर था इसलिये उसको एक महीने की नोटिस दे दी गयी कि उसे नौकरी से अलाहदा कर दिया जायगा। नोटिस पर जब एक वरकंदाज दस्तखत कराने गया तो उस पर वह दस्तखत नहीं कर रहा था और उससे भी वह उलझ गया। फिर डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर के डांटने पर और यह कहने पर कि तुम टेम्पोरेरी सर्विस में हो, दस्तखत क्यों नहीं कर देते, उसने दस्तखत करके नोटिस को ले लिया और फिर उसकी नौकरी खतम हो गयी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मामले में कोई डाक्टरी सर्टिफिकेट भी पेश हुई है और यदि हुई है तो उसमें कौन-कौन चोटें लिखी हैं ?

श्री अध्यक्ष—पुलिस के बारे में तो उन्होंने कबूल नहीं किया है।

श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके कथनानुसार यदि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मारा नहीं बल्कि डांटा, तो डांटने में उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया ?

श्री राममूर्ति—सरकारी नौकर जिस तरह कायदे के मुताबिक अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं डांटने फटकारने में, वही उन्होंने किया होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस वरकंदाज ने सिर्फ यह शिकायत ही की थी या पुलिस में भी कोई रिपोर्ट की ? और यदि पुलिस में रिपोर्ट की, तो वह क्या है ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास तो शिकायत की ही बात है, पुलिस रिपोर्ट की कोई चर्चा इसमें नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट कंडक्ट रूल्स के मातहत कोई आफिसर अपने अधीनस्थ कर्मचारी को डांट नहीं सकता है, केवल सलाह ही दे सकता है ?

श्री अध्यक्ष—रूल्स तो आपको मालूम ही हैं ।

श्री रामेश्वरप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उक्त इंजीनियर ने करीब तीन व्यक्तियों को इसी तरह से मार-मार कर निकाल दिया है और एक ब्राह्मण अजय नारायण को मुर्गा न बनाने के कारण उन्होंने निकाल दिया था ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास तो ऐसी कोई इत्तिला नहीं है कि वह मुर्गा खाते हैं या सब्जी खाने वाले हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—जब २ आदमियों के सामने पीटा गया और बयान लिया गया और उन्होंने कहा कि मारा गया है, तो उसके बाद भी यह रिपोर्ट आई कि वह निराधार है, यह कैसे ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास तो ऐसी कोई इत्तिला नहीं है, मेरे पास तो यही इत्तिला है कि बयानात लिये गये और उससे कहा गया कि इस पर दस्तखत कर दो । इस पर वह भाग गया और दस्तखत नहीं किये, दस्तखत करने से इन्कार किया और इसी पर उसने लोगों से झगड़ा भी किया ।

चीनी पर से नियंत्रण हटाने की मांग

**६—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या यह सही है कि हाल ही में भारत सरकार ने राज्य के अन्तर्गत खुले रूप से बाजारों में बिक्री के लिये चीनी देने का निश्चय किया है ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—जी नहीं । राज्य सरकार के पास ऐसे कोई आदेश नहीं आये ।

**७—श्री राम दुलारे मिश्र—यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री प्रदेश में चीनी बिक्री के नियंत्रण के हटाने पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इस सम्बन्ध म केन्द्रीय खाद्य मंत्री तथा यहां के राज्य मंत्री से कोई परामर्श हुआ है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, थोड़ी बहुत बातें हुई हैं ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की जानकारी है कि चीनी मिल मालिक असोसियेशन ने एक प्रस्ताव पास किया है कि हमारे यहां चीनी के स्टाक्स अधिक हो गये हैं और अगर वह स्टाक साफ नहीं हुये तो हम आगे चीनी नहीं बनायेंगे ?

श्री धर्मसिंह—इस प्रकार की सूचना सरकार को प्राप्त हुई थी कि चीनी के स्टाक काफी हो गये हैं और उनका कोई प्रबन्ध किया जाय ।

श्री राजनारायण—जब समाचार-पत्रों द्वारा मिल मालिकों के इस प्रस्ताव की जानकारी सरकार को हुई तो क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में कोई लिखा-पढ़ी की ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये सरकार ने कदम उठाये हैं कि चीनी की किस तरह से खपत की जाय ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—यह चीनी का नियंत्रण उस समय किया गया था जब उसका उत्पादन कम था। लेकिन पिछले साल रिकार्ड उत्पादन चीनी का हुआ है और स्टाकों के जमा हो जाने से काफी संकट दिखाई दे रहा है, तो इस कंट्रोल को जारी रखने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—चीनी पर जो भी कन्ट्रोल है वह भारत सरकार का है और यह चीज उन्हीं पर निर्भर है कि वह हटायें या न हटायें, यह प्रादेशिक सरकार का अधिकार नहीं है ।

श्री रामदुलारे मिश्र—सरकार चीनी की खपत के लिये जो कदम उठा रही है वह कदम क्या हैं ?

श्री धर्मसिंह—सरकार ने २–३ कदम उठाये हैं । एक तो यह है कि जब चीनी का स्टाक जिलों में बहुत अधिक जमा हो गया और बिक्रेताओं ने कोटा नहीं उठाया तो राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया कि एक महीने से अधिक समय से जमा हुई चीनी को जो कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों तथा व्यापारिक संस्थाओं से उपरोक्त अवधि के अन्दर न उठाई गई हो उसे खुले बाजार में बेचने के लिये दे दिया जाय। और इस के बाद भी जब कुछ समस्या का समाधान न हुआ तो सरकार ने दूसरी आज्ञा निकाली कि नये कोटे के जिले में आते ही ५० प्रतिशत फ्री सेल के लिये दे दिया जाय और बाकी ५० प्रतिशत सस्ते गल्ले की दुकानों तथा व्यापारिक संस्थाओं के वितरण के लिये रखा जाय । बशर्ते कि जिलाधीश को इस का पूर्व सन्तोष हो जाय कि बचा हुआ कोटा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों और व्यापारिक संस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नये कोटे के जिले में पहुंचने तक कर सके ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि चीनी मिल मालिकों के प्रस्ताव में यह बात भी कही गई है कि अगर हमारे चीनी के स्टाक को खपाने के लिये कोई एफेक्टिव कदम न उठाया गया तो हम गन्ना उत्पादकों को गन्ने का रुपया न दे सकेंगे ?

श्री धर्मसिंह—यह तो डिटेल की बात है, इस तरह की सूचना मेरे पास नहीं है ।

गन्ने के मूल्य का निर्धारण

**८—श्री मदन पांडेय—क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार ने आगामी सीजन १९६१–६२ के लिये गन्ने का न्यूनम मूल्य १·६२ नये पैसे निर्धारित किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उक्त मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार (राज्य सरकार) ने भी कोई सिफारिश की थी ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां, समाचार-पत्रों से ऐसा ही विदित हुआ है । १९६१–६२ सीजन के लिये उत्तर प्रदेश बिहार संयुक्त गन्ना बोर्ड ने गन्ने का मूल्य गेट के लिये १.७५ रु० तथा रेल सेन्टर्स के लिये १.६२ रु० प्रति मन की दर से नियत किये जाने के लिये सिफारिश की थी। इस सिफारिश से राज्य सरकार सहमत थी और उसने यही सिफारिश केन्द्रीय सरकार से की थी।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो सिफारिश १ रु० १० आना मन और १ रु० १२ आना मन की इस सरकार की ओर से की गई थी उसके उत्तर में केन्द्रीय सरकार की तरफ से क्या आधार बताया गया जिसके कारण यह सिफारिश नहीं मंजूर की जा सकी ?

श्री रऊफ जाफरी—केन्द्रीय सरकार ने यह वजह बताई कि इस वक्त जो १.६२ नये पैसे और १.५० नये पैसे प्रति मन गन्ने के दाम हैं बावजूद इस दाम के गन्ने की खेती बढ़ती जा रही है, यानी एकरेज बढ़ रहा है । १९.१७ लाख एकड़ से बढ़कर २३ लाख एकड़ से कुछ ऊपर ही हो गया है । तो इससे यह पता चलता है कि काश्तकारों को इसमें मुनाफा है । दूसरे यह भी बात थी कि अगर दाम बढ़ा दिये गये तो गन्ने की खेती और बढ़ जायेगी जो कि ओवर आल इकोनोमी की पिक्चर में ठीक फिट नहीं होता ।

श्री गेंदासिंह—अब जब इस विधान सभा ने और सरकार ने सर्वसम्मति से निश्चय किया है कि १ रुपये १२ आना मन गन्ने की कीमत मिलनी चाहिये किसान को तो उसको दिलाने के लिये सरकार क्या बन्दोबस्त करने जा रही है ?

श्री रऊफ जाफरी—जैसा मैंने अर्ज किया सरकार ने तो सिफारिश की थी कि १ रुपये १२ आना मन मिले । लेकिन जो मैंने अभी कहा था वह केन्द्रीय सरकार की वजह बताई थी, इस प्रदेश की सरकार की वजह नहीं थी । केन्द्रीय सरकार ने इस प्रदेश की सरकार की सिफारिश को नहीं माना । जो वजह उन्होंने बताई वह मैंने बता दी ।

जैसा माननीय सदस्य कहते हैं कि दक्षिण की मिलें कुछ ज्यादा दाम दे रही हैं मगर उसमें यह बात है कि जब डेफर्ड पेमेन्ट का हिसाब होगा तो ज्यादा रकम उसमें एडजस्ट हो जायेगी । और यह भी सही है कि दक्षिण में खेती बहुत बढ़ गई है । लेकिन वहां कम थी पहले और चीनी मिलें काफी हो गईं इसलिये उनकी आवश्यकता के हिसाब से जो बढ़ोत्तरी हुई है वह ठीक हुई बनिस्बत इसके यहां जिस तरह से हो रही है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—मंत्री जी बतायेंगे कि गन्ने के मूल्य का निर्धारण बड़ा विवाद-ग्रस्त है और २, ३ साल से बराबर चल रहा है ? पिछली दफा मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि टैरिफ बोर्ड से परामर्श करके साइंटिफिक ढंग से गन्ने का मूल्य निर्धारण करेंगे । तो मंत्री जी को मालूम है कि १ रुपये ६२ नये पैसे जो मूल्य निर्धारण किया गया है वह उसी आधार पर है या मनमाने ढंग से कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने उत्तर दे दिया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार दोबारा केन्द्रीय सरकार को इस बात के लिये लिखेगी कि जो सिफारिश इस सरकार ने की थी १ रुपये १२ आने मन की, उस पर पुनर्विचार किया जाय और अगले सीजन में वही दाम दिये जायं ?

श्री रऊफ जाफरी—अभी केन्द्रीय सरकार से कोई इत्तला ऐसी हमारे पास नहीं आई है कि उन्होंने १ रुपये ६२ नये पैसे और १ रुपये ५० नये पैसे गन्ने के दाम कर दिये हैं । सिर्फ अखबारों में आया है । जब वहां से कुछ लिख कर आयेगा तो सोचा जायगा और जो मुनासिब होगा वह किया जायगा ।

सहकारी चीनी मिलें खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र

**९—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रदेश के विभिन्न भागों में आठ सहकारी चीनी मिल खोलने के प्रादेशिक सरकार के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने किसी भी मिल के लिये लाइसेन्स देने से इनकार कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रऊफ जाफरी—तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में इस प्रदेश के विभिन्न भागों में सहकारी चीनी मिल खोलने के लिये लाइसेंस दिये जाने के वास्ते ८ प्रार्थना-पत्र केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन थे और उन्होंने केवल पीलीभीत जिले के मझोला नामक स्थान पर सहकारी चीनी मिल लगाने के लिये लाइसेन्स दे दिया है । अब केन्द्रीय सरकार ने देश में उत्पादन की अधिकता के कारण नई चीनी मिलों के लिये लाइसेन्स देना फिलहाल रोक दिया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि केन्द्रीय सरकार के पास इन ८ सहकारी चीनी मिलों को खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र कब दिये गये थे ?

श्री रऊफ जाफरी--तारीख मेरे पास नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या इन ८ सहकारी चीनी मिलों को लाइसेन्स दिये जाने की बात और बनाये जाने की बात को प्लानिंग कमीशन ने, नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल तथा सम्बन्धित भारत सरकार के विभाग ने मंजूर कर लिया था ? यदि हां, तो अब लाइसेन्स न दिये जाने की बात क्यों कही जा रही है ?

श्री रऊफ जाफरी--वर्किंग ग्रूप से तीन तो क्लीयर हो चुकी हैं, उनको लाइसेन्स नहीं दिया गया है और मझौला को तो लाइसेन्स भी दिया जा चुका है । लाइसेन्स देना दूसरी बात है । वह केवल मुल्तवी कर दिया गया है क्योंकि चीनी का उत्पादन बहुत बढ़ गया है, उसकी बिक्री का इन्तजाम नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--जिन फैक्टरीज को लाइसेन्स दिये गये हैं वे अब तक वर्क नहीं कर रही हैं । क्योंकि चीनी का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है इसीलिये आपने प्रतिबन्ध लगा दिया है कि वे वर्क न करने पावें ?

श्री रऊफ जाफरी--मझौला चीनी मिल को लाइसेन्स मिल चुका है और बकिया का लाइसेन्स मुल्तवी कर दिया गया है ।

श्री गेंदासिंह--भारत सरकार ने जो इंकार किया है लाइसेन्स देने से वह केवल इस प्रदेश को ही किया है लेकिन दक्षिण भारत में कई स्टेट्स को लाइसेन्स इस वक्त भी दिये जा रहे हैं ?

श्री रऊफ जाफरी--पहले कभी लाइसेन्स दिये गये हों वह दूसरी बात है लेकिन इस वक्त मेरी इत्तिला यह है कि सरकार ने तमाम जगहों में चीनी मिलों के लिये लाइसेन्स देना मुल्तवी कर दिया है, नामंजूर नहीं किया है ।

श्री गेंदासिंह--अपनी इत्तिला को सुधारने के लिये माननीय मंत्री फिर तकलीफ गवारा करेंगे कि भारत सरकार इस वक्त भी नये लाइसेन्स किसी न किसी बहाने दक्षिण भारत में मिल खोलने के लिये दे रही है ?

श्री रऊफ जाफरी--जानकारी बढ़ाने के लिये तो सरकार हमेशा ही तैयार रहती है, अगर कमी है तो उसे देखेगी ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित प्रश्न ।]

मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय के अस्थायी कर्मचारी

*१--**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में कौन-कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जो क्रमशः ३, ६, ९ या १२ वर्ष से अस्थायी तौर पर वहां कार्य कर रहे हैं ? उनको स्थायी न करने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह--मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय में विभिन्न श्रेणी के जो कर्मचारी ३, ६, ९ एवम् १२ वर्षों से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं उनकी सची† संलग्न है । चूंकि पर्याप्त स्थान स्थायी नहीं हैं, इस कारण उक्त कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया जा सकता है ।

---

†सूची छापी नहीं गई ।

*२—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता को इस बीच में वह राजाज्ञा भेजी गई थी जिसके अनुसार यह आदेश दिये गये थे कि फौरन दो-तिहाई कर्मचारी स्थायी कर दिये जायं व ३ वर्ष से ऊपर के पुराने कर्मचारियों को स्थायी किया जाय ? अगर हां, तो कब तथा उसको कार्यान्वित न करने का क्या कारण है और इसकी जिम्मेदारी किस पर है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां । फरवरी, १९६० में भेजी गई थी । उसके अनुसार मुख्य अभियन्ता ने कुछ पदों को स्थायी करने के प्रस्ताव भेजे थे जो सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट आर्डर ऐसा है कि तीन वर्ष से अधिक चलने वाले पदों पर दो तिहाई आदमी स्थायी कर दिये जायं ? यदि हां, तो वे क्लर्क्स जिनमें से १९ की ६ वर्ष से अधिक, ८ की ९ वर्ष से अधिक और १० की १२ वर्ष से अधिक सर्विस हो चुकी हैं और इसी तरह से चपरासियों में १ की ६ वर्ष से अधिक और ७ की ९ वर्ष से अधिक और ८ की १२ वर्ष से अधिक सर्विस हो चुकी है इनको स्थाई क्यों नहीं किया गया ?

श्री धर्मसिंह—इस प्रकार के सरकार के आदेश हैं कि जो परमानेन्ट डिपार्टमेन्ट हैं और उनमें जो परमानेन्ट वेकेन्सीज हैं उनमें से कुछ परसेंटेज परमानेन्ट कर दी जायं । जहां तक इन जगहों का सम्बन्ध है, ये तो टेम्पोरेरी वेकेन्सीज हैं जो परमानेन्ट नेचर की नहीं थीं । इसलिये उसमें थोड़ी देरी हो गई है । दूसरे मैं माननीय सदस्य को यह बतला देना आवश्यक समझता हूं कि जहां तक इस प्रकार के विभागों का सम्बन्ध है ये एक्सपैंडिंग डिपार्टमेन्ट्स हैं । आज प्लान में पैसा है, कल को नहीं है । तो किसी वजह से अगर पोस्ट को परमानेन्ट कर देते हैं और कल को पैसा नहीं होता है तो दिक्कत पड़ सकती है क्योंकि ये जो नियुक्तियां हुई थीं ये टेम्पोरेरी नेचर की थीं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वे क्लर्क और चपरासी जो १२ और ९ साल से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं अब उनको वह कब से परमानेन्ट करने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, वह तो कायदे के अनुसार करती ही है। लेकिन इसमें यही नहीं है कि आप किसी आदमी को परमानेन्ट कर दें, उसके जितने रूल्स और रेगुलेशन्स हैं फिर वे सभी बातें लागू होती हैं जिसमें बहुत सी दिक्कतें पैदा होती हैं । फिर भी फिनैन्स डिपार्टमेन्ट जब भी इजाजत देता है सरकार उस पर पूरे तरीके से अमल करती है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो लिपिक और चपरासी १२ वर्ष से ऊपर के हैं और परमानेन्ट नहीं किये गये हैं, तो इन लिपिकों और चपरासियों के अतिरिक्त ऊपर की श्रेणी के भी कोई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको १२ वर्ष ऊपर काम करते हो गये लेकिन अभी तक वे स्थायी नहीं किये गये हैं ?

श्री धर्मसिंह—वे ज्यादा नहीं हैं । जैसा कि प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया गया है, एक दो कैटेगरीज हैं ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग कर्मचारी यूनियन की मांगें

*३—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १८-१९ फरवरी, १९६१ को उत्तर प्रदेश पी० डब्ल्यू० डी० कर्मचारी यूनियन द्वारा पारित प्रस्तावों की सूचना उनको मिली है ?

श्री धर्मसिंह—इन पारित प्रस्तावों की तो कोई सूचना नहीं मिली है परन्तु इस यूनियन से दिनांक २२ फरवरी, १९६१ का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें इन कर्मचारियों की कुछ मांगों का जिक्र किया गया है लेकिन उसमें १८, १९ फरवरी, १९६१ को पारित हुये प्रस्तावों का कोई जिक्र नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह—जिस पत्र का हवाला माननीय मंत्री जी ने दिया है उसमें क्या यूनियन ने इस बात पर जोर दिया है कि जो लोग वर्क चार्ज पर काम करते हैं और १०, १५, २० साल हो गये हैं उनको परमानेन्ट किया जाय और इस बात को देखते हुए कि सरकार ने सन् ५७ में जो पी० डब्ल्यू० डी० रिआर्गेनाइजेशन कमेटी बिठायी थी उसने जो रिपोर्ट दी उसमें यह सिफारिश की है कि—

"In permanent departments all temporary posts which have been in existence for more than three years should be made permanent unless there are reasons to the contrary.

Where temporary departments have been in existence for several years and the need for making them permanent has been demonstrated, they should be made permanent as soon as possible."

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सरकार की बिठायी हुई कमेटी ने जो सिफारिश की उस पर आज तक उसने क्या ऐक्शन लिया ?

श्री अध्यक्ष—यह इससे पैदा नहीं होता है। आपने कर्मचारी यूनियन के पारित प्रस्ताव के बारे में पूछा है।

श्री प्रतापसिंह—मुझे अफसोस है कि आपने मेरा सवाल नहीं समझा। मैंने कहा कि जिस पत्र का हवाला माननीय मंत्री जी दे रहे हैं क्या उसमें यह कहा गया है कि उनको परमानेन्ट किया जाय ?

श्री अध्यक्ष—आपका सवाल यह है, "क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १८-१९ फरवरी, १९६१ को उत्तर प्रदेश पी० डब्ल्यू० डी० कर्मचारी यूनियन द्वारा पारित प्रस्तावों की सूचना उनको मिली है ?" तो इससे कैसे पैदा होता है ?

श्री प्रतापसिंह—उनके उत्तर से पैदा हुआ।

श्री अध्यक्ष—क्या उत्तर दिया ?

श्री प्रतापसिंह—उत्तर यह दिया कि कुछ मांगों का जिक्र किया है। मैंने उन्हीं मांगों का हवाला देते हुए कहा।

श्री अध्यक्ष—लेकिन उन्होंने कहा कि १८-१९ फरवरी का जो प्रस्ताव है उसका जिक्र कोई नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—मैं दूसरा प्रश्न किये देता हूं। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यूनियन की तरफ से उनके पास एक पत्र आया है उसमें किन-किन मांगों का जिक्र किया गया है ?

श्री धर्मसिंह—इसमें अनेक प्रकार की मांगें हैं जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कमेटी इत्यादि बिठाई थी वर्कचार्ज वगैरह के बारे में उसका क्या हुआ, वर्कशाप या रोडगेंग में जो काम कर रहे हैं उनके बारे में, इसके अलावा जो एक सूची है मेट और बेलदारों की उनके बारे में क्या हुआ, कुछ कर्मचारियों के वेतन में १३ रुपये की वृद्धि कर दी जाय, इसके बारे में और इसी इसी तरह की मांगें हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन मांगों में से किन्हीं पर विचार भी किया गया है? यदि हां, तो किस निर्णय पर पहुंचे हैं ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, कुछ पर तो विचार किया जा रहा है और इस सदन में जब पी० डब्ल्यू० डी० का बजट चल रहा था तो सरकार की तरफ से कुछ डिक्लरेशन्स भी किये गये और आश्वासन इत्यादि भी दिये गये हैं।

नवाबगंज के निकट वाली सड़क में अर्जित भूमि का लगान लेना

*४—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ-कानपुर रोड के अन्तर्गत उन्नाव जिले के ग्राम नवाबगंज के बाहर से जो रोड निकाली जा रही है उसका मुआवजा किसानों को दिया गया है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मसिंह—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—अभी तक अर्जित भूमि के प्रतिकर का अवार्ड घोषित नहीं हो पाया है।

*५—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उपर्युक्त किसानों की जमीन रोड में लिये जाने के बाद भी अभी तक उस जमीन का लगान देना पड़ रहा है? यदि हां, तो अब तक किसानों ने कितना रुपया इस प्रकार दिया है?

श्री धर्मसिंह—प्रथम भाग—जी हां।

अब लगान न लेने के आदेश दे दिये गये हैं।

द्वितीय भाग—लगभग २२५ रुपये।

*६—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह उपर्युक्त किसानों को इस प्रकार से लिये गये लगान को वापस करने पर विचार कर रही है?

श्री धर्मसिंह—भूमि अर्जन की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् लिया हुआ लगान सम्बन्धित किसानों को वापस कर दिया जायेगा।

श्री सजीवनलाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मुआवजा देने के बारे में "जी नहीं" लिखा हुआ है, उनकी जमीन भी ली गई और उनको लगान भी देना पड़ रहा है तो यह कार्यवाही क्यों हुई?

श्री धर्मसिंह—इतनी बात तो ठीक है जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, उनकी जमीन १९५९ में ले ली गई और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लिखा है कि इसके बाद हिदायत दे दी गई है कि लगान इत्यादि न लिया जाय।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कागज में जमीन १९५९ में ली गयी लेकिन एक्चुअल पजेशन १९५७-५८ में ही ले लिया गया?

श्री धर्मसिंह—रुपये का एलाटमेंट इससे पहले था लेकिन भूमि का कब्जा २६ जून, १९५९ को मिला है।

श्री सजीवनलाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो भूमि अर्जन की कार्यवाही चल रही है वह कब तक समाप्त हो जायगी?

श्री धर्मसिंह—सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। जिलाधीश महोदय ने जो कागजात मांगे थे वह बोर्ड आफ रेवेन्यू को भेजे गये और वहां से आब्जेक्शन लगकर वापस हो गये हैं। सरकार की तरफ से तो पूरी कोशिश की जा रही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार इसको ध्यान में रहते हुए कि किसानों से भूमि लेने के बाद मुआवजा वर्षों तक नहीं दिया जाता है और उनको लगान भी देना पड़ता है जो बाद में वापस होता है, इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये बार-बार सवाल आते हैं, तो सरकार कोई ऐसे आदेश निकालेगी कि जिससे आइन्दा ऐसा न हो?

श्री धर्मसिंह—सब से पहले यह आदेश रेवेन्यू विभाग की तरफ से भेज दिये गये हैं कि जिनकी जमीन ली जाय उनसे लगान न लिया जाय और उनको एवार्ड वगैरह देने के लिये जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाय।

मैनपुरी जिले में रक्षित वनों की भूमि

*७—श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में सरकार द्वारा रक्षित वनों की भूमि का क्षेत्रफल क्या है तथा कौन से वनों में वृक्ष लगे हुए हैं और कौन-कौन से वन बिना पेड़ों के हैं ?

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—मैनपुरी जिले में रक्षित वनों (जो कि नहर के जंगल हैं) का क्षेत्रफल ३,४६६ एकड़ है और इन सभी वनों में वृक्ष हैं तथा इन वनों में से कोई भी वन बिना पेड़ के नहीं हैं।

*८—श्री रामदीन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी में जमींदारी विनाश के पहले वन विभाग के पास कितने वन थे, उनका क्षेत्रफल क्या था और इस समय कितने हैं तथा उनका क्षेत्रफल क्या है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जमींदारी उन्मूलन के पूर्व केवल उक्त नहर के जंगल वन विभाग के पास थे जिनका क्षेत्रफल ३,४६६ एकड़ है। इस समय वन विभाग के पास उपरोक्त नहर के जंगल के अलावा बंजर भूमि है जो कि जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप मिली। उक्त बंजर भूमि का क्षेत्रफल ९७५६.०९ एकड़ है।

*९—श्री रामदीन—क्या उपर्युक्त वनों में कुछ भूमि कृषि योग्य है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे भूमिहीन किसानों को देने को विचार कर रही है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री रामदीन—श्रीमन्, यह जो सातवें प्रश्न में उत्तर दिया है "जी नहीं" तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नहर के अलावा जो बंजर भूमि सरकार के पास पड़ी है उसको किसानों को देने में सरकार को क्या कठिनाई पड़ती है ?

श्री अध्यक्ष—आपने यह सवाल पूछा था कि क्या उपर्युक्त वनों में कुछ भूमि कृषि योग्य है ? उन्होंने कहा, "जी नहीं" तो जब कृषि योग्य भूमि नहीं है तो आपको शिकायत क्या है ?

श्री रामदीन—इसमें, श्रीमन्, साफ है, क्या उपर्युक्त वनों में कुछ भूमि कृषि योग्य है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे भूमिहीन किसानों को देने का विचार कर रही है ? तो उत्तर में यह दिया है कि ९ हजार .....

श्री अध्यक्ष—९ में यह उत्तर दिया है कि "जी नहीं", यानी कृषि योग्य भूमि नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जमींदारी उन्मूलन हुए लगभग दस वर्ष हो गये, यह सारी भूमि साढ़े नौ हजार एकड़ से ज्यादा है, तो इस भूमि पर वन क्यों नहीं लगाये गये ?

श्री अलगूराय शास्त्री—इस बंजर भूमि में से एक हजार एकड़ पर वृक्ष लगाये जा चुके हैं और शेष जमीन के ऊपर वृक्ष लगाने की योजना है।

श्री रामदीन—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मैनपुरी तहसील भोगांव, परगना किसिनी, मौजा समान में २१ सौ एकड़ भूमि ऐसा पड़ी है जो पिछले

राजा साहब से जमींदारी खत्म होने के बाद प्राप्त हुई है और उस भूमि पर प्रति वर्ष किसानों के हजारों की तादाद में झगड़े होते हैं, फौजदारी होती है और वह भूमि कृषि योग्य है, उसे देने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—भोगांव तहसील से सम्बन्धित है प्रश्न। इसमें संदेह नहीं कि वहां पर बंजर भूमि है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा। जैसा कहा जा चुका है, उस भूमि पर वृक्ष लगाने, वन लगाने की योजना है। वह कृषि के लिये नहीं दी जा सकती।

श्री मदन पाण्डेय—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भोगांव तहसील में कई हजार एकड़ जमीन बंजर पड़ी हुई है, उसमें जंगल लगाने के अलावा जो बकिया जमीन है, वह जमीन, जो भूमिहीन बड़ी संख्या में हैं, किन कारणों से उनको नहीं दी जा रही है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि जमींदारी उन्मूलन के बाद बंजर भूमि वन विभाग को मिली है। उस पर वन लगाने की योजना है। हमारे प्रदेश में वन से आच्छादित जितनी भूमि होनी चाहिये सामान्यतः उससे बहुत कम है और इसलिये यह भूमि किसी दूसरे काम के लिये नहीं दी जा सकती।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने यह कहा कि एक हजार एकड़ में तो वृक्ष लगाये जा चुके हैं बाकी भूमि में वृक्ष लगाने की योजना है, तो यह योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल तक पूरी हो जायगी या उस पर भोगांव का असर हो कर चौथी में चली जायगी ?

श्री अलगूराय शास्त्री—आपके सामने बजट है। धनाभाव के कारण ही यह योजना अब तक कार्यान्वित नहीं हो सकी है। जैसे-जैसे फंड्स अवेलेबिल होते जायेंगे वृक्ष लगा दिये जायंगे लेकिन खेती के काम के लिये यह भूमि नहीं दी जायगी।

इलाहाबाद पावर हाउस की क्षमता

*१०—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद की बिजली कम्पनी के पावर हाउस में कितने किलोवाट बिजली देने की क्षमता है ?

श्री धर्मसिंह—८,३०० किलोवाट।

*११—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद नगर में कितने किलोवाट बिजली खर्च होती है तथा नैनी के औद्योगिक कारखानों में कितनी बिजली दी जाती है ?

श्री धर्मसिंह—इस समय इलाहाबाद बिजली कम्पनी ९,७०० किलोवाट बिजली इलाहाबाद तथा नैनी में वितरित कर रही है।

नैनी के औद्योगिक कारखानों के लिये २,५२० किलोवाट बिजली स्वीकृत की जा चुकी है।

*१२—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नैनी के औद्योगिक कारखानों में १९५९-६० तथा १ अप्रैल, १९६० से २८ फरवरी, १९६१ तक कितनी-कितनी बिजली किन-किन कारखानों में खर्च हुई ?

श्री धर्मसिंह—२८ फरवरी, १९६१ तक की †सूचना संलग्न है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—प्रश्न १० में उत्तर दिया गया है कि ८ हजार ३ सौ किलोवाट क्षमता है और ९ हजार ७ सौ किलोवाट बिजली दी जाती है, तो यह किस प्रकार से दी जाती है ?

---

†नत्थी छापी नहीं गई।

श्री धर्मसिंह--जितनी क्षमता होती है उससे २० परसेंट अधिक पर कम्पनी या जो भी स्वीकृति प्रदान करने वाली अथारिटी है, वह सेंक्शन कर सकती है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--जो उन्होंने सूची दी है उसमें ५९-६० में जो बिजली जलाई गई उससे कम बिजली ६०-६१ में दी गई, तो जो यह उत्पादन कम हो रहा है इसकी जांच कराने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह--जहां तक इस उत्पादन का सम्बन्ध है कम्पनी इस बात की कोशिश कर रही है कि वहां का उत्पादन बढ़े और जैसा कि माननीय सदस्य ने सूची के बारे में कहा है यह डिटेल की बात है कि कितनी बिजली मंजूर हुई और कितनी कन्ज्यूम हुई। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार नैनी, इलाहाबाद बिजली प्लान्ट की बिजली केवल नैनी के कारखानों को देने का विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह--वह तो मैंने निवेदन किया कि २,५२० किलोवाट बिजली नैनी के लिये स्वीकृत की जा चुकी है।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी--मैं यह कह रही थी कि जो वहां पर नया बिजली प्लान्ट लगा है उसकी सारी बिजली नैनी के कारखानों को ही दिये जाने की बात पहले थी। तो उस नये प्लान्ट से पहले बिजली नैनी के कारखानों को देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री धर्मसिंह--वह जैसे-जैसे मांग होती है इलाहाबाद और नैनी में दोनों स्थानों पर बिजली दी जाती है। इलाहाबाद के बिजली प्लान्ट से नैनी का भी काम होता है। जो सूची है उसमें नैनी के लिये भी बिजली दी जाती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि कितनी बिजली इलाहाबाद नगर में खर्च होती है और कितनी बिजली नैनी में खर्च होती है ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये मेरे पास अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--इस प्रश्न में अलग-अलग करके पूछा गया है।

श्री धर्मसिंह--मैंने निवेदन किया कि इलाहाबाद के लिये ९,७०० किलोवाट बिजली सेंक्शन है और उसमें से २,५२० किलोवाट बिजली नैनी के लिये दी जाती है जो कि नैनी के कारखानों के लिये भी है।

श्री अध्यक्ष--उन्होंने यह पूछा था कि कितनी बिजली अलग-अलग दी जाती है जो स्वीकृत हो चुकी है ? उसका हिसाब वह चाहते हैं।

श्री धर्मसिंह--जी, यह तो मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं किसी दूसरे रोज आप इसका उत्तर दें।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी--क्या सरकार, वह बिजली जो उन कारखानों को अलाट की हुई है जो अभी चालू नहीं हैं या थोड़ा चालू हुए हैं उस अरसे के लिये जब तक वे पूरी बिजली का प्रयोग न कर सकें, नैनी के चालू कारखानों को देने की आज्ञा देगी और केवल बची हुई बिजली इंडस्ट्रियल कालोनी के बाहर देगी ?

श्री धर्मसिंह--जैसा माननीया सदस्या कह रही हैं इस पर विचार कर लिया जायगा।

जिलेवार सड़कों पर व्यय

*१३—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पृथक-पृथक जिलों में सड़कों पर सरकार ने क्या-क्या खर्चा किया है ?

श्री धर्मसिंह—सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलायेगी कि यह सूचना एकत्रित होकर कब तक आ जायेगी ?

श्री धर्मसिंह—यह तो तमाम प्रदेश से सम्बन्धित है । जिलेवार सड़कों के बारे में मांगा गया है और इसे देखते हुए समय बतलाना कठिन है, किन्तु कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सूचना आ जाय ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सारे प्रदेश में सड़कों पर कुल कितना खर्च करने का निश्चय किया गया था और उसमें से अब तक कितना हो चुका है और कितना शेष है ?

श्री अध्यक्ष—जब अलग-अलग जिलों का उन्होंने मांगा है तो उसमें सब आ जायगा, इस समय तो उनके पास यह सूचना तैयार नहीं होगी ।

[१२ अप्रैल, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री मदन पाण्डेय—[१० अप्रैल, १९६१ को प्रश्न १ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*२–३—श्री मदन पांडेय—[१० अप्रैल, १९६१ को प्रश्न २–३ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये ।

*४–६—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—[१३ मार्च, १९६१ को प्रश्न ८–१० के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट

*७—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार ६ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्नसंख्या २९ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेगी कि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने अब तक अन्तिम निर्णय ले लिया है या नहीं ?

हरिजन सहायक उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)—जहां तक बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट में दिये गये पिछड़ेपन का आधार (Criteria of backwardness) का प्रश्न है भारत सरकार ने अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया है । कमीशन की अन्य संस्तुतियों पर इस प्रदेश द्वारा जो कार्यवाही की गई उसका पूरा ब्योरा विधान सभा सचिवालय के समिति अधिकारी को जनवरी ९, १९६० को भेजा जा चुका है जो कि समिति की पंचम रिपोर्ट में छापा गया है ।

*८—श्री गनेशचन्द्र काछी—यदि हां, तो इस विषय में भारत सरकार ने इस सरकार को क्या आदेश भेजे हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या इस सरकार ने भारत सरकार को इस संबंध में अपने सुझाव दिये हैं कि पिछड़े पन का आधार क्या रखा जाय ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--रिपोर्ट आने के पहले जो था वह था और अब भारत सरकार की रिपोर्ट जब आयेगी वह लागू होगी। यहां ५८ जातियां उसमें लिख दी गयी हैं जिनको पिछड़ी जातियों में शुमार किया जाता है।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि भारत सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन उत्तर प्रदेशीय सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में कोई कमेटी बैठायी थी जिसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जब भारत सरकार के हाथ में एक चीज है तो अपनी कमेटी बिठाने की कोई जरूरत हमें नहीं मालूम पड़ती।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि संविधान की धारा १६, खंड ४ में यह है कि प्रदेशीय सरकारें यदि आवश्यकता समझें तो पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये सीटें सुरक्षित कर दें ऐसी ही राय कमीशन ने भी दी है। तो जब तक कोई आधार केन्द्र में तय नहीं हुआ है तब तक जो लिस्ट यहां है इसी के मुताबिक सीटें सुरक्षित करने पर विचार करेगी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जी हां, भारत सरकार ने यह जरूर कह दिया है कि जो जो अपने अपने प्रदेश में चाहें, लिस्ट बना सकते हैं और मुख्तलिफ प्रदेशों ने ऐसा किया भी है। हमारे प्रदेश में, जैसा मैंने बतलाया, हमने ५८ जातियों के नाम तय किये हैं, वह इसमें है। बाकी दो का सवाल गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के हिसाब से तय होगा। और इस के लिये यहां कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं मालूम पड़ती। अगर जरूरत होगी, तो यह भी किया जायगा।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी अपने उत्तर को फिर से सही करने की कृपा करेंगे और स्वीकार करेंगे कि बैकवर्ड क्लासेज के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी बैठायी थी और उसने दो, तीन दिन पूर्व अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--यह रिपोर्ट मौजूद है और पांचों संस्तुति इसमें दी हुई हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट पर कोई विचार किया गया या नहीं और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसमें जो मान्यतायें दी हैं बैकवर्डनेस के संबंध में, उस बारे में कोई सिफारिश केन्द्रीय सरकार को भेजी है या नहीं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--मैंने तो अर्ज किया था कि ५८ जातियां हैं जिनको हमने तय कर दिया है और उन्हीं को मान्यता दी गयी है। बाक़ी जो और सुझाव आयेंगे उन पर विचार किया जा सकता है। अभी हमारे यहां, उसके अलावा, और कोई खास विचार नहीं हो रहा है।

गरौठा-मऊरानीपुर सड़क निर्माण पर विचार

*९--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)--क्या सरकार को पता है कि गरौठा तहसील (झांसी) के बेतवंती नदी से घिरे होने के परिणाम स्वरूप वहां की जनता को मऊरानीपुर तहसील (झांसी) की मंडी में माल का क्रय-विक्रय करने तथा वहां के रेलवे स्टेशन से ही माल के यातायात की सुविधा है ?

श्री धर्मसिंह--जी हां।

*१०—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि उक्त मऊरानीपुर व गरौठा तहसीलों के बीच की लगभग २६ मील की कच्ची सड़क की गत सात वर्षों से मरम्मत तक न होने के परिणाम स्वरूप उसकी दशा बहुत ही ख़राब हो गई है और उस पर यातायात दूभर हो गया है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां।

*११—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित हुआ है कि झांसी अन्तरिम जिला परिषद् का यह कहना है कि वह उक्त सड़क को १९५४ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सुपुर्द कर चुकी है और सार्वजनिक निर्माण विभाग इस बात को तसलीम नहीं करता तथा दोनों विभागों की इस कशमकश के परिणाम स्वरूप उक्त सड़क सात वर्षों से लावारिस पड़ी है ? यदि हां, तो उसने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मसिंह—प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—सड़क के निर्माण के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था कर ली गई है और १९६१-६२ में सड़क को लेने का विचार है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि उस सड़क की ७ वर्षों से रखरखाव न होने के कारण हालत बहुत ख़राब हो गई है, इसलिये उसके रखरखाव के लिये कोई आदेश शीघ्र जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—मैंने प्रश्न संख्या ११ के उत्तर में निवेदन किया है कि हम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सन् १९६१-६२ में उस सड़क को लेने वाले हैं।

कच्चा आढ़ती संघ, हापुड़ का मांग-पत्र

*१२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश कच्चा आढ़ती संघ, हापुड़ का सेल्स टैक्स ऐक्ट में स्पष्टीकरण आदि के लिये पिछले वर्ष कोई मांग-पत्र आया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

शिक्षा उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां। कच्चा आढ़ती संघ, हापुड़ द्वारा भेजे गये मांग-पत्र की †प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

*१३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपर्युक्त मांग-पत्र पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—कच्चा आढ़ती संघ, हापुड़, की मांग पर सरकार द्वारा भली-भांति विचार किया गया था। सेल्स टैक्स कानून के अन्तर्गत कच्चा आढ़ती के रूप में किसी को भी मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, जिसमें कमीशन एजेण्ट या आढ़ती भी सम्मिलित हैं, चाहे कमीशन के लिये या अन्यथा, उत्तर प्रदेश में खरीदने या बेचने का व्यापार करता हो, उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स ऐक्ट में दी हुई व्यापारी शब्द की परिभाषा में आ जाता है। अतः सभी आढ़तियों को, जिसमें हापुड़ तथा अन्य जिलों के आढ़तिये भी शामिल हैं, केवल तब ही जबकि वे उपरोक्त परिभाषा के अन्तर्गत आते हों और उनका अपना कर-देय विक्रय-धन भी हो, सेल्स टैक्स देना पड़ता है। व्यक्तिगत मामलों में इस वैधानिक प्रतिबन्ध से कोई छूट देना सम्भव नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार विचार कर रही है कि सेल्स टैक्स ऐक्ट में कोई ऐसा संशोधन किया जाय जिससे कि कानून को अधिक स्पष्ट करने के लिये कच्चे आढ़ती और पक्के आढ़ती की परिभाषा को स्पष्ट कर दिया जाय ?

---

†प्रतिलिपि छापी नहीं गई।

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसा विचार नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि जो मांग-पत्र कच्चा आढ़ती संघ, हापुड़ की ओर से दिया गया है उसमें कुछ मामलों में छूट देने की मांग नहीं है ? यदि हां, तो जो इसका उत्तर दिया गया है उसका आधार क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—कच्चे आढ़ती के बारे में उन्होंने लिखा था कि जो कच्चे आढ़ती हैं उन पर सेल्सटैक्स नहीं लगना चाहिये। जो ऐक्ट है उसमें तो उसकी परिभाषा दी हुई है और उसी के आधार पर मैंने उत्तर दिया है। कच्चे आढ़ती या पक्के आढ़ती को कोई मान्यता नहीं है। जो भी व्यक्ति किसी सामान को खरीदारी करता है और उसको दूसरे के हाथ बेचता है उसको सेल्स टैक्स देना होगा। उसकी परिभाषा ऐक्ट में दी हुई है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कच्चा आढ़ती न तो माल को बेचता है और न खरीदता ही है ? वह तो तौल करके एक व्यापारी के माल को दूसरे व्यापारी के पास पहुंचा देता है और उसको उनको मजदूरी मिलती है। तो इस पर सेल्स टैक्स लगाया जाय या नहीं, इस प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—कच्चे आढ़ती की कहीं परिभाषा नहीं है, लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि वह तो तौल करता है, अगर यह सही है और वह केवल तौल करता है तो उसके लिये सेल्स टैक्स देय नहीं है। लेकिन फैक्ट यह है कि कच्चा आढ़ती सब तरह का काम करता है, वह रुपया भी देता है, वह माल को खरीदता भी है, और उसको दूसरे को देता है। ऐसे केसेज में सेल्स टैक्स देय हो जाता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कच्चे आढ़ती और पक्के आढ़ती की परिभाषा करने में सरकार को क्या-क्या कठिनाइयां हैं जिससे वह नहीं करना चाहते ?

श्री रामस्वरूप यादव—कोई परिभाषा नहीं की जाती। जैसे कि इनका रिप्रेजेंटेशन है, उसमें देखा जाय कि पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कच्चे आढ़ती और पश्चिमी जिलों के कच्चे आढ़ती में फर्क है। पिछले अधिनियम में जहां स्पष्टीकरण नहीं किया गया था वहां कच्चे आढ़तियों के नाम से काफी टैक्स का एवेजन हुआ है और बजाय १ करोड़ रुपये के २० लाख रुपया ही १९५७–५८ में मिला, जिसकी वजह से तरमीम करनी पड़ी। अब सेल्स टैक्स की परिभाषा स्पष्ट है।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि कच्चे आढ़ती को स्वेच्छा से कोई सौदा बेचने की कोई इजाजत नहीं होती ? जिसका माल होता है वही कीमत पाने का हक़दार होता है और उसको सौदे का कमीशन मिलता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह संभव हो सकता है कि कोई कच्चा आढ़ती ऐसा करता हो लेकिन जो माल पैदा करते हैं वह रुपया ले आते हैं। यह दूसरी बात है कि जिस भाव से रुपया दिया है उसी से बेचते हैं, लेकिन जब स्वेच्छा से बेचते हैं खरीदार को और वह सामने नहीं आते तो सेल्स टैक्स देय हो जायगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या यह सही है कि बहुत से सेल्स टैक्स के धन का इसलिए एवेजन होता है कि रूल्स बहुत कम्पलीकेटेड हैं और उनको सिम्पलीफाई करने की मांग की गयी ? यदि हां, तो इस दिशा में वह क्या कर रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी तो इस विषय में कोई रिपोर्ट नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या मंत्री जी को विदित है कि कच्चा आढ़ती न तो माल बेचता है और न खरीदता है, वह तोल कर के देता है और तौल की मजदूरी पाता है और

साथ में सेल्स टैक्स आफिसर को सूची देता है कि किसने माल बेचा और किसने खरीदा, फिर सरकार क्यों सेल्स टैक्स उसके ऊपर लगाती है, इसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने तोलने के बारे में स्पष्ट कर दिया कि अगर काश्तकार अपना माल लेकर आया है और जो खरीदता है दोनों के बीच में अगर वह पड़ता है तो सेल्स टैक्स देना होगा। लेकिन जिस वक्त रुपया दे देता है कच्ची आढ़त वाला कोई भी व्यक्ति हो—तो वह माल को अपने पास रख लेता है। फिर वह दूसरे को दे सकता है, चाहे फ़ोरिस्त रखता हो या नहीं। क्योंकि अपनी स्वेच्छा से वह जिसको चाहे बेच सकता है इसलिए टैक्स देय है।

*१४-१६—**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)—[२६ अप्रैल, १९६१ के लिए स्थगित किये गए।]

राज्य राष्ट्रीय बचत परामर्शदात्री समिति के सुझाव

*१७—**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अल्प-बचत योजना में तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये प्रदेश में कितना धन एकत्र करने का लक्ष्य है ?

श्री रामस्वरूप यादव—राष्ट्रीय बचत योजना के द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में कुल ९० करोड़ रुपये की शुद्ध (Net) धनराशि एकत्र करने का लक्ष्य रक्खा गया है।

*१८—**श्री विश्रामराय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या अल्प-बचत योजना परामर्शदात्री समिति ने कोई नये उपाय इस स्कीम को कामयाब बनाने के लिये निकाले हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—राष्ट्रीय बचत योजना को अधिक व्यापक रूप देने के लिये राज्य राष्ट्रीय बचत परामर्शदात्री समिति समय-समय पर सुझाव देती रही है, जिनके अनुसार कार्य किया जा रहा है। उनमें से कुछ उल्लेखनीय सुझाव निम्नप्रकार के हैं :—

(१) योजना का व्यापक प्रचार करने वाले तथा अधिकाधिक धनराशि इकट्ठा कराने वाले अच्छे कार्यकर्त्ताओं को सनद प्रदान की जाय।

(२) देहाती क्षेत्रों में, विशेषकर प्रत्येक न्याय पंचायत पर, अधिकाधिक सेविंग्स बैंक का काम करने वाले डाकखाने खोले जायें।

(३) राष्ट्रीय बचत योजना में प्रदेश में सर्वप्रथम एवं द्वितीय विकास खण्डों को नकद पुरस्कार विकास कार्य के हेतु दिया जाये।

(४) राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति के प्रत्येक सदस्य को कुछ जिले दिये जायें जिनमें वे दौरा करें और सरकारी एवं गैरसरकारी व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सहायता से इस योजना को सफल बनायें।

(५) समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं में इस योजना का समाचारों, कहानियों, लेखों तथा विज्ञापनों द्वारा अधिकाधिक प्रचार किया जाय। इसी प्रकार सिनेमा-मालिकों से भी राष्ट्रीय बचत योजना संबंधी सिनेमा स्लाइड तथा वृत-चित्र नियमित रूप से दिखाने का अनुरोध किया जाय।

(६) विधान मंडल के सदस्यों से इस योजना का अधिकाधिक प्रचार करने के लिये, तथा इस योजना में स्वयं धन लगा कर अपना उदाहरण पेश करने का अनुरोध किया जाय।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सुझाव भी समिति ने दिये हैं जो आवश्यक कार्यवाही हेतु केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति तथा भारत सरकार के पास भेज दिये गये हैं।

*१९—श्री विश्रामराय—क्या सरकार अल्प-बचत योजना को सफल बनाने के लिये जहां अधिक धन एकत्र हो उसको निर्माण कामों में प्राथमिकता देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

*२०-२२—श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—[हटा दिये गये।]

कानपुर जिले में सड़क सुधार योजना

*२३—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कानपुर जिले में सरकार द्वारा किन-किन सड़कों को सुधारा या निर्माण किया जायेगा ? उनके क्या प्राक्कलन हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—प्रथम भाग—निम्नलिखित सड़कें सुधारी जायेंगी:—

१—रूरा-अकबरपुर	..	..	८ मील
२—रूरा-डेरापुर	..	..	८ मील

द्वितीय भाग—अभी प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

*२४—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या साढ़-सरसौल सड़क अथवा घाटमपुर-सरसौव सड़क को इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लिया जा रहा है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही अब तक की जा चुकी है और उसका प्राक्कलन क्या निश्चय हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न ही नहीं उठता।

किरावली तहसील में कुछ सड़कों को पक्की करने तथा पुलों को बनाने की आवश्यकता

*२५—स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में आगरा जिले में कौन-सी कच्ची सड़कें पक्की की जायेंगी ?

श्री गिरधारीलाल—चालू योजनाओं के अतिरिक्त किसी नई पक्की सड़क के निर्माण का प्रस्ताव तीसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं है।

*२६—स्वामी विश्वेश्वरानन्द—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री आगरा जिले की तहसील किरावली की निम्नलिखित कच्ची सड़कों को पक्का कराने पर विचार करेंगे जो व्यापारिक एवं धार्मिक तीर्थ स्थलों पर जाने-आने की सुविधा को ध्यान में रखते हुये अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं—

(१) किरावली से कागारोल, (२) अछनेरा से फरह, (३) बिचपुरी से अछनेरा सड़क का पुनरुद्धार, (४) फतेहपुर सीकरी से डामर सड़क का पुनरुद्धार, (५) किरावली से रुनकता, (६) फतेहपुर सीकरी से चौमाशाहपुर होकर भरतपुर (राजस्थान) ?

श्री गिरधारीलाल—योजना के अतिरिक्त यदि सड़क निर्माण के लिये कोई अन्य धनराशि उपलब्ध हो सकी तब उस समय की प रस्थिति के अनुसार इन पर विचार किया जा सकता है।

नोट—तारांकित प्रश्न १९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*२७—स्वामी विश्वेश्वरानन्द—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री तहसील किरावली में खारी नदी पर निम्नलिखित स्थानों पर पुलों के बनवाने की व्यवस्था करेंगे जहां बरसात के दिनों में अत्यन्त कठिनाई होती है—

(१) ग्राम साथा-कोरई के बीच, (२) मोरी बरौली के पास किरावली-कागारौल सड़क पर, (३) महदऊ ग्राम के पास एक बरसाती नाले पर ?

श्री गिरधारीलाल—ये पुल निर्माण विभाग की किसी सड़क पर नहीं पड़ते हैं । इनके निर्माण का उत्तरदायित्व अंतरिम जिला परिषद् का है ।

हाइड्रो इलेक्ट्रिक विभाग के कर्मचारी

*२८—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक विभाग में कितने कर्मचारी हैं, उनमें स्थायी तथा अस्थायी कितने हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—विद्युत् विभाग में कुल २५६ गजटेड कर्मचारी हैं जिसमें ६८ स्थायी हैं तथा १८८ अस्थायी । नान-गजटेड कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना सर्किलों तथा डिवीजनों के दफ्तरों से एकत्रित की जा रही है और एकत्रित हो जाने पर प्रस्तुत की जायगी ।

*२९—श्री ऊदल—क्या सरकार उपर्युक्त विभाग के मजदूरों का वेतन-क्रम निर्धारित करने के लिये कोई वेतन बोर्ड स्थापित करने पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

*३०-३१—श्री विश्रामराय—[२६ अप्रैल, १९६१ के लिए स्थगित किये गये ।]

*३२-३३—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—[२६ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३४—श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)—[हटा दिया गया ।]

*३५-३६—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—[२६ अप्रैल, १९६१ के लिए स्थगित किये गये ।]

बर्ड घाट, गोरखपुर की दुर्व्यवस्था संबंधित शिकायती-पत्र

*३७—श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्त्ता का कोई १९ सितम्बर, १९६० का शिकायती-पत्र बर्ड घाट, गोरखपुर की दुर्व्यवस्था के बारे में सचिव, निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ था ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां ।

*३८—श्री इन्दुभूषण गुप्त—यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच प्रश्नकर्त्ता की उपस्थिति में की ? यदि हां, तो कब ?

श्री गिरधारीलाल—उस पत्र की प्रतिलिपियां आयुक्त, गोरखपुर डिवीजन तथा मुख्य अभियन्ता को शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये भेजी गई थीं ।

*३९—श्री इन्दुभूषण गुप्त—क्या सरकार उक्त शिकायती पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—प्रतिलिपि †सदन की मेज पर रख दी गई है ।

---

†नत्थी छापी नहीं गई ।

*४०—श्री रामसुन्दर पांडेय—[२६ अप्रैल, १९६१ के लिए स्थगित किया गया।]

*४१-४३—श्री जोखई (जिला इलाहाबाद)—[२६ अप्रैल, १९६१ के लिए स्थगित किये गये।]

काघ नाले पर नोनार घाट का पुल बनाने की प्रार्थना

*४४—श्री गुरुप्रसादसिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या तहसील मुसाफिर खाना (सुल्तानपुर) की जनता की ओर से सरकार के पास कोई प्रार्थना-पत्र दिसम्बर, १९६० और जनवरी, १९६१ में काघ नाले में नोनार घाट पर पुल बनाने के लिये आया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—दिसम्बर, १९६० तथा जनवरी, १९६१ में जनता की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। किन्तु सितम्बर, १९५९ में अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, तथा श्री शंकर लाल, एम० एल० ए० से एक संयुक्त पत्र प्राप्त हुआ था।

द्वितीय भाग—उनको उचित उत्तर दे दिया गया।

बेवर में अधूरा शहीद स्मारक

*४५—श्री रामदीन—क्या सरकार जिला मैनपुरी के कस्बा बेवर में १५ अगस्त, १९४२ को शहीद हुये व्यक्तियों के अधबने स्मारक को पूरा करवाने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—शासन स्मारक को पूरा कराने अथवा इस कार्य के लिये आर्थिक सहायता देने में असमर्थ है। किन्तु शासन उनके द्वारा मांगने पर केवल टैक्निकल (technical) सहायता अथवा परामर्श ही दे सकता है।

*४६-४७—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—[२६ अप्रैल, १९६१ के लिए स्थगित किये गये।]

घोसी तथा बड़ागांव को बिजली देने की प्रार्थना

*४८—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार का विचार आजमगढ़ जिले में कस्बा घोसी तथा कस्बा बड़ा गांव में बिजली लगवाने का है? यदि हां, तो इस काम के कब तक होने की आशा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तृतीय पंच वर्षीय योजना में लगभग १,५०० गांवों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है। अभी इस बात का फैसला नहीं किया गया कि यह गांव कौन-कौन से होंगे।

*४९—श्री झारखंडे राय—[२६ अप्रैल, १९६१ के लिए स्थगित किया गया।]

घोसी-महमूदाबाद सड़क पक्की करने की विचार

*५०—श्री झारखंडेराय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने मील की कौन-कौन सड़क पक्की कराने तथा अपने नियंत्रण में लेने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है?

श्री गिरधारीलाल—१३ मील लम्बी घोसी-महमूदाबाद सड़क।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में ड्राफ्टसमैनों की भर्ती

*५१—श्री भवगतीसिंह विशारद—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चीफ इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सितम्बर, १९६० को होने वाली परीक्षा के आधार पर कुछ ट्रेसरों को ७८ रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त किया है?

श्री गिरधारीलाल—सितम्बर, १९६० में अनक्वालीफाइड डाफ्ट्समैनों की भर्ती के लिये एक परीक्षा मुख्य अभियन्ता ने ली थी। उसमें उत्तीर्ण परीक्षार्थी ड्राफ्ट्समैन के पद पर नियुक्त किये गये तथा अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों में से कुछ को उनकी अनुमति से ट्रेसरों के पद पर ४५-२-६५ रु० के वेतन क्रम में नियुक्त किया गया। ४५ रु० वेतन पर ३३ रु० महंगाई भत्ता मिलता है।

*५२—**श्री भगवतीसिंह विशारद**—क्या यह सही है कि इस विभाग में हाई स्कूल उत्तीर्ण क्लर्कों को ९५ रुपये मासिक वेतन प्रदान किया जाता है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। इस विभाग में क्लर्कों को, जो कम से कम हाई स्कूल पास होते हैं, प्रारम्भिक वेतन ६० रु० तथा महंगाई भत्ता ३५ रु० दिया जाता है।

*५३-५५—**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)—[२६ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*५६-५८—**श्री छेदीलाल** (जिला खीरी)—[२६ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*५९-६०—**श्री रामकुमार वैद्य** (जिला मुरादाबाद)—[१९ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

हरिजन कल्याण का शेष अनुदान

१—**श्री सोहनलाल धुसिया** (जिला बस्ती) तथा **श्री शिवराज सिंह यादव** (जिला बदायूं)—क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा हरिजन कल्याण की मद में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित धनराशि में से अभी तक कितना रुपया शेष है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना एकत्र की जा रही है।

पूरक प्रश्नों का अवसर न मिलने के संबंध में आपत्ति

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—श्रीमन्, प्रश्नों के सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि सौभाग्य से हम किनारे पड़ते हैं तो आपकी-स्पीकर्स आई-कैच नहीं कर पाते हैं। हमारा नम्बर सबसे बाद में आता है, यह बहुत कठिनाई पड़ रही है।

श्री अध्यक्ष—यह कोई कठिनाई की बात नहीं है। कई दफा देवनारायण भारतीय जी को मैंने बुलाया, कई दफा आपको बुलाया, लेकिन आप यह चाहते हैं कि चाहे अनेकों सदस्य बैठे रहें, लेकिन मौका आपको ज्यादा मिलना चाहिए। मैं इजाजत नहीं देता।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ पर राज्यपाल महोदय की अनुमति १० अप्रैल, १९६१ को प्राप्त हो गयी और यह १९६१ का उत्तर प्रदेश का १३ वां अधिनियम बन गया।

नियम ५३ के अन्तर्गत चीनी मिलों से चीनी की निकासी न होने के संबंध में वाद-विवाद की मांग

श्री अध्यक्ष—चीनी मिलों के सम्बन्ध में अभी जो प्रश्न हुए थे, उसी प्रकार का एक यह प्रश्न आया था कि चीनी मिलों के पास बहुत-सी चीनी जमा हो गयी, इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक इसकी निकासी न हो जाय तब तक दाम नहीं देंगे। इस सम्बन्ध में एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है। नियम ५२ में भी आया है और नियम ५३ में भी इस विषय में वाद-विवाद करने के लिए समय चाहा है। मैंने नियम ५३ में स्वीकार कर लिया है, लेकिन एक घंटे का समय इसके ऊपर रहेगा, मैं मुख्य मंत्री जी से पूछ लूंगा, अगर वह यहां मौजूद होंगे तो कल ले लूंगा।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—एक घंटा १ दिन या २ दिन ?

श्री अध्यक्ष—रोज १ घंटा लोग बैठते नहीं हैं चले जाते हैं। फिर घंटी बजाते आफत हो जाती है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—१ घंटे में तो शायद मुख्य मंत्री जी और प्रस्तावक महोदय से ही कुछ समय नहीं बच पावेगा। नियम ५३ में ढाई घंटा तक का समय है। इस प्रश्न का संबंध करोड़ों और लाखों किसानों से ही नहीं बल्कि करोड़ों उपभोक्ताओं से भी है। उनका भी सवाल इसमें निहित है।

श्री अध्यक्ष—रोज चीनी-चीनी कहते आपकी तबियत नहीं ऊबती है ?

श्री गेंदासिंह—अभी तक डाइबीटीज नाममात्र की मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं मुख्य मंत्री जी से बात कर लूंगा और आप भी बात कर लें। अगर वह ज्यादा समय देना चाहें तो उस पर पुनः विचार कर लेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—एक दिन का समय कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अभी समय नहीं है, बजट चल रहा है।

आयुर्वेदिक व यूनानी कालेजों के विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—अब श्री प्रताप सिंह द्वारा उठाये गये, आयुर्वेदिक व यूनानी कालेजों के विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में, प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री का वक्तव्य होगा। कल अधूरा ही प्रश्नोत्तर हो पाया था। करीकुलम के बारे में जो प्रश्न पूछा गया था, वह उत्तर नहीं दे सके थे, वह सूचना चाहते थे। मैंने कहा था कि सूचना प्राप्त करके बतावें कि बी० एम०,बी० एस० के जो छात्र पास होते हैं, उनके करीकुलम में और जो डिग्री बोर्ड आफ इंडियन मैडिसिन देता है, शायद ए० एम० बी० एस० की, उसमें क्या अन्तर है, जिसके कारण यह कहा गया था कि उनको पी० एम० एस० टू ग्रेड नहीं दे सकते हैं। तो इसका कारण वह बतलावेंगे।

सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, कल इस सदन के सम्मुख जहां तक श्री प्रताप सिंह द्वारा उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है, संक्षेप में एक वक्तव्य देकर स्पष्टीकरण कर दिया गया था। निम्नलिखित वक्तव्य आपकी आज्ञानुसार सदन के सम्मुख और दे रहा हूं:—

"लखनऊ विश्वविद्यालय की बी० एम० बी० एस० उपाधि के लिये निम्नतम प्रवेश योग्यता प्रारम्भ से ही इंटरमीडियेट है जबकि बोर्ड आफ इंडियन मैडिसिन्स से संबंधित कालेजों में (जिनकी संख्या १० आयुर्वेदिक और दो यूनानी हैं और जो उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों में स्थित हैं) प्रारम्भ में हाई स्कूल थी और अब केवल कुछ ही वर्षों से इंटरमीडियेट हुई है। बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन्स से संबंधित कालेज साधारणतः सज्जाहीन हैं। वहां न तो उचित प्रयोगशालायें हैं और न अच्छे अस्पताल। अध्यापकों की संख्या और स्तर भी उपयुक्त नहीं है। यद्यपि बी० एम० बी० एस० की उपाधि तथा बोर्ड आफ इंडियन मैडिसिन्स की डिग्रियों के पाठ्यक्रमों में कोई विशेष अन्तर दिखाई नहीं देता फिर भी बी० एम० बी० एस० के छात्रों को ट्रेनिंग की सुविधायें अधिक प्राप्त हैं और इसलिये आधुनिक चिकित्सा के विषयों में इनका स्तर अन्य कालेजों की अपेक्षा अच्छा है। बी० एम० बी० एस० में सफलता पाने के लिये ५० प्रतिशत

*११ अप्रैल, १९६१ की कार्यवाही से।

[श्री धर्मसिंह]

(थ्योरी तथा प्रैक्टिकल) योगांक (एग्रीगेट) आवश्यक है, जबकि बोर्ड की उपाधियों की परीक्षा में योगांक (एग्रीगेट) ४५ प्रतिशत (५० प्रतिशत प्रैक्टिकल तथा ४० प्रतिशत थ्योरी में) आवश्यक है।"

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या मंत्री जी यह आज्ञा देंगे या ऐसा इंतजाम करेंगे कि बोर्ड आफ इंडियन मैडिसिन्स की परीक्षा में भी वही कड़ाई ५० प्रतिशत की करके उनको भी पी० एम० एस० टू दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह सुझाव है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब से ए० एम० बी० एस० की न्यूनतम योग्यता इंटरमीडियेट रखी गई है तब से उन्हें बी० एम० बी० एस० के बराबर मान्यता देने में क्या कठिनाई है ?

श्री धर्मसिंह—एक स्टेट मेडिकल सर्विस (आयुर्वेद) खोल रखी है जिसमें २६ पोस्ट्स हैं। ए० एम० बी० एस० के विद्यार्थी उसमें लाये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न दूसरा है। उन्होंने पूछा कि ए० एम० बी० एस० वालों में जो इंटरमीडियेट पास होकर भर्ती हुये हैं और जिन्होंने ५ साल का कोर्स किया है उन्हें पी० एम० एस० (टू) देने में क्या आपत्ति है, यही था न आपका सवाल ?

श्री त्रिलोकीसिंह—जी हां।

श्री धर्मसिंह—उसके बारे में तो मैंने अभी निवेदन किया कि पाठ्यक्रम और इक्विपमेंट इत्यादि में थोड़ा बहुत अन्तर होने की वजह से और धन की कमी होने की वजह से वह देना सम्भव नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी स्पष्टतया बताने की कृपा करेंगे कि पाठ्यक्रम में, दोनों के, कोई अन्तर है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह—कोई विशेष अन्तर नहीं है। जिस प्रकार से एक लड़का नाइंथ क्लास में साइंस पढ़ता है और बहुत से छोटे-छोटे सब्जैक्ट्स होते हैं, वही साइंस आगे चलकर इन्टरमीडियेट और बी० एस-सी० में लेता है, तो शुरू में तो कोई अन्तर नहीं है लेकिन जैसे रैफरेंस बुक्स हैं, अधिक अच्छा पढ़ाई का सामान है, इसी किस्म के अन्तर हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय मंत्री जी के उत्तर के अनुसार पाठ्यक्रम में कोई अन्तर नहीं है। प्रासपैक्ट्स, अध्ययनकाल और भर्ती की योग्यता भी एकसी है। तो साज-सज्जा के अन्तर को मिटाने के लिये सरकार क्या उनकी सहायता करेगी जिससे यह भेदभाव मिटे और जिनका स्तर समान है क्या उन्हें पी० एम० एस० टू का ग्रेड यानी समान ग्रेड देने पर विचार करेगी ?

श्री धर्मसिंह—फिलहाल ऐसा करना सम्भव नहीं होगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री इस बात को जानते हुये कि दोनों के प्रासपैक्टस मेरे पास हैं, जिनमें बी० एम० बी० एस० का कोर्स इस प्रकार है :—माडर्न एनाटामी, माडर्न फिजियालाजी, शरीर, पदार्थ विज्ञान, माडर्न फार्मकालाजी, द्रव्य-गुण, रस शास्त्र ऐंड औषधि कल्प विज्ञान, मेडिकल जूरिसप्रूडैंस ऐंड टैक्सीकालोजी, पैथोलाजी इत्यादि जितनी माडर्न मेडिसिन्स हैं वे और सर्जरी हैं और इसी प्रकार बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन्स की परीक्षा में आयुर्वेदीय विषयों के साथ-साथ एनाटामी, फिजियोलाजी,

मैटीरिया मैडीका, फारमैकालाजी ऐंड थैराप्यूटिक्स, फार्मेसी, हाईजीन ऐन्ड पब्लिक हैल्थ, जुरिसप्रूडैंस ऐंड टैक्सीकालोजी, मैडिसिन, पैथालाजी इत्यादि हैं, यानी वही कोर्स है बल्कि यह देखते हुये कि ए० एम० बी० एस० का कोर्स बी० एम० बी० एस० से कहीं अधिक है तो इन बातों को ध्यान में रखते हुये कि दोनों के प्रास्पेक्टस में किताबें एकसी हैं, एकसी पढ़ाई होती है क्या मंत्री जी फिर से विचार करेंगे कि दोनों को समान दर्जा दिया जाय ?

श्री धर्मसिंह—मैंने निवेदन किया कि जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, डिटेल्स में कोई अन्तर नहीं है लेकिन जो मेडिकल कालेज में फैकल्टी में बी० एम० बी० एस० की पढ़ाई होती है और मेडिसिन बोर्ड के जो स्कूल हैं उनमें जो पढ़ाई होती है उन दोनों में, टीचर्स में, इक्विपमेन्ट्स में और रिफरेन्स बुक्स में थोड़ा बहुत अन्तर होता ही है। जैसा आप कह रहे हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक ही सब्जेक्ट्स हैं और सरकार ने इसपर काफी विचार किया है लेकिन जैसा माननीय सदस्य चाहते हैं वैसा करना सम्भव नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि दोनों की योग्यता में कोई फर्क है इसलिये ऐसा नहीं कर रहे हैं, या केवल धनाभाव के कारण ही ऐसा नहीं कर रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—सरकार ने पूरे तरीके से विचार करने के बाद यह उत्तर दिया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इस बात को देखते हुये कि बी० ए० की जो डिग्री दी जाती है वह जिस प्रकार से विश्वविद्यालयों के छात्रों को जिनके पास ज्यादा इक्वीपमेन्ट रहते हैं, क्वालीफाइड स्टाफ रहता है और तमाम सामग्री रहती है—दी जाती है उसी प्रकार से प्राइवेट कालेजों के छात्रों को भी दी जाती है, उसी प्रकार से....

श्री अध्यक्ष—डिग्री तो वही दी जाती है। शायद आपका मतलब यह है कि डिस्क्रीमिनेशन क्यों होता है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां, फिर डिस्क्रीमिनेशन क्यों किया जाता है ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक बी० ए० की डिग्री का सम्बन्ध है वह लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी, सभी जगह से दी जाती है लेकिन जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं उनके स्टैंडर्ड में फर्क है। उसी प्रकार से जो डिग्री इंडियन मेडिसिन बोर्ड द्वारा वितरित की जाती है और जो बी० एम० बी० एस० की डिग्री है उसमें भी कुछ अन्तर है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—मंत्री जी बी० एम० बी० एस० का स्तर ऊंचा होने की बात कहते हैं, उन्हीं में से एक डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेद के हैं और इसकी जो पढ़ाई होती है उसमें से बहुत अध्यापक यही डिग्री प्राप्त शुदा लोग हैं तो इन बातों को देखते हुये क्या मंत्री जी, जब उनका खयाल हो कि इनका भी स्तर ऊंचा है, पी० एस० एस० (टू) के कम्पटीशन में बैठने की इजाजत देंगे ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—क्या सरकार कोई ऐसा कम्पटीशन निर्धारित कर सकती है जिसमें बी० एम० बी० एस० और ए० एम० बी० एस० दोनों के स्टूडेन्ट्स बैठ जांय और कम्पटीशन में जो आ जायं उनको वह स्केल दे दिया जाय और जो न आयें उनको न दिया जाय ?

श्रीधर्म सिंह—जहां तक ए० एम० बी० एस० के विद्यार्थियों का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश में २६ गजटेड पोस्ट्स हैं...

श्री अध्यक्ष—उनका सीधा प्रश्न है कि पी० एम० एस० (टू) के लिये आप एक साथ कम्पटीशन में बैठने की इजाजत देंगे ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—इस पर विचार कर लिया जायगा।

१९६१–६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २५—पशुपालन

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५—पशुपालन के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर २,२७,३१,८०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—इस पर बहस नहीं होगी। पहले इसको ले लिया जाय वोट के लिये फिर आप और मदों को प्रस्तुत करें।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५—पशुपालन के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर २,२७,३१,८०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २३—कृषि सम्बन्धी विकास, अनुदान संख्या २४—उपनिवेशन तथा अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत लागत

***श्री चरणसिंह**—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३—कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ४,७८,७७,१०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४—उपनिवेशन के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ११,१९,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ११,०९,५१,४०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, जो खेती का कदम है यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बिना कोई मनुष्य या कोई राष्ट्र जिन्दा नहीं रह सकता। और फिर हमारे देश में जहां ६९–७० फीसदी आदमी खेती में लगा हुआ है और हमारे प्रदेश में जहां ७४ फीसदी आदमी खेती पर सीधे-सीधे काम करते हैं और इस प्रकार हमारे प्रायः सारे गांव वासियों की आय इस कृषि व्यवसाय पर निर्भर है वहां तो खेती का काम और ज्यादा महत्व रखता है। इसके अलावा खेती का महत्व हमारे देश में एक और कारण से भी बढ़ जाता है और वह यह है कि खेती की पैदावार अगर नहीं बढ़ेगी तो देश समृद्धशाली देशों की पंक्ति में खड़ा नहीं हो सकेगा। हम लोग यह चाहते हैं कि हमारे देश का आर्थिक विकास हो, देश मालदार हो जाय और फी व्यक्ति आय हमारे देश-वासियों की बढ़ जाय। उसके लिये जरूरी यह है कि उद्योग-धंधे बढ़ें, ट्रांसपोर्ट का काम करने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाले लोगों की तादाद बढ़े, व्यापार करने वाले लोगों की तादाद बढ़े, बैंकिंग, स्कूल, अस्पताल और सड़क बनाने वालों और उसमें काम करने वालों की तादाद बढ़े। अर्थात् खेती करने वाले लोगों की तादाद घटे और दूसरे पेशे करने वालों की तादाद बढ़े तभी यह देश मालदार होगा।

अब, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि दूसरे पेशे भी तभी इस मुल्क में बढ़ सकेंगे, अर्थात् यह मुल्क तभी इकानामीकली डेवलप्ड कन्ट्रीज की पंक्ति में खड़ा हो सकेगा जबकि पहले कृषि की पैदावार बढ़ जाय। या तो कृषि की पैदावार पहले बढ़ जाय या उद्योग-धंधों के साथ-साथ बढ़ जाय, तभी देश मालदार होगा। यह नहीं हो सकता कि कारखानें यहां पहले लग जांय, गैर-जराती पेशे यहां पहले बढ़ जायं और खेती की पैदावार पर ध्यान हम बाद में दें। खेती पर इम्फेसिस ज्यादा देना होगा। जैसे ही खेती की पैदावार बढ़ती चलेगी तैसे ही देश का औद्योगीकरण होगा और अगर हमने औद्योगीकरण की बात पहले की या उस पर अधिक बल दिया तो यह इसी प्रकार का काम होगा कि गाड़ी आगे खड़ी कर दी जाय और बैलों को पीछे खड़ा कर दिया जाय और फिर यह उम्मीद की जाय कि यह गाड़ी आगे को चले। इसलिये खेती का महत्व हमारे प्रदेश और देश भर में बहुत बड़ा है। इसलिये यह जो खेती का महकमा है जिसके बारे में अब तक हम यह समझते रहे हैं कि जो हमारे २०-२५ महकमे हैं उनमें एक महकमा हमारा खेती भी है, यह जो हमारा दृष्टिकोण रहा है, उसको हमें छोड़ना होगा और कृषि विभाग को सबसे अधिक महत्व देना होगा, इसको मुख्य विभाग मानना होगा, तभी जाकर हमारे देश का भला हो सकता है।

अब खेती के महकमे पर हमारा कितना ध्यान है, कितना जोर है, यह इससे ही जाहिर हो जाता है कि हमारे माननीय मित्रों न उसके लिए केवल एक दिन ही मांगा। मैं यह उम्मीद कर रहा था कि हमारे माननीय मित्र पुलिस के लिये एक दिन और खेती के लिये चार दिन मांगेंगे। लेकिन मुझे ताज्जुब तब हुआ जब मैंने यह सुना कि हमारे मित्रों ने एकमत से यह कहा है कि पशुपालन पर कोई बहस न होगी, वैसे ही पेश कर दिया जायगा और पास भी हो जायगा। खेती के विभाग के लिये एक दिन और पुलिस के लिये दो दिन का समय रखा है। इससे ही हमारी स्केल आफ वेल्यूज मालूम होती हैं और यह साबित होता है कि खेती की तरफ हमारा ध्यान कम है, जब कि ज्यादा होना चाहिये। क्योंकि बिना खेती पर ध्यान दिये न तो पैदावार ही बढ़ सकती है, न औद्योगीकरण ही हो सकता है, और न हमारा देश मालदार ही हो सकता है। इस संबंध में अपनी कुछ बातें मैं माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे कारखानों के लिये कच्चा माल जमीन से ही आयेगा, पटसन, ईख, तिलहन, मूंगफली और दूसरी चीजें भी जमीन से ही आयेंगी। इसके अलावा कारखानों में काम करने वाले, कारखानों के पैदा किये हुए माल को ढोने वाले और उसको बेचने वाले सब जमीन से ही आयेंगे। जितने भी लोग शहरों में बसे हुए हैं, उनके बाप-दादे कभी न कभी गांवों के ही रहने वाले थे। तो खेती में ही जो हम लोग लगे हुए हैं उन लोगों में से ही दूसरे उद्योग-धंधों में, जब वे बढ़ेंगे, काम करने के लिये वर्कर्स, चाहे वे स्किल्ड हों या नान-स्किल्ड, वे सब खेती से ही आयेंगे और जब तक खेती की पैदावार नहीं बढ़ेगी तब तक खेती पर से वर्कर्स रिलीज नहीं किये जा सकते। खेती का काम करने वाले लोगों की तादाद घटाई जाय तभी खेती से लेबरर्स और वर्कर्स रिलीज हो सकते हैं और वह तभी हो सकता है जब हमें खेती के काम में ज्यादा आदमियों की जरूरत न हो। लेकिन अगर हमारा खेती करने का हुनर ज्यों का त्यों रहे, जमीन ज्यों की त्यों रहे, क्योंकि जमीन तो बढ़ने वाली है नहीं, और खेती पर काम करने वाले घटा दिये जांय तो पैदावार घट जायगी। परन्तु अगर खेती पर पूंजी ज्यादा लगायी जाय, खेती करने का हुनर बढ़ा दिया जाय चाहे जमीन कान्सटेंट रहे, तो वर्कर्स को वहां से रिलीज किया जा सकता है। लेकिन जमीन ज्यों की त्यों रहे,

[श्री चरणसिंह]

काम करने वालों को हटा दिया जाय, खेती का हुनर और उस पर लगी पूंजी न बढ़े तो खेती की पैदावार घट जायगी। हम चाहते हैं कि खेती की पैदावार बढ़े लेकिन जमीन नहीं बढ़ सकती है। आदमी हम खेती पर से हटाना चाहते हैं और फैक्टरीज में लगाना चाहते हैं तो मोटी सी बात यह है कि खेती की पैदावार को हमें बढ़ाना होगा, पूंजी और हुनर को बढ़ाना होगा। खेती की पैदावार बढ़ाये बिना, खेती के हुनर को बढ़ाये बिना और हमारी पूंजी जो खेती में लगी हुई है उसको बढ़ाये बिना वर्कर्स रिलीज नहीं हो सकेंगे जो शहरों में जायं, कारखानों में जायं, जो रिक्शे चलायें, साइकिल चलायें या दूकाने खोलें। यहां तक कि स्कूल और कालेज भी नहीं खुल सकेंगे क्योंकि उनके लिये टीचर्स भी नहीं आयेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं जिक्र कर दूं कि कारखाने के लिये कच्चे माल, और फिर कारखाने को चलाने वालों के लिये भोजन यानी मशीन को फीड करने के लिये रा-मेटिरियल और उन मशीनों को चलाने वाले के लिये फूड स्टफ भी जमीन से ही आयेगा। और अगर आज शहर वालों को या दूसरे पेशे करने वालों को यह मालूम हो जाय कि हमें खाने के लिये अन्न नहीं मिलेगा तो जितनी फैक्टरीज आज हमारे यहां चल रही हैं या दूसरे पेशे जो हमारे यहां चल रहे हैं, वे सब बन्द हो जायं और वे लोग जमीन पर वापस आ जायं क्योंकि जमीन पर ज्यादा आदमी चले जायेंगे तो जमीन से पैदावार बढ़ जायगी। रा-मेटिरियल, फूडग्रेन और वर्कर्स ये तीनों चीजें तभी आयेंगी जब कि दूसरे उद्योग-धंधे या गैर-जराती पेशों को चलाने वाले खेती की पैदावार को बढ़ायेंगे।

इसके अलावा खेती की पैदावार से ही हमारी जनता में क्रयशक्ति आती है, किसान ही हमारे सूबे की जनता है। हमारे सूबे की ८६ प्रतिशत जनता गांवों में ही रहती है और इन ८६ प्रतिशत की आय सीधे जमीन से हासिल होती है। यदि उनकी जेब में पैसे न हों तो कारखाने नहीं चल सकेंगे, औद्योगीकरण नहीं हो सकेगा। जूता कोई खाता तो है नहीं, अगर कोई शख्स जूता पहनना चाहता है हमारे गांवों में, तो उसके लिये पैसे चाहिये। पैसे उसके पास तब आयेंगे जब वह बाजार में कुछ बेंचे। या तो कमर्शियल क्रापस हो या फूड ग्रेन इतना हो गया हो जो उसकी जरूरत से ज्यादा पैदा हो गया हो, उसको वह बाजार में बेंचेगा और जब उसके पास पैसे आयेंगे तभी जूते का पेशा करने वाला भी पैदा होगा और वह अपने जूते बेच सकेगा। इसलिये जहां तक हमारे यहां औद्योगीकरण की बात है, खेती की पैदावार बढ़ जाय जिससे लोगों के पास क्रयशक्ति आ जाय, यह तभी हो सकता है। बाहर से कुछ अन्न मंगाने की जरूरत पड़ जाय तो जरूर मंगायें लेकिन पालिसी हमारी यही है कि हम यहां से मैन्यूफैक्चर्ड आर्टिकिल्स बाहर भेजें उसके बदले में ही अन्न मंगाएं। अध्यक्ष महोदय, जितना अन्न आज हम बाहर से मंगा रहे हैं कुछ दिनों के बाद वहां से अन्न मिलना भी बन्द हो जायगा और हमारी फैक्टरीज का जो माल आज बाहर वाले खरीदते हैं कुछ दिनों बाद वे भी उनको खरीदना बन्द कर देंगे क्योंकि उन सब के यहां भी हमारे यहां की तरह ही फैक्टरीज लग रही हैं और लग जायेंगी। तो अगर अपने देश का औद्योगीकरण करना है तो उसके लिये हमें अपने यहां ही इंटरनल मारकेट बनाना होगा और जनता की क्रयशक्ति बढ़ानी होगी। क्रय-शक्ति खेती की पैदावार से ही आयेगी। इसलिये खेती की पैदावार पर जितना भी बल दिया जाय उतना ही थोड़ा है।

हमें जनता के काम के लिये और सूबे तथा देश के विकास के लिये धन की आवश्यकता है। सोचते हैं कि मालगुजारी बढ़ानी होगी, कभी कभी यह मन में आता है और मालगुजारी बढ़ाने के लिये बहुत सी दलीलें उसके हक में दी जा सकती हैं लेकिन बहुत से कारणों में सब से बड़ा कारण पोलिटिकल है जिससे यह असम्भव है। लिहाजा अगर खेती की पैदावार को बढ़ाया जाय, लोगों की क्रयशक्ति को बढ़ाया जाय, और कंज्यूमर्स गुड्स की डिमांड को बढ़ाया जाय तो उस पर सेल्स टैक्स लगा कर ऐट दि प्वांइट आफ डिस्ट्रिब्यूशन या प्रोडक्शन, उससे देश को आय हो सकती है। तो इस तरह से खेती की पैदावार बढ़ाने से जो स्टेट का खजाना है, जो हमारा एक्सचेकर है उसको धन अधिक मिलेगा। और कहीं हमारी पैदावार इतनी बढ़ जाय

कि हम बाहर से मंगाने के बजाय और बाहर भेज सकें और उसके बदले में हम दूसरे देशों से अपनी जरूरत का दूसरा सामान, जैसे मशीनरी आदि मंगा सकें तो उससे बेहतर स्थिति तो कोई हो ही नहीं सकती। तो मैं बार बार दोहराता हूं कि खेती की पैदावार बढ़ाने में ही हमारा भविष्य और हमारे देश की समृद्धिशालिता या हमारे देश की खुशहाली निहित है या छिपी हुई है।

अब सवाल यह है कि खेती की पैदावार कैसे बढ़ाई जाय ? गवर्नमेंट क्या कर रही है और उसे इस दिशा में क्या करना चाहिये ? मैंने जो कुछ अभी तक थोड़ा सा कहा है उस में मैं बता चुका हूं कि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये मुख्यतः ४ फैक्टर्स सहायक हैं, यानी ४ उत्पादन के साधन हैं। लैंड, लेबर, केपिटल और फार्मिगं आर्ट यानी खेती का हुनर, कृषि विद्या या एग्रीकल्चरल टेक्नालाजी। जमीन तो कहीं से बढ़ती नहीं और हम खेती की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जो बाकी ३ फेक्टर्स हैं फार्मिंग आर्ट, लेबर, केपिटल इन्हीं को बढ़ाना है, एक को बढ़ायें, २ को बढ़ायें या ३ को बढ़ायें। लेकिन ३ में से एक को हम घटाना चाहते हैं और वह हैं वर्कर्स या लेबर, उस को हम दूसरे कामों में ट्रेड, इंडस्ट्री और कामर्स में ले जाना चाहते हैं। तो इस का मतलब साफ यह हुआ कि हमें अब केपिटल, फार्मिगं स्किल या कृषि टेक्नालाजी को ही बढ़ाना होगा, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है।

जमीन जो है वह बढ़ नहीं सकती। जंगल काट कर लाख, दो लाख एकड़ अगर रिक्लेम भी कर लिया तो उससे कोई असर नहीं पड़ता, हालांकि वह चीज भी ठीक नहीं है। अगर हम जंगल काटते हैं तो आनेवाली संतानों के साथ हम अन्याय करेंगे। डिफारेस्टेशन आज नहीं होना चाहिये क्योंकि हमारे यहां कम से कम एक चौथाई जमीन जंगल में रहना जरूरी है जब कि हमारे यहां १३–१४ प्रतिशत ही जंगल की जमीन है। इसलिये कल्टीवेबिल क्षेत्र बढ़ाना तो सम्भव नहीं है और अगर थोड़ा बहुत इमकान है भी तो एक, दो लाख एकड़ से कोई अन्तर नहीं होता। तो जमीन तो कान्सटेंट है, आदमी और लेबर हम वहां से कम करना चाहते हैं तो अब हमें केपिटल और फार्मिगं आर्ट को ही बढ़ाना होगा। अब केपिटल की किस चीज के लिये जरूरत होती है इस पर हमें विचार करना होगा, पानी, खाद, बीज, कृमिनाशक दवायें, अच्छे बैल या कोई बैलों से खेती करना न चाहें तो अच्छी मेशीनरी या और कोई एक दो चीज रह गई हो जिसको मैं न गिना सका होऊं। बाकी यही चीजें आवश्यक हैं।

जहां तक बीज का सम्बन्ध है, बीज गोदामों से सरकार की तरफ से किसानों को बीज दिया जाता है। मैं ज्यादा तफसील में न जा कर बताऊंगा कि सन् ५० में हमारे यहां जो बीज गोदाम थे उन की संख्या २३६ थी। सन् ५१–५२ में २३६ सरकारी बीज फार्म कृषि विभाग की तरफ से थे और ६३५ कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से थे, यह ६३५ भी पहले विभाग के ही थे जिन को कि बाद में गवर्नमेंट ने कोआपरेटिव डिपार्टमेंट को दे दिया था। दस साल बाद ६०–६१ में सरकारी बीज फार्मों की तादाद तो २३६ ही रही लेकिन कोआपरेटिव के ६३५ से बढ़कर १५७४ हो गये और तीसरी प्लान जो सन् ६१ से आरम्भ हुई है उसमें उन की संख्या १,७७४ हो जायगी। और जो कृषि विभाग के बीज भंडार हैं वह ज्यों के त्यों २३६ रहेंगे। इनमें बीज जो दिया गया १९५१–५२ में वह साढ़े १८ लाख टन दिया गया और १९६०–६१ में में ३८ लाख टन। और इरादा यह है कि तीसरी योजना के खत्म होते-होते ६४ लाख टन दिया जा सके।

इन बीज भंडारों से जो आर्टिफिशियल फरटीलाइजर, या इनआर्गेनिक या केमिकल फरटीलाइजर दिया गया वह १९५१–५२ में ४१ हजार टन और १९६०–६१ में २ लाख १२ हजार टन। और विचार यह है कि १९६५–६६ में १२ लाख ९० हजार टन दिया जा सके।

[श्री चरणसिंह]

जहां तक पानी का ताल्लुक है तो अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से पानी जिस जमीन को दिया जाता था १९५१–५२ में उसका रकबा ११८ लाख ८४ हजार एकड़ था जो बढ़कर १९६०–६१ में २ करोड़ ५५ हजार एकड़ हो गया। और १९६५–६६ में इरादा है कि २ करोड़ १२ लाख ९० हजार एकड़ जमीन को पानी दें। यह हमारा टार्गेट है।

अध्यक्ष महोदय, यह कहा जा सकता है और बात ठीक है कि जितना हमको करना चाहिये, या जितनी आवश्यकता है, उतना नहीं हुआ। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि बहुत थोड़ा किया है। जितना हुआ है मैं कम से कम अपनी दृष्टि से संतोषजनक समझता हूं। यह दूसरी बात है जितना करना शेष है वह बहुत ज्यादा है। तो जैसा कि हमारी तीसरी योजना का टार्गेट है उससे साबित होता है कि काफी ऐम्बिशस टार्गेट है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में दरअसल सरकार से जितना बनेगा उतना करेगी। लेकिन किसान को अपने आप सरकार से भी ज्यादा करना है। मसलन बीज की बात है। बहुत से किसान मेरा अपना ख्याल ऐसा है कि पुराना बीज, जो बाप दादा के जमाने से इस्तेमाल करते आये हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते। नया बीज लेना नहीं चाहते और जो उनकी हिचकिचाहट है वह भी समझ में आती है। क्योंकि अगर एक फसल उसकी खराब हो जाती है तो स्टेइंग पावर तो उसकी है नहीं, इसलिये वह रिस्क नहीं लेना चाहता कि न मालूम बीज जमे या न जमे। तो खैर, बीज लेने को उसमें इच्छा जागृत होनी चाहिये और जो बीज एक बार ले लें उसमें मिलावट न हो जाय और उसकी प्योरिटी कायम रहे। यह वही कर सकता है। सरकार नहीं कर सकती है।

जहां तक खाद की बात है, कृत्रिम खाद की बात है, तो नाइट्रोजन फरटीलाइजर्स, फास्फेट्स वगैरह जितनी की किसान को आवश्यकता है उतनी यह सरकार १० साल में नहीं दे सकती है। जितनी पैदावार हमारे देश में है आर्टिफिशियल खाद की वह हमारी जरूरत को देखते हुये बहुत कम है। अरबों रुपये की फैक्ट्रीज लगें, और २, ४ नहीं, शायद ५० फैक्ट्रीज लगें तब जा कर जितनी आर्टिफिशियल खाद की आवश्यकता किसान को है वह मिल सकती है। इसलिये किसान को, जो आर्गेनिक मैन्योर है, जो उसके घर पर पैदा होती है। गोबर की तरफ ध्यान देना होगा। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की जितनी आवश्यकता है उतना मिल जाय तब भी गोबर पर जोर देना होगा। केमिकल फर्टिलाइजर का खालिस इस्तेमाल किया जायगा तो अधिकतर विशेषज्ञों का खयाल यह है कि वह जमीन को खराब कर देगा। इसलिये प्रायः सभी विशेषज्ञ इस राय के हो चुके हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर जरूर इस्तेमाल किये जांय लेकिन १० गुने गोबर में मिला कर इस्तेमाल किये जांय। लिहाजा गोबर के बिना तो हमारा काम चल ही नहीं सकता। उस पर हर सूरत में हमें ध्यान देना होगा। हमारे सामने यह बड़ी भारी समस्या है। उसका जिक्र सदन में किया जाय, मीटिंग में किया जाय लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। जैसा कि मैंने कहा एग्रिकल्चर माइंडेड जैसा हमको होना है वह अभी हम नहीं हुये हैं। उसमें न कहने वालों को, न सुनने वालों को रस आता है। गोबर की रक्षा कैसे हो और जितना गोबर पैदा होता है वह खेत में कैसे पहुंचे यह प्रश्न आज हमारे सामने है।

श्री अध्यक्ष—गन्ने में बहुत रस आता है।

श्री चरणसिंह—जी हां, गन्ने में बहुत रस आता है। उस पर हमारा ध्यान गया नहीं।

अध्यक्ष महोदय, गोबर हमारे यहां इतना पैदा होता है और यह हिसाब लगाया गया है कि अमूमन ४० फीसदी चूल्हे में जाता है। गोबर बना था खेत के लिये और ईंधन के तौर पर चूल्हे में झोंका जा रहा है और २० फीसदी बरबाद हो जाता है जमा नहीं होता। केवल ४० फीसदी जो बचता है वह खेतों में जाता है और उसमें से भी अमोनिया आदि एवोपरेट हो जाने की वजह से उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है।

तो हम सबको यह कोशिश करनी है कि किसान को गोबर जलाना न पड़े। अध्यक्ष महोदय, किसान मूर्ख नहीं है। किसान यह जानता है कि परमात्मा ने गोबर उसके खेत की पैदावार को बढ़ाने के लिये पैदा किया है। लेकिन उसे रोटी भी खानी है और ईंधन उसके पास है नहीं। लिहाजा उसे मजबूर हो कर गोबर जलाना पड़ता है। अब अगर हम गोबर की रक्षा कर सकें और जितना खेत को चाहिये उतना पहुंचा सकें तो फिर किसान के लिये ईंधन चाहिये और हमें गोबर का विकल्प पैदा करना होगा, व्याख्यानों से काम नहीं चलने का।

इसका इलाज यही हो सकता है कि जो जमीन गांव पंचायत के पास है उसमें श्रमदान से दो-दो फीट दीवार उसके चारों तरफ बनवा कर उस जमीन को खाली छोड़ दें और बबूल का बीज डाल दें। दीवार इसलिये बना दें कि पानी निकल न सके और जानवर घुस न सकें। वह बबूल का दरख्त ३, ४ या ५ साल में अपने आप पैदा हो जायेगा और किसानों के लिये ईंधन का पंचायत की तरफ से इन्तजाम हो जायगा। खर्चा इसमें कुछ है नहीं।

दूसरे, जो हमारे खेतों की मेड़ है उस पर हम ऐसे दरख्त लगायें जिनकी शाखायें ज्यादा न फैलें जिनकी जड़ भी न फैले और इस तरह से वे फसल को मारते नहीं है। बबूल की तरह तीन चार किस्म के और पेड़ हैं जिनके मुझे बोटेनिकल और साइंटिफिकली नाम मालूम हैं लेकिन अपनी भाषा में हम क्या कहते हैं यह मुझे मालूम नहीं है। तो वह दरख्त बोये जा सकते हैं और मैंने सुना है कि हमारे देश में कुछ जगहों पर इसका तजुर्बा भी हुआ है कि ऐसे फास्ट ग्रोइंग ट्रीज--ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तीन चार साल में तैयार हो जाते हैं--खेत की मेंडों पर बोये जा सकते हैं गैर मजरुआ जमीन के अलावा भी। इसके अलावा हमारी अरहर की लकड़ी, दाड़ी की लकड़ी, मक्का की गिल्ली, ये सब चीजें ईंधन का काम दे सकती हैं। तो इधर हमें लोगों को रागिब करना है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ एक बड़ा काम हमको यह करना है कि आज जो हमारे चूल्हे हैं, उनमें जितना ईंधन हम जलाते हैं और उससे जितनी आग पैदा होती है उसकी आधी या ४० फीसदी बेकार जाती है। इसलिये हमको ऐसे चूल्हे इंवेन्ट करने हैं जिससे कि हम जितना ईंधन लगायें और उससे जितनी एनर्जी पैदा हो वह सारी की सारी तवा या पतीली को गरम करने के काम में आये और वेस्ट कम हो। जैसा कि मैंने शुरू में संकेत किया था, चूल्हे, के बाद पतीली की बात, गोबर की बात, पढ़े-लिखे सदन में इसका जिक्र करना कुछ अटपटा सा लगता है, लेकिन अगर हमने चूल्हे और गोबर पर ध्यान नहीं दिया तो अन्न भी पैदा होने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, चिनहट में हमारे प्लानिंग रिसर्च ऐंड ऐक्शन इंस्टीट्यूट का सेंटर है। बड़ा अच्छा काम कर रहा है। माननीय प्रतापसिंह बहुत चहक रहे हैं, वे जरा जा कर देखें।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--अध्यक्ष महोदय, "चहकना" शब्द पार्लियामेंटरी है ?

श्री चरणसिंह--अनपार्लियामेंटरी नहीं है। चिड़ियां भी तो सवेरे चहकती हैं, क्या वह आपको अच्छा नहीं लगता ?

मैं यह कह रहा था कि प्लानिंग रिसर्च ऐंड ऐक्शन इंस्टीट्यूट ने चिनहट और बख्शीका तालाब में एक चूल्हा तैयार किया है और हमारे लखनऊ जिले के कुछ गांवों में लगाया भी है। मैं उनको देखने भी गया था और मैंने कुछ सजेशंस भी दिये थे। उसमें अभी कुछ सुधार की गुंजाइश है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार यह बात है, उसके मुताल्लिक ही है, अलग की बात नहीं है कि हमारे यहां गांव के सभी लोग, बहुत कम लोगों को छोड़ कर, मल त्याग करने के लिये जंगल या खुले मैदान में बैठते हैं जिससे हवा भी खराब होती है, घृणा भी लगती है और तन्दुरुस्ती भी खराब होती है। इसी प्लानिंग रिसर्च ऐंड ऐक्शन इंस्टीट्यूट ने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से

[श्री चरणसिंह]

एक डाक्टर लिया हुआ है और उसने चिनहट के आस-पास के ग्रामीणों के स्वास्थ्य का सर्वे किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि ५६ फीसदी आदमियों को हुक वर्म, पेट के कीड़े का रोग है। वैसे तो ७४ फीसदी लोग रोगी हैं, लेकिन ५६ फीसदी तो केवल हुक वर्म के रोगी हैं। उसका कारण क्या बतलाया उन्होंने ? वह यह कि गरीबी के कारण हमारे गांव के लोग जूता बहुत कम पहन पाते हैं। एक खेत में कोई आदमी गया और मल त्याग आया। उसी रोज या उसके दो, चार रोज बाद दूसरा आदमी नंगे पैरों गया तो जो जमीन पर मल पड़ा हुआ है उससे कीड़े पैदा होते हैं और नंगे पैरों वाले आदमी की एड़ी में घुस जाते हैं और उसके जरिये पेट में हुक वर्म बन जाता है। तो जो यह मल त्यागने का रिवाज हमारे यहां है जो कि हर तरीके से कड़ेमनेबिल है और खासतौर से हमारी बहू बेटियों के लिये तो और भी एक लज्जा का विषय हो जाता है इसके लिये अगर हम छोटे-छोटे लैट्रिन्स बनवा सकें जो गांव का हर गरीब आदमी भी बनवा सकें तो यह समस्या हल हो सकती है। उन्होंने इस तरह का इन्वेन्शन किया है कि १२ रुपये में एक लेट्रिन लग जाती है। मैं, माननीय गेंदासिंह जी, जो मेरे सामने बैठे हुये हैं और माननीय हरीशचन्द्रसिंह जी, तीनों इस लेट्रिन को देखने गये थे। और घर के अन्दर हमने जाकर देखा कि एक बड़े कमरे में रसोई है। मैंने सोचा कि यह लोग मुझे रसोई में ले आये इसलिये मैंने कहा कि रसोई में ले आये। उसने कहा कि टट्टी में ही ले जा रहा हूं। उसी कमरे के एक कोने में टट्टी भी बनी हुई थी। वहां न तो एक भी मक्खी थी और न बदबू ही थी और किसी प्रकार भी जो रसोई की शुद्धता, सफाई और पवित्रता होनी चाहिये उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा था। उस बड़े कमरे के एक कोने में वाटर सील्ड टट्टी बनी हुई थी।

मेरे मजमून से यह चीज इसलिये वास्ता रखती है कि एक बार टट्टी बन जाने पर वह तीन साल तक काम देती है। उसके पीछे एक टैंक होता है जो तीन साल बाद बदल दिया जाता है। वह मैन्योर बन जाती है और हमारी खेती की पैदावार बढ़ाने के काम में आ सकती है। प्रतापसिंह जी, मोतीलाल अवस्थी जी तथा अन्य सभी सदस्यों से मेरा यह कहना है कि जाकर देखिये और अपनी कांस्टीट्टुएन्सी में जाकर राज्य कर्मचारियों की मदद कीजिये।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक गैस प्लांट भी सामने आ रहा है जो मैन्योरिंग पावर को बढ़ा देता है। अगर हम टट्टी, चूल्हा और गैस प्लान्ट का प्रचार गांवों में कर दें और गांव वाले इनको समझने लगें और प्रयोग करने लगें तो इससे बढ़कर और कोई सेवा गांव वालों की नहीं हो सकती है।

खैर गोबर बचाने के लिये हमें तरकीब सोचनी है। इसमें गवर्नमेंट का काम बहुत थोड़ा है। अफसरों का काम यह था कि अच्छा चूल्हा, अच्छी टट्टी और गैस प्लान्ट निकाल दें, वह हो गया है, अब सवाल यह है कि इनका एडाप्शन गांव वाले कर लें। वह जिम्मेदारी राज्य कर्मचारियों की थोड़ी है और हमारे साथियों की तथा पब्लिक वर्कर्स की बिला लिहाज किसी पार्टी के ज्यादा है।

अध्यक्ष महोदय, अब रही पानी की बात। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आबपाशी का इन्तजाम करोड़ों रुपया लगाकर किया जा रहा है। हमारे यहां कल्टीवेबिल लैंड का रकबा करीब ५ करोड़ एकड़ है और करीब २ करोड़ एकड़ के लिये सिंचाई का हमने इन्तजाम किया है। आधे से ज्यादा जमीन ऐसी रह जाती है जिसमें स्टेट्स सोर्स आफ इर्रीगेशन कुछ भी नहीं है। इसके लिये पक्के कुयें हों, रहट लगे हुये हों, और चकबन्दी की हुई जमीन हो। यह जो ट्यूबवेल और बांध लग रहे हैं उनसे गवर्नमेंट का करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। इसलिये पक्के कुयें और रहट पर जोर देना चाहिये। यह जल्दी बन जायेगा और पैसा भी कम लगेगा। बांध में दो साल की सोचते हैं और पांच साल लग जाते हैं और फारेन एक्सचेंज की भी जरूरत पड़ती है।

श्री मदन पांडेय—श्रीमन्, औरों को भी बोलना है।

श्री चरणसिंह––श्रीमन्, पहले यह शिकायत हुई थी और शायद पालीवाल जी ने की थी कि मंत्री पहले ही सारी बातें कह दिया करें ताकि हमें कहने का मौका मिल सके। अब दुबारा मैं पांच मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष––उनका इतना ही कहना है कि उस अनुदान के लिये दो दिन थे और इसमें एक ही दिन निश्चित है।

श्री चरणसिंह––पहली बात तो यह होगी कि गलतफहमी का सवाल नहीं रहेगा और दूसरा फायदा यह होगा कि वह लोग आफिशियल मशीनरी से स्वतंत्र रहेंगे। इसके अलावा पानी सस्ता भी पड़ेगा। हमारे मुल्क में आदमी सस्ता है बनिस्बत मशीन के। जिन मुल्कों में मजदूर गरां पड़ता है वहां मशीन के जरिये काम किया जाय। वहा मशीनों के जरिए आबपाशी के इन्तजाम किये जांय। लेकिन हमारे देश में तीन एकड़ की जमीन और ट्यूबवेल के लिये इन्तजार में बैठा हुआ है किसान कि बटम दबायेगा तब पानी आयेगा। बैल खाली बैठे हैं, आदमी खाली बैठा है। खाली बैठने में भी आदमी उतना ही खाता है और बैल भी उतना ही खाते हैं, जितना काम करते वक्त। लिहाजा हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, और खास तौर से खेती के क्षेत्र में, वही प्राजेक्टस, स्कीमें लाभदायक होंगी जिनमें हमारी लेबर पावर वेस्ट न हो। तो अगर कुयें होंगे, रहट होगा, तो बैलों से रहट चलता है, अगर रहट न हो तब भी पानी बैलों के जरिये खींचा जा सकता है। आदमी का श्रम काम में आ जायगा, बैल जो खाली बैठते हैं वह काम में आ जायेंगे इसलिये हर तरह से कुओं का ज्यादा प्रचार होना चाहिये। हमने इतना जोर दिया, हर पोलिटिकल पार्टी ने, एम०एल०ए० और नान एम० एल०एज० ने, कि ट्यूबवेल बनें, नहरें बनें, बांध बनें, टू मच एम्फैसिस, नतीजा क्या हुआ कि पुराने जितने हमारे कुयें थे दे आर आल नाऊ आउट आफ यूज।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)––पी० एस० पी० ने नहीं किया ऐसा।

श्री चरणसिंह––वह बेकार होगा। अगर १९५१ की सेंसेस रिपोर्ट हम पढ़ कर देखें तो पूर्व के जिलों में ३६ फीसदी जमीन जेरे आबपाशी थी। पश्चिम जिलों में पौने ३४ फीसदी। फर्क यह था कि पश्चिम के जिलों में नहर और ट्यूबवेल थे और हमारे पूर्वी जिलों में कुंये थे। कच्चे या पक्के। हम ट्यूबवेल पर जोर तो देते चले गये, लेकिन नतीजा यह हुआ कि आबपाशी का जितना प्रतिशत पहले था शायद उतना ही होगा। बढ़ा नहीं। तो मेरा कहना यह है कि हमें कुओं की तरफ फिर ध्यान देना है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)––हमने चार वर्ष पहले यही कहा था जो आज आप कह रहे हैं।

श्री चरणसिंह––आप ज्यादा बुद्धिमान थे। प्लान्ट प्रोटेक्शन सर्विस, कृमि नाशक दवाओं का इन्तजाम, जो धान में गंधी लग जाती है या जो गेंहू और गन्ने में रोग लग जाते हैं, उनको दूर करने का इन्तजाम होना चाहिये। उसके लिये १९५१–५२ में २४ यूनिट्स थी और अब ४८ यूनिट्स हैं। थर्ड फाइव इयर प्लान में उनको बढ़ाने का इरादा नहीं है बल्कि कोशिश यह है कि किसानों को सिखायें कि वह स्वयं कृमि नाशक दवायें रख सकें।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुये।)

डस्ट्स वगैरह जिनकी ज्यादा कमी नहीं है वह किसान इंडिवीजुअली या पंचायत की तरफ से या कोआपरेटिव सोसाइटी की तरफ से हासिल कर लें और गवर्नमेन्ट के अफसरों का मशविरा उनके डिस्पोजल पर हो।

[श्री चरणसिंह]

अब रहा यह—बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेज । उसमें तीन स्टेजेज हैं—रिसर्च, ट्रेनिंग और एक्सटेंशन । नयी चीज का अनुसंधान किया जाना, उनमें विद्यार्थियों या अफसरों का प्रशिक्षण और अब जन सेवकों को वह विद्या आ जाय तो उसका प्रसार गांव-गांव तक पहुंचाना । जहां तक रिसर्च का ताल्लुक है आज २५ रिसर्च स्टेशंस कायम हैं । पहले ११ थे और आज २५ हैं । आगे हमारा इरादा यह है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन २५ रिसर्च स्टेशन को ज्यादा स्टाफ दिया जाय और १४ नये और खोले जायं और नये बीज तथा नये प्रकार से खेती करने के ढंग भी खोजे जायं ।

जहां तक ट्रेनिंग का वास्ता है गवर्नमेन्ट एग्रीकल्चर कालेज, कानपुर तो पहले से था ही, इसके अलावा २० डिग्री कालेज हैं जहां पर खेती की पढ़ाई होती है । ११ एग्रीकल्चर के स्कूल हैं जहां पर खेती की शिक्षा दी जाती है । अब रुद्रपुर यूनिवर्सिटी कायम हो चुकी है और अगले साल से वह पूरा काम करना शुरू कर देगी । एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट, जो नई-नई खोंज हो रही हैं, उनसे वाकिफ रहे, उसकी नालिज आउट आफ डेट न हो जाय इसके लिये रिफरेशर कोर्स तीसरी पंचवर्षीय योजना में चलाने का विचार है ।

जहां तक एक्सटेंशन का सवाल है उसके लिये, जो हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट के राज्य कर्मचारी प्रदेश के कोने-कोने में और देहात-देहात में फैले हुये हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वह काम भी सुचारु रूप से चलता रहे ।

अब अधिष्ठाता महोदय, जहां तक पैदावार का वास्ता है इस पैदावार के सिलसिले में तरह-तरह की गलतफहमियां अक्सर हमारे दोस्तों को होती हैं और उसी के आधार पर वह कहते हैं । उसके मुताल्लिक मैं आपकी इजाजत से बहुत थोड़े से आंकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

सन् १९५५–५६ में जब हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना का आखिरी साल था तो हमारे यहां ११८ लाख ६७ हजार टन कुल गल्ला पैदा होता था और हमारा लक्ष्य यह था कि १९५५–५६ में वह २४ लाख टन बढ़ जायगा । अब हमारे यहां १९६०–६१ में जो पैदा हुआ वह १३५ लाख ४० हजार टन हुआ लेकिन यह जो हमारे यहां एस्टीमेट है उसके आंकड़े हैं, क्योंकि क्राप कटिंग सर्वे का रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन वह १३७ लाख टन होगा । हिन्दुस्तान भर में टारगेट जो था वह १५५ लाख टन का था, लेकिन केवल बढ़ा है १०० लाख टन यानी दो तिहाई बढ़ा है । हमारा २४ लाख में १५,१६ लाख है और हो सकता है वह १७,१८ हो जाय । जो एवरेज हिन्दुस्तान का है वही रहा ।

जहां तक पटसन का सम्बन्ध है हमारे यहां उसका टारगेट यह था कि पहले हमारे यहां ८९ हजार गांठ (बेल्स) पैदा होती थी और उसको हम १२० हजार करना चाहते थे । १२० हजार गांठ हम पैदा करना चाहते थे उसके बजाय १४० हजार गांठ हमारे यहां बढ़ गई यानी टारगेट हम जूट की पैदावार में २० हजार गांठ आगे बढ़े ।

जहां तक कपास का सम्बन्ध है हमारे यहां २९ हजार गांठ पहले पैदा होती थीं । ८१ हजार का हमारा बढ़ाने का टारगेट था कि हमारे यहां ११० हजार गांठ पैदा हों लेकिन पैदा हुआ है कुल ५४ हजार । तो यह पीछे रहा । जो तिलहन है उसमें ४ लाख २४ हजार टन पैदा करने की बात थी और ४ लाख ५६ हजार टन पैदा हुआ । यह टार्गेट से ज्यादा पैदा हुआ । लाख २० हजार मन पहले होता था, २० हजार मन बढ़ाने की बात थी । वह १९६०-६१ में पैदा होगा । गन्ने की पैदा-वार गुड़ के टर्म्स में आंकी जाती है । १० मन गन्ने का एक मन गुड़ आंका जाता है । १९५५–५६ में गन्ना पैदा होता था २९ लाख ४० हजार टन और हम बढ़ाना चाहते थे ५ लाख ६० हजार टन और । तो वह टार्गेट पूरा हो गया । ३५ लाख टन हमारे यहां गन्ना १९६०–६१ में पैदा होगा । शायद

मेरा एस्टीमेट अंडर एस्टीमेट है, मुमकिन है कि कुछ ज्यादा हो जाय। तो अध्यक्ष महोदय, यह फीगर्स मैंने इसलिये बतला दिये ताकि हमारे मित्रों को अपना व्याख्यान देने में आसानी हो जाय।

श्री मदन पांडेय—अधिष्ठाता महोदय, रक्षा कीजिये, डेढ़ घंटा हो गया है।

श्री चरणसिंह—मैं बैठ सकता हूं और अगर कहिये तो बाद में भी जवाब नहीं दूंगा। ऐसी कौन सी बात मैंने कही है कि जो इर्रेलिवेंट है। अधिष्ठाता महोदय, अभी घंटा भर भी नहीं हुआ और यह बातें होने लगीं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे कैसी स्पीचेज होंगी। ४० मिनट को डेढ़ घंटा बना दिया।

श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)—कृपया मंत्री जी सहकारी कृषि के लाभों पर भी प्रकाश डाल दें तो हम लोगों को बोलने में सुभीता होगा।

श्री अधिष्ठाता—माननीय मंत्री ने आपकी बातें सुन ली हैं। आप अब कृपया बैठिये।

श्री चरणसिंह—पहली बात यह है कि सहकारिता मेरा विषय नहीं है। एग्रीकल्चर से उसका कोई वास्ता नहीं है। वह कोआपरेटिव विभाग की बात है। दूसरी बात यह है कि सहकारी खेती के मुताल्लिक जो मैंने पहले कहा था, जब कभी जितना कहा था, वही गवर्नमेन्ट की नीति है।

श्री खजानसिंह चौधरी (जिला उन्नाव)—आपकी नीति बिलकुल ठीक है।

श्री चरणसिंह—उस में एक लफ्ज भी इधर से उधर नहीं हुआ। रजामंदी से जो सहकारी खेती करना चाहते हैं उसका स्वागत है। कांग्रेस की नीति यह है, आल इंडिया कांग्रेस की नीति यह है, उनके बंगलोर का रेजोल्यूशन यह है। लेकिन किसी एक किसान को उसकी मरजी के खिलाफ मजबूर नहीं किया जायगा कि वह कोआपरेटिव फार्मिंग करे ही। माननीय सदस्यों को तसल्ली हो जाय इसलिये इतना मैंने बीच में इस बारे में बता दिया।

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा था कि पैदावार हमारे सूबे में बढ़ रही है या घट रही है इस पर अक्सर यहां चर्चा हो जाती है। मैं यह थोड़े से आंकड़े सुनाना चाहता हूं जो पैदावार के मुताल्लिक हैं। सन् १९५०-५१ में हमारी पैदावार थी ११५ लाख ८० हजार टन, १९५१-५२ में हुई १०७ लाख ७१ हजार टन, १९५२-५३ में हुई ११९ लाख १४ हजार टन, १९५३-५४ में हुई १२३ लाख ५६ हजार टन, १९५४-५५ में हुई १३० लाख ६९ हजार टन, १९५५-५६ में घट गयी, हुई ११८ लाख ६७ हजार टन, १९५६-५७ में हुई १३४ लाख १५ हजार टन, १९५७-५८ में १११ लाख ८३ हजार टन, १९५८-५९ में १३४ लाख १५ हजार टन, और १९५९-६० में १३१ लाख ६१ हजार टन।

अब सवाल यह उठता है कि पैदावार बढ़ी है या नहीं। कहीं १२१ लाख और कहीं १३४ लाख तो बढ़ी जरूर है। हमारे यहां फसल कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है। यह जो हमारे मित्रों का स्वर्गलोक है, हमारे देश के नजदीक, वहां भी पैदावार का अनुमान तो लगाते हैं ३ लाख टन का, किन्तु बाद में ३३ फीसदी की कमी हो जाती है। जो अमेरिका और दूसरे देश हैं उनमें भी मौसम के कारण एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन घटता बढ़ता रहता है। यह लाजमी है क्योंकि यह कोई मैकेनिकल प्रोसेज नहीं है। नैचुरल प्रोसेज आप कह सकते हैं। आप मैकेनिकल प्रोडक्शन पर तो कन्ट्रोल कर सकते हैं। उसमें हिसाब लगा सकते हैं कि इतना रा-मैटीरियल डाला गया, इतनी लेबर लगी, लिहाजा इतनी पैदावार होगी, मैथिमेटिकली आप हिसाब लगा कर बता सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कभी इस तरह से नहीं निकल सकता। उसमें कुछ एसे फैक्टर्स हैं जो आदमी के कंट्रोल के बाहर हैं। लिहाजा पैदावार घटती और बढ़ती रहती है।

[श्री चरणसिंह]

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मदन पांडेय को बतलाना चाहता हूं कि दुनिया भर के विशेषज्ञों ने एक फार्मूला निकाला और वह है थ्री--इयरली मूविंग एवरेज--इसको कहते हैं। जिस सालका हमको प्रोडक्शन निकालना होता है उसके एक साल पहले का और एक साल बाद का हम प्रोडक्शन ले लेते हैं। इसके अनुसार अगर हम सन् ६०-६१ की पैदावार मालूम करना चाहें तो नहीं मालूम कर सकते, किन्तु १९५९-६० की पैदावार मालूम कर सकते हैं। उसके लिये हम इस मूविंग एवरेज फार्मूले के अनुसार ५८-५९ ५९-६० और ६०-६१, इन तीनों सालों की पैदावार को लेकर एवरेज निकाल सकते हैं। हमने जो थ्री एवरेज पैदावार निकाली है वह इस प्रकार है।

१९५१-५२ में ११४.२५ लाख टन, १९५२-५३ में ११६.८० लाख टन, १९५३-५४ में १२४.४६, १९५४-५५ में १२४.३१, १९५५-५६ में १२४.५०, १९५६-५७ में ११८.२२, १९५७-५८ में १२३.३८ और १९५८-५९ में १२५.८६ लाख टन है। तो इस तरह से हमारा इस्टीमेट है कि १९६०-६१ में हमारा प्रोडक्शन १३६ या १३७ लाख टन हो जायेगा और १९५९-६० का जो मूविंग एवरेज होगा वह १३३.९२ लाख टन होगा।

तो इन आंकड़ों से बहुत आदमियों को सैटिसफैक्शन होगा और हम यह देखेंगे कि इस क्षेत्र में हमारा सूबा तरक्की कर रहा है और पैदावार बढ़ रही है।

अधिष्ठाता महोदय, अब जहां तक कामर्शियल क्राप्स का ताल्लुक है, जैसा मैंने कहा, पटसन बढ़ा है, शुगर केन के भी टार्गेट्स पूरे हो गये, लेकिन ईल्ड पर एकड़ क्या हिसाब है, उसका क्या औसत है, वह बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा। तो अधिष्ठाता महोदय, मेरे पास फिगर्स १९५७-५८, १९५८-५९ और १९५९-६० तीन साल के हैं बराबर आल इंडिया स्टेट्स के। उनके देखने से मालूम होता है, और माननीय मित्र चाहें तो किसी पर्टिकुलर साल के और पर्टिकुलर फसल के सुना सकता हूं। लेकिन समय कम खर्च हो, इसलिये कहना चाहता हूं कि धान या चावल और गन्ने की पैदावार को छोड़ कर हर दूसरी फसल की पैदावार की एकड़ उत्तर प्रदेश की ज्यादा है, बढ़ी है, बनिस्बत आल इंडिया एवरेज प्रोडक्शन पर एकड़ के। यह हर फसल की बात है, चावल और गन्ने को छोड़कर। तो इन चीजों की तरफ हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है।

आपकी इजाजत से एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि गन्ना १७-१८ जिलों का प्रिंसिपल क्राप है, एरिया बढ़ता जा रहा है। मैंने आंकड़े इस वक्त मंगाये नहीं, पुराने ही हैं, कुछ गलती हो सकती है १०-२० हजार की। १८-१९ लाख एकड़ १९४७-४८ में गन्ना बोया जा रहा था, अब ३४ लाख एकड़ बोया जा रहा है। १९४८-४९ की पैदावार के फिगर्स नहीं मालूम हैं और न इसी साल के मालूम हैं, लेकिन अगर पैदावार की फिगर बढ़ी है तो बहुत कम बढ़ी है--मेरा मतलब एवरेज से है। हां, पर्टिकुलर जोन्स की बढ़ गयी हो तो बात ठीक है। गन्ने में जो हमारी प्रिंसिपल लैन्ड है वह किसान डाइवर्ट कर देते हैं और जमीन थोड़ी-थोड़ी है, क्योंकि आमदनी इससे ज्यादा होती है। कैश क्राप है तो बहुत से किसान मेरठ में और देवरिया में भी ९० फीसदी अपनी जमीन में गन्ना बो देते हैं और फिर उससे जो पैसा आता है उससे गेहूं या मक्का ज्वार खरीदते हैं और फिर भी मुकाबिला नहीं कर पा रहे हैं दक्षिण के गन्ना बोने वालों से।

हमारे यहां ४-५ महीने फैक्टरियां चलती हैं--बल्कि ३ से ५ महीने--गन्ना रह नहीं सकता गर्मियों के दिनों में। उनके यहां, दक्षिण में, ८ महीने चलती हैं, ८ महीने तक गन्ना खड़ा रहता है और फी एकड़ प्रोडक्शन ज्यादा है, शुगर कंटेंट्स ज्यादा हैं। उनको तीनों प्रकार के एडवांटेजेज हैं--पर एकड़ प्रोडक्शन गन्ने का ज्यादा है, गन्ने में चीनी की पैदावार ज्यादा है और इसके अलावा ८ महीने फैक्टरी चलती है। तो उनसे कैसे मुकाबिला किया जाय, यह मामूली

सवाल नहीं है। इससे हमारे किसानों पर ही नहीं, सारे सूबे की अर्थ व्यवस्था पर, गन्ने का क्या भविष्य होगा, उसका बहुत असर पड़ेगा। और रुकावटें तो आदमी की कोशिश से कुछ दूर हो सकती हैं, लेकिन जो क्लाइमेटिक फैक्टर है वह यह है कि अत्याधिक ठंड का पड़ना, सीवियर कोल्ड का होना, जो कि गन्ने के लिये हानिकारक है दक्षिण में ऐसा नहीं है, इसलिये वहां गन्ना ज्यादा पैदा होता है। यह जो क्लाइमेट का सवाल है वह आदमी के कंट्रोल के बाहर की बात है लेकिन और चीजें जो हो सकती हैं उन पर हमें ध्यान देना है और गन्ने की पैदावार हमको बढ़ानी है।

अधिष्ठाता महोदय, जो हमारे सीरियल्स हैं स्टैपिल फूडग्रेंस के अलावा, जो और खाद्य पदार्थ हैं उनकी तरफ हमें ध्यान देना है, तन्दुरुस्ती के लिहाज से भी और अन्न पर जो बोझा है उसको कम करने के लिये भी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ध्यान उनकी तरफ विशेष हो रहा है। इस सिलसिले में बागात में सहूलियत दी जा रही है, नयी जमीन पर बागात लगाने के लिये या पुराने बागों को हटाकर नये बाग लगाने के लिये। पपीते पर, गन्ने पर और आलू वगैरह पर ध्यान है और उसके लिये स्कीम्स बनी हुई हैं। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं लेकिन श्री मदन पांडेय जी की शिकायत को ध्यान में रखते हुये मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

अधिष्ठाता महोदय, अब सवाल यह है कि हमारा प्रदेश मालदारी, खुशहाली या प्रोग्रेस में पिछड़ा हुआ है। पैदावार, जैसा मैंने कहा कि हमारे यहां दो क्राप्स को छोड़कर, अगरचे वह प्रिंसिपल क्राप्स हैं, पैड़ी और शुगरकेन, और फसलों की ज्यादा है। दूसरे सूबे जो हमसे कुछ पिछड़े हुये थे वह कुछ आगे निकलते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? और उसी की वजह से हम शिक्षा में भी पीछे रह गये, सड़कों में भी पीछे रह गये, अस्पताल में भी पीछे रह गये और दूसरे सूबे तरक्की करते जा रहे हैं। तो जहां तक गन्ने और चावल का सवाल है, चावल में हमारे यहां करीब एक करोड़ एकड़ जमीन लगी हुई है और इतने में ही करीब-करीब गेहूं है। तो एक तो इसका असर है, और गन्ने की भी पैदावार कम है इसलिये इसका भी असर है। लेकिन इसके अलावा दो और फैक्टर्स हैं।

सबसे बड़ा फैक्टर यह है जमीन पर कैपिटा, फी व्यक्ति हमारे यहां केवल तीन स्टेट्स को छोड़कर सबसे कम है। अगर रीजनवाइज देखा जाय जैसा कि आप ५१–५२ को सैन्सस रिपोर्ट में देखेंगे उसमें रीजन गिनाये गये हैं नार्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और नार्थ वेस्ट इंडिया। अब नार्थ इंडिया जो है उसके माने केवल यू०पी० के हैं। साउथ इंडिया में केरल, मैसूर, आंध्र और मद्रास आते हैं। ईस्ट इंडिया में बिहार, उड़ीसा, आसाम और बंगाल आते हैं। और वेस्ट इंडिया में गुजरात, बाम्बे, सौराष्ट्र वगैरह हैं। सेंट्रल इंडिया में सारा मध्य प्रदेश है और नार्थ वेस्ट इंडिया में राजस्थान, पंजाब (पेप्सू भी उसमें शामिल हो गया) और जम्मू वगैरह। तो उसमें कल्टीवेटेड लैन्ड पर कैपिटा आफ दि एग्रीकल्चरल पापुलेशन हमारे यहां सबसे कम है। नार्थ इंडिया में ०.९१ एकर्स, साउथ इंडिया में १.१७ एकर्स, ईस्ट इंडिया में १.२५ एकर्स, वेस्ट इंडिया में २.२९ एकर्स, सेंट्रल इंडिया में २.५७ एकर्स और नार्थ वेस्ट इंडिया में २.५९ एकर्स है। और कल्टीवेटेड लैन्ड पर कल्टीवेटिंग फैमिली भी हमारे यहां सबसे कम है। हमारे यहां ४.८ एकड़, साउथ इंडिया में ५.७ एकड़, ईस्ट इंडिया में ६.३ एकड़, वेस्ट इंडिया में ११.७ एकड़, सेंट्रल इंडिया, में ११.९ एकड़ और नार्थ वेस्ट इंडिया में १३.१ एकड़ है। ड्योढ़ी, ढाई गुनी और तिगुनी तक। एंड लैन्ड इज दि सोर्स आफ आल वेल्थ अल्टीमेटली। सारी चीजें उसी से आती हैं, चाहे वह प्राइमरी प्रोडक्ट हों और चाहे प्रासेस की हुई हो फैक्टरी में, लेकिन पैदावार जमीन की ही होती है। और जमीन हमारे यहां फी कस कम है। बिहार में करीब-करीब हमारे बराबर है, कुछ जरा सी कम है। केरल में हमसे बहुत कम है। बंगाल में भी हमसे कुछ कम है। इन तीन स्टेट्स को छोड़कर सारे हिन्दुस्तान के मुकाबिले में जमीन हमारे यहां फी व्यक्ति और फी किसान कम है। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण यह है कि नान-एग्रीकल्चरल आकूपेशंस में आमदनी ज्यादा होती है। तिगुनी

[श्री चरणसिंह]

और दुगनी होती है। अब से पहले चार गुनी भी हुआ करती थी। हमारे यहां बिहार और उड़ीसा को छोड़कर एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा आदमी लगे हुये हैं और नान-एग्रीकल्चरल आकूपेशंस में सबसे कम लगे हुये हैं। गरीबी का दूसरा कारण यह है।

अधिष्ठाता महोदय, आपकी इजाजत से सन् १९५१ के आंकड़े में सुना देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में खेती में लगे हुये लोग हैं सवा ७४ फीसदी और इंडस्ट्री में हैं ८.४ फीसदी। बिहार में खेती में ८६ फीसदी है, जो हाल देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गाजीपुर और बलिया का है जो इलाके कि बिहार से मिलते हैं, ८६ परसेंट तो नहीं होगा लेकिन करीब करीब उतना ही है। और मेरे माननीय मित्र सामने बैठे हैं, कहते हैं सभी को खेती करनी चाहिये। आपके यहां साढ़े ८७ फीसदी किसान हैं और ५ फीसदी लेबरर्स हैं, कुल मिलाकर साढे ९२ फीसदी हुये। यह हालत देवरिया की है और यही हालत छपरा और शाहाबाद की है। तो बिहार में सबसे ज्यादा हैं और वहां इंडस्ट्री में हैं ३.९ फीसदी। बिहार शायद हमारे यहां सबसे पुअर स्टेट है और शायद हैवी इंडस्ट्री वहां सबसे ज्यादा है। जमशेदपुर तो बिहार के अन्दर ही आता है। उड़ीसा में ७९.३ फीसदी एग्रीकल्चर में हैं और इंडस्ट्री में हैं ६.३ फीसदी। वेस्ट बंगाल में एग्रीकल्चर में है ५७.२ फीसदी और इंडस्ट्री में १५.४ फीसदी। यह फिगर्स सन् १९५१ की है और १९६१ की जो आयेंगी तो कोई ताज्जुब नहीं होगा कि १५.४ की जगह २१ फीसदी इंडस्ट्री में हो जायं और एग्रीकल्चर में ५७ के बजाय ५५ या ५३ फीसदी रह जायं। तो समझो कि वह स्टेट प्रोग्रेस कर रही है।

आसाम में एग्रीकल्चर में हैं ७३.३ फीसदी और इंडस्ट्री में १४.७ हैं। मद्रास में एग्रीकल्चर में ६४.९ फीसदी हैं और इंडस्ट्री में १२.४ फीसदी। बम्बई में एग्रीकल्चर में ६१.५ और इंडस्ट्री में १३.८। मध्य प्रदेश जो पुराना था उसमें एग्रीकल्चर में ७६ फीसदी थे लेकिन मध्य भारत जुड़ गया तो ७२ फीसदी हुये, इसलिये मैंने उसको यू०पी० से ज्यादा खेतिहर नहीं रखा है। मध्य भारत में इंडस्ट्री में १० फीसदी हैं और मध्य प्रदेश में भी १० फीसदी हैं। पंजाब में एग्रीकल्चर में ६४.७ हैं और इंडस्ट्री में ७.४। पंजाब ने इतनी तरक्की की है १० साल में कि ६४ की जगह ५६ हो जायेंगे और इंडस्ट्री में ७ की जगह कम से कम १५ फीसदी हो जायेंगे। तो दूसरा कारण यह है।

अब इसके दो इलाज हैं और तीसरा इलाज नहीं है। एक तो यह कि खेती की पैदावार फी एकड़ बढ़े और दूसरे यह कि हमारा मेंटल ऐटीट्यूड चेयरमैन महोदय, आपकी इजाजत से माननीय गेंदा सिंह जी से खासतौर से कहना चाहता हूं कि मेरी बात सुनें।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस मांग पर बहस के लिये केवल ३ घंटे हैं जिसमें से आधा समय तो मंत्री जी ले चुके हैं, डेढ़ घंटे में ही सारे विरोधी पक्ष को बोलना है आधे में अप घर, आधे में सब घर।

श्री चरणसिंह—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय मंत्री जी को सरकार का दृष्टिकोण रखने का पूरा अधिकार है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, कांग्रेस के लोगों का समय कम कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—यह तो बाद में देखा जायगा। मंत्री जी को अपने विभाग की ओर से सूचना देने का पूरा अधिकार है।

श्री मदन पांडेय—इन भाषणों के संबंध में कोई नियम तो होगा ?

श्री अधिष्ठाता—इस संबंध में कोई नियम नहीं है।

श्री चरणसिंह--मैं अब ९ मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। आपकी स्पीच लंबी न हो जाय, इसके लिये मैंने सहूलियत कर दी है।

दूसरी बात जो हमको करनी है वह यह है कि हमारे मानसिक दृष्टिकोण में अन्तर आना चाहिये। हमें खेती की पैदावार भी बढ़ानी है, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण में अन्तर आना चाहिये। इससे मेरा मतलब यह है कि हम बहुत भाग्यवादी हो गये हैं। हम रुपया कमाने वाले को पापी समझते हैं, मेहनत करना अच्छा नहीं समझते, हम पुरानी लीक को ही पीटते जाते हैं, दूसरे नये रास्ते को अपनाना नहीं चाहते। अगर यह बात रही और हमारी खेती की पैदावार बढ़ भी गयी तो भी सूबा तरक्की नहीं कर सकता। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर लोगों को हर प्रकार की सहूलियतें भी दे दी गयीं और लोग नान-एग्रीकल्चरल एन्टरप्राइस को तैयार नहीं हुये तो भी हम तरक्की नहीं कर पायेंगे। आप कहीं चले जाइये गाजीपुर, देवरिया, देहरादून या बनारस अगर इन स्थानों पर किसी ने डेवलपमेंट किया है तो वह बाहर के लोगों ने ही किया है मारवाड़ियों या पंजाबियों ने। सन् ४८ में गाजीपुर की आबादी १९ हजार थी, लेकिन एक भी फैक्ट्री वहां नहीं थी। वहां पंजाबी आये, मुसीबत के मारे और वहां आकर उन्होंने ८४ छोटी-छोटी फैक्ट्रियां खोल दीं।

अब मैं देवरिया की ओर आता हूं। पिछले साल मैं वहां कांग्रेस के प्रचार के लिये गया था। कांग्रेस के सेक्रेटरी वगैरह, जो गाड़ी मेरे लिये लाये थे, उसके लिये पूछा कि यह किसकी गाड़ी है? श्यामलाल जी चतुर्वेदी और मंगल उपाध्याय ने बताया कि यह कार जो हम आपके लिये लाये हैं श्री रौशनलाल पंजाबी की है। ये भी रिफ्यूजी हैं जो देवरिया में जाकर बस गये हैं। उन्होंने वहां फैक्ट्री स्थापित कर ली और अपनी कार माननीय गेंदा सिंह और चरण सिंह को दे देते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे वह बस्ती हो, देवरिया हो, हरदोई हो, सिधौली हो, मेरठ हो या कानपुर हो, जब मैं इन सब स्थानों को देखता हूं तो यह सोचता हूं कि क्या कारण है कि हवा वही, जमीन वही, पानी वही, अन्न वही, लेकिन हम कोई फैक्ट्री स्टार्ट नहीं कर पाते। उसका कारण यही है कि हम नयी लाइन को पकड़ना ही नहीं चाहते, कोई खतरा उठाने को तैयार नहीं है, पुरानी लीक को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हमारे मित्रों को तो कहीं बाहर जमीन दी भी जाय तो कहते हैं कि हमें कालापानी भेजा जा रहा है। अंग्रेज ७ हजार मील दूर चले आये और उन्होंने दुनिया पर राज्य किया।

इसलिये जब तक यह मानसिक दृष्टिकोण चेंज न होगा तब तक हालत यही होगी कि अगर १० बीघा में सरप्लस पैदा हो जायगा तो ५ बीघा जमीन को खाली ही छोड़ देंगे, लेकिन यह न करेंगे कि १५ बीघा पर खेती करें और रेडियो खरीदें। अगर मोतीलाल जी को बुरा न लगे तो मैं उनसे खासतौर से कहना चाहता हूं एक किताब जिसका नाम है "इंडिया दि अवेकनिंग जाइंट" उसको वह पढ़ लें। एक रशियन था जो अमेरिका में जाकर बस गया। वह बहुत अच्छा एकोनामिस्ट था, उसने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। उसने उस किताब में लिखा है कि अगर हिन्दुस्तान का मेंटल, एकोनामिक या सोशलिस्टिक एटीच्यूड यही रहा कि हल छू देने से पापी हो जायेंगे या शादी नहीं हो सकेगी, या यह कि इस टूटे फूटे छत से ही बरसात में काम चल जायेगा, नया बनाने की क्या जरूरत है, यही ऐटीट्यूड रहा तो, मैं समझता हूं कि चाहे अमेरिका की सारी फैक्टरीज लाकर इंडिया में लगा दी जायं, बीस साल के बाद फिर वह उतना ही गरीब हो जायगा जितना कि आज है।

हमारे यहां इंडस्ट्रियल टेम्पर की जरूरत है। यू०पी० बिहार और बंगाल वालों की भी यही हालत है। मैं किसी की बुराई नहीं करता लेकिन कलकत्ते को ही देख लिया जाय, वहां पंजाबी, मारवाड़ी, गुजराती, पारसी आदि कम्युनिटी ने ही एकोनामिक डेवलपमेंट किया है और एक तरह से सारे देश में ये छाये हुये हैं। अब उसके सोशलिस्टिक रीजन्स क्या हैं, वह मैं नहीं जानता लकिन आज हमारे अन्दर एक चेंज होने की जरूरत है।

[श्री चरणसिंह]

जहां तक खेती की पैदावार बढ़ाने की बात है इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं यह खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि हमारे किसान भी अपनी खेती की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं। हमारे जो बैस्ट किसान हैं वे दुनिया के बैस्ट किसानों से पीछे नहीं हैं। हमारे जो एवरेज किसान हैं वे दुनिया के एवरेज किसानों से पीछे नहीं हैं। यह एक किसान की बात नहीं है बल्कि गांव के गांव ने जो पैदावार बढ़ाकर दिखलायी है, वह मैं आपकी इजाजत से सुनाना चाहता हूं।

आगरा के अहरौरा ग्राम सभा ने चैलेंज किया और मुझे लिखा तथा मेरे विभाग के अफसरों को भी लिखा कि आप स्वयं मेरे यहां चल कर अपने सामने फसल को कटवायें और फिर अपनी आंख के सामने ही उनको तौलवा लें कि हमारे यहां फी एकड़ कितनी उपज है। खैर, मैं तो नहीं गया, लेकिन डाइरेक्टर, एग्रीकल्चर गये और सारे गांव की ईल्ड को देखा गया तो ३८–३९ मन फी एकड़ के हिसाब से ३५० एकड़ में पैदावार हुई और जिसमें २६२ एकड़ में तो डिबिलिंग हुई थी और ८८ एकड़ बिना डिबलिंग के यानी इस तरह से ३५० एकड़ में ३८–३९ मन फी एकड़ पैदावार हुई। अहरौरा गांव सभा ने चैलेंज किया कि और कोई दूसरी गांव सभा इसमें हमारा मुकाबला कर ले, तो उनके चैलेंज को मंजूर किया मैनपुरी जिले की हसनपुर गांव सभा ने तथा एटा जिले की एक गांव सभा ने व आजमगढ़ जिले की एक गांव सभा ने। इन गांव सभाओं की पैदावार अहरौरा के मुकाबले में तो नहीं हुई, लेकिन एवरेज इनकी पैदावार ३० मन फी एकड़ रही। इसी प्रकार बांदा जिले की बहेरी गांव सभा ने सारे सूबे की गांव सभाओं को चैलेंज किया था और वहां ४०० एकड़ जमीन में फी एकड़ ३८ मन से लेकर ४० मन तक पैदावार हुई और इस तरह से वे करीब-करीब अहरौरा के बराबर पहुंच गये। बहेरी गांव सभा को ७ और गांव सभाओं ने चैलेंज किया तो वहां जाकर सर्वे वगैरह किया गया और वहां देखा गया कि फी एकड़ ३० मन पैडी की पैदावार हुई।

अधिष्ठाता महोदय, जो क्रास कम्पटीशन में नाम दिया गया है उसमें मैंने यह घोषणा की है कि अब कम्पटीशन में इनाम व्यक्ति के बजाय गांव सभा को ही एक यूनिट मान कर दिया जायगा। सारी की सारी गांव सभाओं की एक यूनिट होगी, और जो गांव सभा ज्यादा पैदावार करेगी उसी गांव सभा को इनाम मिलेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कथन को समाप्त करता हूं और मेरा बोलना जिन माननीय मित्रों को अखरा हो, उससे माफी चाहता हूं और उनसे दरख्वास्त करता हूं कि जहां और सब चीजों पर ध्यान रखते हैं वहां अपेक्षाकृत खेती की पैदावार बढ़ाने की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिये तथा उसके लिये एक एफर्ट करके लोगों के मानसिक दृष्टिकोण को बदलना चाहिये। बिना इसके हमारे प्रदेश का कल्याण नहीं होने वाला है।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सख्या २३ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

विभागीय नीति तथा योजनायें जनहित में नहीं है, यह स्पष्ट करना तथा समुचित नीति बिन्दुओं का उल्लेख करना।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

विभागीय नीति तथा योजनायें जनहित में नहीं हैं, यह स्पष्ट करना तथा समुचित नीति विन्दुओं का उल्लेख करना।

अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।

विभागीय नीति तथा योजनायें जनहित में नहीं हैं यह स्पष्ट करना तथा समुचित नीति-बिन्दुओं का उल्लेख करना ।

श्रीमन्, मंत्री महोदय का भाषण मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना । उन्होंने अपने भाषण में कृषि की महत्ता का बड़ी सुन्दरता और व्यापकता के साथ वर्णन किया । मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मेरा काफी बोझ हल्का हुआ कि जिन बातों को मैं कहना चाहता था उन बातों को उन्होंने स्वंय ही कह डाला । मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि जब इस व्यवसाय की उपज ही सम्पूर्ण प्राणी मात्र के लिये एकमात्र आधार है, यहां तक कि कृषि के उपज के बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता और इससे ज्यादा कहने की आवश्यकता क्या है कि यह व्यवसाय, उत्तम, आवश्यक, जीवनदायक तथा अनुपम है । हमारी अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी और उस पर करीब-करीब ४०६ करोड़ रुपया व्यय हो चुका । मंत्री जी तो जा रहे हैं । श्रीमन्. . .

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, मैं आप की इजाजत से कुछ कहना चाहता हूं । अव्वल तो यह गलतबयानी है कि मैं खाना खाने जा रहा हूं, मैं खाना खाने नहीं जा रहा हूं केवल कुछ पीने के लिये ही जा रहा हूं और जल्द ही लौट कर आ रहा हूं ।

श्री रघुवीर सिंह—मैं यह कह रहा था कि हमने अपनी दो पंचवर्षीय योजनाओं में ४०६ करोड़ रुपया व्यय कर दिया लेकिन फिरभी जिस प्रगति से कृषि विभाग का विकास होना चाहिये था वह नहीं हुआ । हमें अपने पिछले इतिहास की याद आती है कि जब हमारा प्रांत अपने अन्नोत्पादन के लिये सारी दुनिया में प्रसिद्ध था लेकिन आज हमारा दर्भाग्य है कि आज हमारे प्रांत के लाखों आदमी भर पेट भोजन भी नहीं पाते । इस से साफ जाहिर है कि कोई कारण ऐसे जरूर हैं जो हमारे उत्पादन के बढ़ने में बाधा डाले है । जहां तक मैं समझ पाया हूं इसके दो बड़े कारण हैं, एक तो दैवी प्रकोप और दूसरे सरकार की दोषपूर्ण नीति । दैवी प्रकोपों में कुछ चीजें तो ऐसी जरूर हैं कि वाकई उन पर सरकार का कोई वश नहीं चल सकता जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी बताया कि अधिक वर्षा, ओला पाला आदि ऐसे कारण है जिन पर मनुष्य का या सरकार का कोई बस नहीं है । इस समय माननीय मंत्री जी नहीं हैं लेकिन हमारे यादव जी बैठे हैं, उनको मैं क्या कहूं । उनको मैं अमृतधारा कहूं या वह कोई रामबाण औषधि हैं, कोई भी विभाग हो सब में वह काम देते हैं । मैं उनकी प्रशंसा भी करना चाहता हूं कि वह हर एक विभाग में अपना दखल रखते हैं ।

तो मैं यह कह रहा था किस विभाग के संबंध में सरकार की कोई यथोचित नीति नहीं है । कुछ दैवी कारणों पर ठीक है कि किसी का बस नहीं चलता, लेकिन सूखा के लिये सिंचाई का और बाढ़ के लिये उसके रोकने के उपाय हो सकते हैं । कीड़े मकोड़े मारने का भी प्रबन्ध यह सरकार कर सकती है । लेकिन इस सबके लिये सरकार ने क्या किया, इसके बारे में मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल यह कह कर टाल दिया कि यह सब प्राकृति पर निर्भर है । मुझे एक प्रसंग याद आगया कि एक समय नारद मुनि महाराज युधिष्ठर के पास बैठे थे उन्होंने उनसे पूछा कि हे राजन, तुम यह बताओ कि ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारे देश की जनता वर्षा और प्रकृति पर निर्भर है । तो हमरा इतिहास बताता है कि पहले भी हमारे यहाँ जनता और सरकार वर्षा और प्रकृति पर आश्रित नहीं रहते थे लेकिन अब जो भी इस सरकार का कृषि मंत्री होता है वह यही कहता है कि प्राकृति पर हमारा बस नहीं है, आज चौधरी साहब ने भी यही कहा और पहले गौतमजी थे, वह भी यही कहते थे । जब हमें प्राकृति पर ही आधारित रहना है तो फिर सरकार क्या करती है यह मैं उनसे जानना चाहता हूं ?

[श्री रघुवीरसिंह]

इन दोनो पंचवर्षीय योजनाओं के विषय में जो सरकार की नीतियों की आलोचना की गई है वह सही है। सरकार की तरफ से रबी और खरीफ अभियान चलते हैं। उसमें केवल बीज बांटना, उर्वरक खाद बांटना या सिंचाई की व्यवस्था के आंकड़े बताना ही सरकार का काम रह गया है। ज्यादा समय नहीं है मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन बीज के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अक्तूबर के मास में किसानों को बीज देती है और मई में उसको वसूल करती है एक मन के सवा मन के हिसाब से यानी अगर २० मन दिया तो ६ महीने के पश्चात् उसका २५ मन लिया, इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार ५० प्रतिशत सालाना के हिसाब से सूद लेती है। क्या यह बात सरकार के लिये निन्दनीय नहीं है ? कौन सा ऐसा धंधा है जो ५० फीसदी सूद देता है ? क्या बड़े से बड़ा धनी ५० फीसदी सैकड़ा सालाना सूद दे कर जिन्दा रह सकता है ?

सरकार ऋण देती है सहकारी समितियों के द्वारा। तो देखने में वह ९ रुपया सैकड़ा है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। उसके लेने में काफी खर्चा करना पड़ता है। और जब किसान के देने का वक्त आता है तो देते हैं रुपया और लेते हैं अन्न। यानी किसान कहीं से लाकर अन्न दे। सरकार को यह नहीं मालूम है कि प्रान्त में करीब ८० फीसदी किसान ऐसे हैं जो गल्ला बेच कर ऋण भुगतान नहीं करते हैं। उनके दूसरे जरिये हैं, जैसे पशुपालन, नौकरी या कैश क्राप बेच कर वह अपना लगान, ऋण और आबपाशी चुकाया करते हैं। लेकिन हमारी सरकार पैसा देगी और चाहेगी गल्ला और अगर किसान के पास गल्ला नहीं है, और बहुधा नहीं हुआ करता है, ८० फीसदी किसान ऐसे हैं जो गल्ला नहीं चुकाते हैं बल्कि अन्न के अभाव में कुछ रुपया उन कर्मचारियों को देना पड़ता है जहां क्रय-विक्रय समितियां सरकार ने खोल रखी हैं। वहां राक्षस राज्य कायम है। १० रुपया सैकड़ा बढ़ोत्तरी पर रुपया देकर अन्न के रूप में भुगतान होता है। इस तरह से कहने को तो ९ रुपया सैकड़ा सूद है लेकिन किसान को कर्मचारियों का दस्तूर देना पड़ता है और गल्ला न देने पर जो ८, १० रुपया सैकड़ा बढ़ोत्तरी देना पड़ता है, तो उसको इस तरह से २० रुपया सैकड़ा पड़ जाता है। सरकार उसकी उपेक्षा करती रहती है।

इसके अतिरिक्त किसान की उपज का कोई मूल्यांकन नहीं है। जितनी उद्योग आदि की उपजें हैं सबका मूल्यांकन है, लेकिन किसान की उपज का नहीं है। उसका प्रभाव यह होता है कि वाणिज्यकारी वस्तुयें जो हैं, जैसे तम्बाकू, आलू, गन्ना फल आदि इनके दाम खाद्यान्न की तुलना में ज्यादा है। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि हम वाणिज्य कारी वस्तुओं में स्वावलम्बी हो गये ठीक है। उसमें स्वावलम्बी इसलिये हो गये कि उनका मूल्य अधिक है जबकि खाद्यान्न का मूल्य कम है। खाद्यान्न में आप स्वावलम्बी नहीं हो सकते हैं जब तक कि उनका मूल्यांकन नहीं होता। अतः जिन वस्तुओं के दाम ज्यादा हैं किसान उन्हीं को अधिक बोता है और उसी में अच्छी खाद, पानी आदि का इंजताम करना है। जिसका नतीजा यह है कि खाद्यान्नों की उपज उत्तरोत्तर कम होती जा रही है। केवल अपना पेट भरने के लिये किसान खाद्यान्न उत्पन्न करता है।

इसके अतिरिक्त किसान के बरतने की जो चीजें हैं जैसे कपड़ा, मिट्टी का तेल, लोहा, मसाले और चांदी, सोने के तो उसको दर्शन ही नहीं होते हैं तथा ऐसी वस्तुएं जो उसको बाजार से लेनी पड़ती है, जैसे बिसातखाने की चीजें, इनकी कीमतों में और किसान की उपज में कोई संतुलन नहीं है। मैं कहना चाहता हूं इस व्यवसाय के करने वालों की उपेक्षा क्यों है ? इस-लिये कि उनकी आवाज यहां तक नहीं पहुंचती है। जिनकी आवाज यहां तक पहुंचती है उनकी उपज का मूल्यांकन सरकार करती है। यही कारण है कि खाद्यान्न पिछड़ता चला जा रहा है। इसके अतिरिक्त कृषि, सिंचाई, सहकारिता और नियोजन में आपस में कोई निकट सम्पर्क नहीं है। श्रीमन् आप जानते हैं कि ये चारों विभाग ऐसे हैं कि जब तक इनमें निकट सम्पर्क

नहीं होता तब तक कृषि में कोई सफलता नहीं मिल सकती। मैं आज प्रसन्न होता जब इन विभागों के चारों मंत्री यहां बैठे होते और बतलाते कि कृषि को किस तरह से विकास की ओर ले जाना है लेकिन कृषि मंत्री तक यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्रीमन्, यह निर्विवाद बात है कि सिंचाई खेती के लिये एक सबसे महत्वपूर्ण साधन या सहारा है। जहां सिंचाई के साधन कम हैं वहां खेती की उन्नति नहीं हो सकती। मंत्री महोदय ने खुद कहा कि जितना सिंचित क्षेत्र हमारे यहां पहले था उसमें बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। जो क्षेत्र पहले लघु सिंचित योजनाओं से सींचा जाता था उसके लिये बड़ी-बड़ी योजनायें बनाई गयीं। सिंचित क्षेत्र जहां का तहां रहा और न पैदावार ही बढ़ी। इसलिये जब तक सिंचाई के साधन नहीं बढ़ाये जायंगे जब तक कृषि की उन्नति नहीं हो सकती।

अपने प्रदेश में केवल सरकार के कार्यकलापों के द्वारा २० प्रतिशत भूमि सिंचित हो सकी है। इस पर सरकार को यह अभिमान है। कौन कह सकता है कि सरकार ने कृषि विभाग और सिंचाई के साथ न्याय किया है? बाढ़ निरोधक कार्य भी उचित ढंग से नहीं चलाये जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि साधारण तरीके से बाढ़ के कारण हमारे प्रदेश में ८३ लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि को क्षति पहुंचती है और अधिक बाढ़ आने पर १ करोड़ एकड़ भूमि प्रभावित होती है। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि उपज को कितनी ठेस पहुंचती है और राष्ट्रीय सम्पत्ति का कितना ह्रास होता है और बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के किसानों का जो नारकीय जीवन है उसे तो मंत्री महोदय देखने तक की हिम्मत नहीं कर सकते।

एक बात उल्लेखनीय है कि प्रान्त के कुछ जिलों में जैसे अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ऐटा, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, फतेहपुर और उन्नाव आदि में जब से हमारी सरकार के कमल रूपी चरण इस सदन में पधारे हैं, तब से ऊसर क्षेत्रों में रेह उत्पन्न हो गया है, यह लावणिक क्षार उड़-उड़ कर खेतों में आता है। बाढ़ और नदियों के द्वारा भी खेतों में फैलने लगा है। इसे रेह कहते हैं और इसकी दशा यह है कि अगर इसकी प्रगति यही रही तो सरकार की समस्त योजनाओं की कुगति हो जायगी। जिन खेतों में वह रेह आ गयी है उन खेतों की फसल पिछले साल की फसल से आधी भी नहीं बढ़ पाई और आधी पैदावार भी नहीं हो सकी। इस रेह की समस्या मंत्री महोदय नोट कर लें। प्रान्त की १ करोड़ जनता इससे प्रभावित होने वाली है। और अगर एक करोड़ जनता इससे प्रभावित हुई तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह तड़प तड़प कर भले ही मर जाय सरकार उसके लिये कुछ कर नहीं पायेगी। मंत्री महोदय ने यह कहा कि हमारे इतने विशेषज्ञ बढ़ेंगे, इतना स्टाफ बढ़ेगा तो स्टाफ बढ़ाने की तो सरकार की आदत है, लेकिन ये विशेषज्ञ कहां सो रहे हैं कि जो ८–१० जिलों में रेह की इतनी प्रगति हुई है और वे उसको देखने तक नहीं जाते हैं और न उसके ऊपर कोई एक्सपेरीमेंट होता है। सरकार को चाहिये कि इस रेयाली भूमि में कहीं-कहीं अपने फार्म बनाये। वैसे तो वह अच्छी भूमि ही लेती है, लेकिन यहां अच्छी भूमि न लेकर बंजर भूमि को ले और लोगों को दिखाये कि इस तरह से इसको काबू में किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार शीघ्र ही एक कमेटी बनाये जिसमें कुछ एक्सपर्ट लोग भी हों और कुछ गैर सरकारी लोग भी इस सदन के हों और इस विषय के ऊपर शीघ्र से शीघ्र विचार किया जाय।

अब मैं माननीय मंत्री का ध्यान कृषि फार्मों की तरफ दिलाना चाहता हूं। इनके कृषि फार्म बहुत हैं। उनको सब तरह की सुविधा प्राप्त है, जैसे समय पर जोताई की, अच्छे बीज की, समय पर आबपाशी की और बड़े-बड़े विशेषज्ञ पौधों की नाड़ी देखते रहते हैं कि कोई कीड़ा मकोड़ा न लग जाय। इतनी सब बातें होते हुये भी इनके कृषि फार्मों को लाखों रुपया का नुकसान होता है। क्यों होता है? सरकार की तरफ से तर्क यह रहता है कि ये कोई लाभ हानि की दृष्टि से थोड़े ही हैं, यह तो प्रयोगात्मक हैं। लेकिन इनका कोई भी प्रयोग किसी को तभी प्रभावित कर सकता है जब वे लाभकर सिद्ध हों। अगर नुकसान होगा तो

[श्री रघुवीरसिंह]

ये लोगों को चाहे कुछ भी करके दिखायें वे यही कहेंगे कि खुद तो नुकसान उठाते हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो कहां से पूर्ति करेंगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री प्रतापसिंह—मान्यवर, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । मान्यवर, यह बात सही है कि माननीय चरण सिंह तो हाउस से छुट्टी लेकर गये हैं लेकिन कोई भी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर यहां नहीं हैं । यह एक बजट है और सरकार का यह फर्ज है और उसकी जिम्मेदारी यह है कि बजट पास हो । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय चरणसिंह के अलावा जो और मिनिस्टर हैं, क्या उनको फुरसत नहीं है या आउट आफ स्टेशन हैं ? बजट जो है उसमें प्रदेश के जीवन स्तर का प्रश्न है । इसलिये मैं चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जिन लोगों को काम न हो और सचिवालय में जो मिनिस्टर मौजूद हों उनको यहां आना चाहिये । वैसे काम तो सबको ही रहता है । हमारी गैलरीज में जो जनता आती है वह यह न समझे कि लोग बजट में दिलचस्पी नहीं लेते हैं । इसलिये इसके संबंध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि इस विषय में वांछनीय है कि मंत्री जी यहां हों । लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है कि उनके ऊपर कोई बंधन लगाकर यहां लाये जा सकते हों । वैसे मिनिस्टर इंक्लूड्स डिप्टी मिनिस्टर (Minister includes Deputy Minister) यह आवश्यक नहीं है कि हर एक मिनिस्टर यहां पर उपस्थित हो ।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन सारे मिनिस्टर चले जायंगे और सदस्य भी कम रह जायंगे तो कैसे सदन का काम होगा ।

श्री अधिष्ठाता—कोरम यदि कम हो जायगा तो सदन उठ जायगा, यह तो नेचुरल है ।

श्री रघुवीरसिंह—श्रीमन्, जितना समय इसमें नष्ट हुआ है वह सब दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि ४ मिनट का समय नष्ट हुआ है, वह मैं आपको दे दूंगा ।

श्री रघुवीरसिंह—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि सरकारी कृषि फार्म बहुत घाटे में चल रहे हैं । उनमें १२–१४ लाख का घाटा होता है । इसके अलावा बहुत से घाटे ऐसे हैं जो छिपाये जाते हैं । जैसे मैं सदन के सामने प्राक्कलन समिति का १९५४–५५ के सातवें प्रतिवेदन में से कुछ अंश रखना चाहता हूं । वह इस प्रकार है कि—

"फार्म या तो व्यापारिक हों या प्रयोगात्मक और जो व्यापारिक हों उनमें लाभ अवश्य होना चाहिये अन्यथा उन्हें बन्द कर देना चाहिये । फार्मों के लाभ का हिसाब लगाते समय फार्म सुपरिटेंडेंट का वेतन, भूमि का लगान और अधिकारियों का यात्रिक भत्ता भी जोड़ा जाना चाहिये । साधारणतया फार्म सुपरिटेंडेंट का स्थानान्तरण नहीं होना चाहिये और उन्हें अपने फार्म को व्यापारिक दृष्टि से लाभप्रद बनाने के लिये पूर्णरूपेण उत्तरदायी होना चाहिये । इससे स्पष्ट है कि हिसाब लगाते समय न फार्म का लगान लगाया जाता है, न आबपाशी का महसूल लगाया जाता है, न अधिकारियों का वेतन और न व्यात्रिक भत्ता ही लगाया जाता है । अगर यह सब लगा लिये जायं तो इनकी हानि एक करोड़ के करीब पहुंचेगी ।

(इस समय २ बज कर १० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये ।)

श्रीमन्, इतना नुकसान सहते हुये भी हमारी सरकार ने दूसरी योजना बनाई है कि प्रत्येक जिले में ब्लाक स्तर पर एक बीज पैदा करने के लिये सरकारी कृषि फार्म होना चाहिये। ऐसे फार्म प्रत्येक जिले में ब्लाक स्तर पर खुलेंगे। मैं अपने जिले एटा का उदाहरण जानकारी के लिये देना चाहता हूं। एक कठौली फार्म हमारे जिले में खोला गया। वहां के किसान अपनी जमीन देने के लिये तैयार नहीं हुये। इस पर विभागीय कर्मचारियों ने उन पर झूठे चोरी वगैरह के आरोप लगाकर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कराया उनको जेल भिजवा दिया। इस संदर्भ में जब संघर्ष चला तो श्री गंगाप्रसाद जी एम० एल० ए० ने भूख हड़ताल की। इस पर जिले के अधिकारियों ने भूख-हड़ताल तुड़वाई और मुकदमा वापस लिया गया। इन गांव वालों के साथ इतनी निर्दयता का बर्ताव किया गया है कि सरकार ने झूठे आरोप लगाकर उनको जेल भिजवाया। जब सरकार के इतने फार्म घाटे में चल रहे हैं तो यह फार्म क्यों बनाये जायं? इसलिये मैं आपके द्वारा मंत्री जी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में किसी भी ब्लाक में किसी फार्म के खोलने की जरूरत नहीं है। अगर वह चाहते हैं तो जैसा कि मैंने सुझाव दिया उस ऊसर भूमि में जो लावणिक क्षार बढ़ता जाता है, उस क्षेत्र में अपनी योग्यता का परिचय दें। वहां पर फार्म बना कर अगर कृषि करवाएं तो उससे लोग प्रभावित भी होंगे। अब हम यह देखें कि हमारे देश में कौन कौन ऐसे प्रान्त हैं जिनमें कृषि फार्म चलाये जाते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है पंजाब में कोई कृषि फार्म नहीं चलाये जाते हैं। वहां की सरकार रुपया दो रुपया प्रति मन अधिक दाम देकर किसानों से बीज का प्रबन्ध कर लेती है। इसलिए इन फार्मों को समाप्त किया जाय और इनको किसानों को सहकारी खेती के लिए दे दिया जाय जिससे कि हमारी सहकारी खेती का जो हमारा उद्देश्य है उसका भी फल हमारे सामने आ जाय कि सहकारी खेती हमारे देश में कैसी सिद्ध होती है। फिर उसको आगे बढ़ाने की चेष्टा की जाय।

मैंने जो कारण बताये, इनके कारण किसान की आर्थिक दशा उत्तरोत्तर बिगड़ती जाती है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता की प्रति व्यक्ति आय निरन्तर घटती चली जाती है। इस के प्रमाण में कि खाद्यान्न बढ़ा मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मंत्री महोदय ने हमारे सामने यह रखा कि फलां सन् में इतना खाद्यान्न उत्पन्न हुआ और फलां सन् में इतना बढ़ा, उनका कहना एक तरह से ठीक है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह नहीं बतलाया कि कृषि योग्य भूमि कितनी उत्तरोत्तर बढ़ती चली गयी। मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि १९५३–५४ में हमारी कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल ४ करोड़ ८८ लाख ८३ हजार ५४ एकड़ था, १९५४–५५ में ४ करोड़ ९६ लाख ५० हजार १ सौ ६७ एकड़ हो गया, १९५५–५६ में ५ करोड़ १ लाख ८७ हजार ७५ एकड़ हो गया, १९५६–५७ में ५ करोड़ १० लाख २१ हजार ४ सौ ७२ एकड़ हो गया, १९५७–५८ में ५ करोड़ २ लाख ९० हजार ५ सौ एकड़ हो गया, १९५८–५९ में ५२० लाख एकड़ हो गया और १९५९–६० में ५१९ लाख एकड़ हो गया। इस तरह से जिस तरह से खेती की उपज की बढ़ोत्तरी बतायी गयी है उसी तरह से निरन्तर कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल भी उत्तरोत्तर बढ़ता गया। इसलिए पैदावार में भी बढ़ोत्तरी होती गयी, प्रति एकड़ उपज नहीं बढ़ी।

आज सरकार की इस उपेक्षापूर्ण नीति से हमारे प्रान्त का किसान पचास फीसदी से ज्यादा ऐसा है जो बैल न जोत कर भैंसे जोत रहा है। बैलों की जगह, भैंसों से जोतना, उपज कैसे बढ़ेगी? और जब तक उपज नहीं बढ़ेगी, किसान की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक उद्योग कभी पनप नहीं सकते हैं। मैं आपके द्वारा सरकार को अब कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अब समय समाप्त हो गया।

काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। दस मिनट समय रख दिया जाय और विशेष अवस्थाओं में १५ मिनट।

श्री मोतीलाल अवस्थी---आज प्रातःकाल गृह मंत्री जी ने १।। घंटा ले लिया। अब सदस्यों को कम मौका मिलेगा और आधे सदस्य ही विरोधी पक्ष के बोल पायेंगे। उनको यदि १० मिनट दिया जायगा तो पूरी बात नहीं कह पायेंगे। पहले से ही आज समय वितरण गलत हुआ है। जो सदस्य बोले वे अपनी पूरी बात कह सकें, इसलिये उनको १५ मिनट अवश्य दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रत्येक पार्टी के एक-एक सदस्य को १५ मिनट, बाकी के लिये १० मिनट रहेंगे।

श्री मेंहीलाल (जिला मुरादाबाद)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण अनुदान पर मुझे बोलने का अवसर दिया। कृषि के सिद्धान्त के सिल सिले में माननीय गृह मंत्री ने कुछ बातें अपने भाषण में कहीं जिनसे कोई मतभेद का प्रश्न नहीं उठता। साथ ही मंत्री जी ने, जो प्रगति कृषि के सिलसिले में हुई है और सरकार कृषि के सम्बन्ध में जो कुछ कर रही है, उस पर सन्तोष प्रकट किया। मुझे खेद है कि मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि कृषि पर जितना ध्यान सरकार को देना चाहिये उतना ध्यान सरकार दे रही है बल्कि मेरा विचार यह है कि एक प्रकार से सरकार कृषि विभाग की उपेक्षा कर रही है। कृषि विभाग की उपेक्षा का अर्थ होता है गांव में रहनेवाली जनता की उपेक्षा। यह मैं इसलिये कहता हूं कि १ अरब २३, २४ करोड़ के बजट में करीब ७ करोड़ रुपया केवल कृषि विभाग पर है जो करीब करीब १७।। प्रतिशत होता है। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सरकार कृषि विभाग को कितनी उपेक्षा की दृष्टि से देखती है और साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसे विभागों पर, जिनका जीवन कृषि पर ही आधारित है, उन विभागों पर कहीं ज्यादा जोर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर उद्योग विभाग को लिया जाय। उसमें चाहे छोटे उद्योग हों चाहे बड़े हों, उनको हर मामले में प्राथमिकता मिलती है, चाहे वह ऋण देने का प्रश्न हो और चाहे अनुदान देने का प्रश्न हो, लेकिन कृषि के क्षेत्र में जो कुछ ऋण या अनुदान देने की व्यवस्था सरकार की तरफ से है वह नहीं के बराबर है।

साथ ही माननीय मंत्री जी ने प्रगति के विषय में कुछ आंकड़े पेश किये और यह सिद्ध करने की कोशिश की कि हमारे प्रदेश की प्रगति कृषि के द्वारा बराबर हो रही है लेकिन साथ ही अगर हम पर कैपिटा इन्कम पर विचार करें तो मालूम होगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की पर-कैपिटा इन्कम घटी है। मेरे दिमाग में यह इस बात का सन्देह पैदा करते हैं कि यह आंकड़े कहां तक सही हैं। साथ ही मैं ऐसा जरूर मानता हूं कि यह इस प्रान्त की जनता का सौभाग्य है कि कृषि के विषय में जितनी अच्छी और जितनी गहराई के साथ कोई व्यक्ति समझ सकता है उसको हमारे कृषि मंत्री महोदय देश की परिस्थितियों को सामने रखते हुये उस विषय को पूरी तरह से समझते हैं लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि हमारी सरकार उतना ध्यान कृषि पर नहीं दे रही है जितना ध्यान इस कृषि के महकमे पर सरकार को देना चाहिये। इसका कारण यही है, मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि सरकार यह समझ बैठी है कि कृषि से जिन लोगों का संबंध है वह मूक है, उनकी कोई आवाज नहीं है, उनकी आवाज में कोई बल नहीं है, उनका कोई संगठन नहीं है। इसलिये हर प्रकार से कृषि की उपेक्षा हर क्षेत्र में हो रही है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, एक प्रकार से इस प्रान्त के लोगों के जीवन का आधार कृषि है और अगर कृषि पर उतना ध्यान न दिया गया जितनी कि माननीय मंत्री जी ने इसकी महत्ता अपने भाषण में प्रकट की है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह प्रान्त जितना पिछड़ा रहा है उससे भी ज्यादा पिछड़ जायगा।

मुझे खेद है कि शिक्षा के क्षेत्र में लिया जाय, अनुसंधान के क्षेत्र में लिया जाय और दूसरी जितनी भी हमारी योजनायें चल रहीं हैं सब को ही देखा जाय, उनमें प्रान्त की उन्नति के लिये सब से प्रमुख स्थान कृषि का होना चाहिये। शिक्षा की जितनी संस्थायें हैं उनमें कृषि के विषय को कितना महत्व दिया गया है वह हमारी शिक्षा के पाठ्यक्रम को देखने से प्रकट हो जाता है।

इसके अतिरिक्त जो अधिकारी और स्टाफ इस विभाग में हैं वह इतने कम और अपने विषय से अनभिज्ञ हैं जिसका वर्णन सभ्य भाषा में नहीं किया जा सकता। कार्यकर्त्ता नहीं के बराबर समझता हूं और जो हैं भी, मेरा ऐसा विचार है कि उन अधिकारियों और कर्मचारियों में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको कृषि के बारे में व्यावहारिक अनुभव हो। यदि उन्होंने कृषि के संबंध में कुछ किताबें पढ़ी हैं तो वह अमरीका और आस्ट्रेलिया के संबंध में हैं और उन्हीं के आधार पर वे सरकार के सामने अपनी योजनायें रखते हैं। वहां भूमि अधिक है और व्यक्ति कम, जब कि हमारे प्रदेश में भूमि कम है और जनसंख्या अधिक है। उनकी कृषि योजनायें हमारी कृषि योजनाओं से मेल नहीं खातीं और न खा सकती हैं।

माननीय मंत्री जी की इस बात में संदेह नहीं कि भूमि बढ़ नहीं सकती, परन्तु आप के प्रदेश की भूमि घटती जा रही है। नदियों के किनारे कटाव जारी हैं, नदियों की बाढ़ों से आपकी भूमि कम होती जा रही है। भूमि संरक्षण योजना, जो केवल आपके विभाग में नाम मात्र के रूप में है, उस ओर आप को विशेष ध्यान देना चाहिये और अपनी कटती हुई उपजाऊ भूमि को बचाने के लिये आपको खास तौर से प्रयत्नशील होना चाहिये।

इस के अतिरिक्त माननीय मंत्री जी ने खाद के सिलसिले में जो अपने विचार प्रकट किये, वह उचित हैं। इसमें संदेह नहीं कि हमारे किसान का जीवन अगर किसी चीज से ऊंचा उठ सकता है तो वह कंपोस्ट खाद है। लेकिन माननीय मंत्री जी भी वास्तविकता से भलीभांति परिचित हैं कि हमारी सरकार का माल विभाग, उसके अधिकारी और कर्मचारी कितना सहयोग किसान को कंपोस्ट बनाने में देते हैं। आज भी जहां गांव समाज की जमीनें पड़ी हैं वहां माल विभाग के कर्मचारी इस बात की व्यवस्था नहीं कर सके कि किसानों के खाद के गड्ढे अच्छे तरीके से, क्रम से खुदवा दें या उनको ट्रेनिंग दें। यही नहीं, बल्कि दूसरे विभागों के लोग भी जितना सहयोग उनको देना चाहिये उतना कृषि के सिलसिले में किसानों को नहीं देते हैं। उदाहरण रूप में यह बात आप इसी से समझ लीजिये कि जो आज प्लानिंग में हर ब्लाक में एक सोशल एजूकेशन का ए० डी० ओ० रहता है और एक कृषि का ए० डी० ओ० रहता है। उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उन में कितने ऐसे नौजवान हैं कि जिनको कृषि से कोई प्रेम है या कृषि के बारे में कोई विशेष जानकारी है। उनकी जीविका का साधन कोई नौकरी होना चाहिये केवल इस नाते वे विकास क्षेत्र में रह कर कृषि का काम करते हैं।

इस के अतिरिक्त सरकार के जितने अधिकारी जिले के स्तर पर हैं, उनकी शक्ति और धन का उपयोग जो हो रहा है, उसे मैं अधिकांश को बेकार ही समझता हूं। आज मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। जिले के स्तर पर सूचना अधिकारी है। आज वह एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का पी० ए० बन कर रह गया है। इस वक्त एक खास किस्म के लोग सूचना अधिकारी के रूप में भरती किये जाने चाहिये जिनका अधिक से अधिक समय किसानों के बीच में बीतना चाहिये और जो हमारी कृषि संबंधी नयी-नयी योजनायें हैं और जिससे हमारी पैदावार बढ़ सकती है, उनका उन्हें पूरा ज्ञान होना चाहिये। उनकी गाड़ी, उनका पेट्रोल, और उनकी सारी शक्ति का पूरा प्रयोग कृषि उत्पादन को बढ़ाने में होना चाहिये जो आज नहीं है हो रहा है।

श्रीमन्, आज किसान अगर कुवें बनाना चाहता है तो उसके लिये उसको सीमेंट नहीं मिलता है, ईंटें नहीं मिलती हैं, जिसके कारण वह सिंचाई के लिये कुआं नहीं बना पाता है। आज सरकार के अधिकारी व कर्मचारी जिला स्तर पर बैठकर यह सब देखते हैं, लेकिन उनका ध्यान इस ओर तनिक भी नहीं जाता। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से अच्छा बीज देने का इन्तजाम है, लेकिन अगर जानकारी की जाय तो यह मालूम होगा कि बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर बीज किसानों को समय से नहीं मिला। अगर समय से किसानों को बीज मिलता भी है तो वह बीज ऐसे किसानों को नहीं मिलता जिनको सही मानी में जरूरत है और यह सब इसलिये होता है क्योंकि कृषि

[श्री महीलाल]

विभाग के पास पैसे की कमी है, देखभाल करने वाले निरीक्षकों की कमी है और कृषि विभाग की ओर दूसरे विभागों का उतना ध्यान नहीं है जितना होना चाहिये ।

हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि पंजाब की आर्थिक स्थिति हमारे सूबे से अच्छी है, लेकिन हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि अगर हमारी सरकार पंजाब की तरह से ही कृषि को महत्व दे तो हमारा सूबा कृषि में किसी से पीछे नहीं रहेगा । उस छोटे से सूबे ने फसलों की बीमा योजना को लागू कर दिया है ।

श्री चरणसिंह--नहीं लागू किया है ।

श्री महीलाल--चकबन्दी योजना भी पंजाब में सब से पहले लागू हुई । इस योजना की तरफ भी जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है । यह योजना ऐसी है कि इसको जितनी जल्दी हो सके, पूरा करना चाहिये ।

इसके अलावा किसान की पैदा की हुई चीजों की बिक्री का कोई प्रबन्ध नहीं है । जो उसका माल मंडियों में जाता है, वह वहां के आढ़तियों की मार्फत बिकता है, किसान वहां हाथ पर हाथ रखे बैठा रहता है । आढ़ती लोग, जिस प्रकार चाहते हैं, उस प्रकार से उसका माल बिकवाते हैं । उसमें भी न जाने कितने प्रकार की कटौती काटी जाती हैं और वह सब काट कर ही उसको अपने माल का पैसा मिलता है । मेरा खयाल है कि माननीय मंत्री जी के सामने बहुत अर्से से एक बिल मंडियों के नियन्त्रण के नाम पर विचाराधीन है । मैं चाहता हूं कि उसे जल्दी से जल्दी इस सदन में लाया जाये जिससे हम किसानों की रक्षा, उन लोगों से, जो किसान की गाढ़ी कमाई खा जाते हैं, कर सकें ।

दूसरी बात मैं गन्ने के विभाग के बारे में कहना चाहता हूं । आज उस विभाग का कृषि विभाग से कोई संबंध नहीं है जो कि पहले था । जहां दूसरे प्रकार की फसलें किसान के लिये उपयोगी हैं, वहां गन्ने की फसल भी उनका एक आवश्यक अंग है । गन्ना विभाग को कृषि विभाग के अन्तर्गत ही रहना चाहिये, लेकिन वह उद्योग विभाग के अन्तर्गत कर रखा है ।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो विचार दिये हैं, जो बुनियादी बातें बतायी हैं, वह ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाई जांय ताकि उनको प्रशिक्षित किया जा सके । किसान के प्रशिक्षण का कोई इन्तजाम होना चाहिये । आज प्रदेश का किसान, जैसा कि मंत्री जी स्वयं मानते हैं, प्रगतिशील है और वह स्वयं अपनी पैदावार बढ़ाने के लिये बुरी तरह से बेचैन है । वह चाहता है कि जिस तरीके से भी हो सके, उसकी पैदावार बढ़े और नयी-नयी योजनाओं द्वारा सरकार से जितना सहारा मिल सके, उसे सरकार दिलाने के लिये प्रयत्नशील हो ।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय मोतीलाल अवस्थी, आप १५ मिनट बोलेंगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सौभाग्य है कि मेरे बोलने के समय कृषि मंत्री उपस्थित हैं और शायद मेरी बात सुनें भी, लेकिन आप आये बहुत लम्बा भोजन करके ।

मैं कृषि मंत्री जी के सामने यह बात रख दूं कि उनके डेढ़ घंटे के भाषण में सबसे बड़ा लाभ तो उनको ही होता है, वह यह कि प्रेस गैलरी भी काफी घनी थी और उनका प्रचार कार्य करने में सहयोग दे रही थी । और भी गैलरियां आफिसर्स आदि की थीं जो नोट कर रही थीं, वह भी उसी वक्त तक रहीं जब तक कि हमारे कृषि मंत्री रहे और उन्हीं के उपयोग की वह हैं भी । हम विरोधी पक्ष के लोगों के समय की जो उपयोगिता है वह तो इस समय की इतनी कम प्रेस गैलरी और आफिसर्स की गैलरी या अधिकारियों की उपस्थिति से स्पष्ट है ।

मैंने कृषि मंत्री की बात को सुना और अन्तिम परिमाण पर जो पहुंचा वह यह कि आज हमें किसानों के दृष्टिकोण को बदलना होगा और किसानों की उपज की चीजों की उन्नति करके सहायता देनी होगी। यह उनका निष्कर्ष है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। आपने फरमाया कि हम किसानों की आधी भूमि ही सींच सकेंगे और चाहे १० गुना कारखाने खुल जांय, हम उनको खाद नहीं दे सकेंगे। तो सरकार स्वीकार करती है कि न हम पूरा-पूरा पानी दे सकेंगे, न खाद। अब वह किसान, जिसकी औसत आमदनी आठ आने हो, जो शहरी आमदनी से एक तिहाई से अधिक न पैदा कर सके, वह आपके आंकड़ों से ही जाहिर है, उसको हम पानी न दें, खाद न दें, ऋण भी न दें और वह नयी विचार-धारा का बन जाय, यह कैसे हम बना सकेंगे।

श्रीमन्, आज हमारे कृषि मंत्री जी की तरफ से कुछ तो यह बतलाया गया कि उनको शिक्षित किया जाय और कुछ यह भी कि हमने कालेज और विश्वविद्यालय खोल कर उनके लिये प्रशिक्षित व्यक्तियों का प्रबन्ध किया है, यह सब चीजें बतायीं। मैं जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो हम स्वीकार करते हैं कि किसान चाहे जितना आलसी हो लेकिन उसमें क्षमता है कि वह अधिक से अधिक बीज पैदा कर सकता है, यह मंत्री जी के ही आंकड़ों से साबित है। मैं इस बात को सुधार देना चाहता हूं कि किसान औसतन आलसी नहीं है। एक हमारे कृषि मंत्री जी, जो पुलिस मंत्री भी हैं, उन्होंने एक बड़ी गलती की है। उस वक्त गलती की थी जब उन्होंने पुलिस की मद पेश करते हुये कहा था कि किसान टिमिड है और डरपोक है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आज किसान डरपोक नहीं है लेकिन उसको डरपोक बनाया गया है। आज उन्हीं मंत्रीजी ने कहा कि किसान आलसी है; तो मैं बता देना चाहता हूं कि वह आलसी नहीं है। किसान को साधन दे दीजिये, आज जो उसकी निस्सहाय अवस्था है उससे उसको अलग निकाल दीजिये और देखिये कि वह अपना कर्त्तव्य पालन करता है या नहीं। लेकिन अगर सरकार अपने को अक्षम पाती है, अयोग्य पाती है तो अपना स्थान छोड़े और जो हमारे प्रदेश की मांग है उसको पूरी करे।

आज, श्रीमन्, कृषिमंत्री जी की तरफ से जो आंकड़े दिये गये उनको मैंने बड़े गौर से सुना, और नोट किया इसलिये कि हर विभाग की तरफ से एक रिपोर्ट बटा करती है लेकिन कृषि विभाग की ओर से एक पुस्तिका बटती है जो कि एक चित्रावली के रूप में बंटा करती है। उसमें मंत्री जी द्वारा किसी अच्छी नस्ल की गाय को तमगा दिया जा रहा है और वह दे रहे हैं, ऐसे चित्र आते हैं। कुछ उनमें के चित्र हैं जो बच्चों के खेल के लिये आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन विभाग की ओर से क्या क्या प्रगति हुई, अगर ऐसी पुस्तिका मंत्री जी हमें पहले दे देते तो सदन का काफी समय बच सकता था। मंत्री जी ने कुछ आंकड़े प्रगति के दिये हैं जिनमें लिखा है कि ६४ लाख टन बीज देने के लिये सरकार तैयार है, लेकिन वह किसान की आवश्यकता के अनुपात में कितना है? कहीं सौवां या हजारवां भी नहीं होगा। जब किसान बीज के लिये तड़पता है तो वह बीज गोदामों में रिश्वत देकर ही या खराब बीज लेकर ही बीज पाता है और वह भी सवाये ड्योढ़े दामों पर मिलता है। कटौती के प्रस्तावक महोदय ने एक बात कही जिसका मैं समर्थन करता हूं। कृषि मंत्री जी उस समय मौजूद नहीं थे। उस वक्त उनके काम चलाऊ मंत्री थे और उनसे उन्होंने अपील की थी कि उनकी बात मंत्री जी तक पहुंचाने के लिये नोट करलें। उन्होंने कहा था कि कानपुर, फतेहपुर इत्यादि ९ मैदानी जिलों में रेह का फैलाव हो रहा है जिससे किसान मुसीबत में है। यह हमारी उपजाऊ भूमि को बरबाद कर रहा है। सरकार इसके लिये कुछ नहीं कर रही है। मैंने देखा कि इस आय-व्ययक के पन्नों में एक मद में लिखा है कि ऊसर भूमि को खेती योग्य बनावेंगे। लेकिन इसके लिये कोई रुपया नहीं दिया है जबकि पिछले साल ३२,००० रुपया था। उर्वरक प्रथाओं के सर्वेक्षण के लिये ११,००० रुपया दिया हुआ है। मैं चाहूंगा कि किसानों को कृषि विभाग द्वारा बताया जाय कि कैसे उर्वरक के द्वारा रेह वाली जमीन को काम की बनाया जाता है।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

हमारे उपनिवेशों में से, जो बहुत से सरकार ने तैयार कराये हैं, मुझे भी एक तराई स्टेट फार्म देखने का मौका मिला । वहां जाकर बहुत ही कौतूहलपूर्ण बातें देखने को मिलीं । ७,६३,३०० रुपया इसके लिये दिया हुआ है । अच्छी तरह से प्रश्नोत्तर करने के बाद वहां के अफसरों से मुझे मालूम हुआ कि वहां की आमदनी २० लाख रुपया सालाना हो सकती है, लेकिन उसका सदुपयोग वहां इसलिये नहीं हो पा रहा है कि कृषि विश्वविद्यालय और फार्म दोनों अपने अलग अलग हिसाब-किताब चलाये हुये हैं । मंत्री जी ने कहा कि इस विश्वविद्यालय द्वारा वह ट्रेन्ड आदमियों को किसानों के बीच में भेजकर किसानों के दिमागों को घुमावेंगे । मैंने वहां के अध्यापकों से व विद्यार्थियों से बात की । उन्होंने बतलाया कि आज इस विश्वविद्यालय से ठीक उसी प्रकार के विद्यार्थी निकलेंगे जैसे कि और कृषि कालेजों से निकलते हैं, जो सिवाय नौकरी ढूंढ़ने के और कुछ नहीं कर सकते । उसमें किसानों के लड़के नहीं आते हैं, वहां वही विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं जो मिडिल क्लास के होते हैं और जो खेती करके जीविका प्राप्त करने की सोच भी नहीं सकते । यदि इन कालेजों और स्कूलों की संख्या बढ़ाकर सरकार दिखाना चाहती है कि वह खाद्यान्न की समस्या को हल कर लेगी तो वह इसमें असफल रहेगी ।

कृषि मंत्री जी की वह अपील मुझे अच्छी लगी कि जो उन्होंने कहा कि किसान अपने पैरों पर खड़ा हो । लेकिन उसमें सरकार कुछ मदद नहीं कर रही है । इस बजट में इस्टेबलिशमेंट का, निरीक्षण का और एक्सपैरिमेंटल फोर्स का खर्चा कुल मिलाकर करोड़ों रुपया होता है तो क्या इसके द्वारा मंत्री जी किसानों को मजबूत करना चाहते हैं ? इन एक्सपैरीमेंटल और मैकेनिकल फार्म्स में लाखों रुपये का घाटा बराबर होता चला आ रहा है । ३८ लाख रुपये से एक्सपेरीमेंट के फार्म्स चलाये जा रहे हैं । उनके दुर्व्यय के कारण एक जांच कमेटी भी बैठाई गई है । इन फार्मों ने कोई सरप्लस उपज नहीं दिखाई है और न कोई ऐसी चीज दिखाई है जिससे किसान लाभ उठा सके । किसानों ने उनके तरीकों को अपनाना शुरू नहीं किया है । मैं कृषि मंत्री जी की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि किसान अपने देशी तरीकों में दिन-दिन उन्नति करता चला जा रहा है । मिसाल के लिये किसान जब मड़नी करता है तो उसके लिये, जो मशीन सरकार ने किसान के लिये बताई है, उससे कहीं अच्छी प्रकार की और सस्ती व जल्दी मड़नी किसान अपने देशी तरीके से कर लेता है । किसान मामूली बांस के ४ टुकड़ों का चौपाया सा बना लेता है और उसमें आड़े बाड़े बांस लगाकर, बैलों द्वारा उसे घुमाकर, गल्ले को इतनी आसानी से मांड़ लेता है जितनी आसानी से मंत्री जी की मशीन नहीं कर सकती है । ऐसी आविष्कार की बहुत सी बातें किसान अपनी बुद्धि से कर रहा है ।

मंत्री जी ने कुछ उपाय बताने की कोशिश की कि किसान गोबर को जलावें नहीं, बबूल के पेड़ अधिक लगावें, इत्यादि । लेकिन किसान इन बातों को पहले ही से जानता है । सवाल यह है कि सरकार के विभाग, सहकारिता का विभाग, पंचायत राज, कृषि विभाग किसान को क्या मदद देने के लिये तैयार हैं । पंचायत राज्य विभाग गोबर डालने के लिये जगह नहीं देता है, कृषि विभाग खाद के लिये मदद नहीं करता है और फारेस्ट विभाग जंगल में लकड़ी की उपज बढ़ाने के लिये मदद नहीं देता है । आज किसान गोबर का इस्तेमाल ईंधन के लिये मजबूर होकर करता है चूंकि उसके पास और कोई ईंधन नहीं है । सरकार ने सारे जंगलात अपने कब्जे में कर रखे हैं । किसान के वे पेड़ भी उसके नहीं है जो वह अपनी मेंड़ पर उगा लेता है । किसान से कहा जाता है कि तुम नये ढंग की चीजों को सीखो । आज उसे बीज और बैल के लिये तकावी नहीं मिलती है । मैं स्वंय कितने ही मामलों में राजस्व विभाग के अधिकारियों के पास गिड़गिड़ाता हुआ पहुंचता हूं कि किसान को तकावी दे दी जाय । लेकिन उनके अधिकारी, नायब तहसीलदार और तहसीलदार, अपने भ्रष्टाचार के कारण मदद देने के लिये तैयार नहीं हैं । जब किसान को खाद, बीज या पानी नहीं मिलता है तो कैसे वह उपज बढ़ा सकता है ? मंत्री जी अपने पक्ष की बात प्रचार के रूप में रखते हैं मगर मैं अपने पक्ष की बातें किसान के हित के लिये कह रहा हूं । मैंने मंत्री जी की बात बड़े गौर से सुनी मगर अन्त में इसी नतीजे पर पहुंचा कि वह

किसान की हैसियत से बातें नहीं कर रहे थे, केवल एक मिनिस्टर की हैसियत से बातें कर रहे थे। दफ्तरों में फाइलों को देखकर वह उन्हीं के आधार पर बातें कर रहे थे। जैसा पुलिस के बजट के समय मैंने कहा था कि पुलिस क्लब की, सेमीनार की, बातें सुनकर मंत्री जी बोल रहे हैं, उसी प्रकार से मैं आज कहता हूं कि मंत्री जी डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर और बड़े-बड़े वेतन भोगी अधिकारियों की बातें सुनकर बोल रहे हैं, जो वास्तविक जीवन से परे रहते हैं और उन्हीं की बुद्धि से ओतप्रोत होकर मंत्री जी बातें करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप का समय समाप्त।

(श्री टम्बरेश्वरप्रसाद का नाम पुकारने के बाद एक सदस्य के कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—अभी प्रश्न उठाया गया कि विरोधी दल की तरफ से दो सदस्यों का नम्बर कैसे आ गया। मैं पहले ही व्यवस्था दे चुका हूं कि बजट के अनुदानों में विरोधी दलों को समय अधिक मिलना चाहिये इसलिये अगर कांग्रेस का समय कम रहे और विरोधी दल का समय ज्यादा रहे उसी व्यवस्था के कारण करना पड़ा।

***श्री टम्बरेश्वरप्रसाद** (जिला सीतापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जब माननीय कृषि मंत्री जी अपना भाषण दे रहे थे तो मैं उसको बड़े गौर से सुन रहा था। मैंने सोचा था कि कृषि मंत्री जी कृषि की हिमायत में कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे इस प्रदेश का लाभ होगा लेकिन माननीय कृषि मंत्री जी ने मुख्यतः दो बातों पर जोर दिया जो कृषक की दृष्टि से बिलकुल बेकार हैं। एक बात उन्होंने यह कही कि उस समय कृषक की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती जब तक कि कृषि के लोग उद्योग में न चले जायं। दूसरी बात जिस पर उन्होंने बहुत बल दिया .....

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सफाई दे दूं। मैंने यह नहीं कहा कि जब तक उद्योग नहीं पनपेंगे तब तक खेती की पैदावार नहीं बढ़ेगी बल्कि उसका उल्टा कहा कि जब तक खेती की पैदावार नहीं बढ़ेगी तब तक उद्योग नहीं पनप सकेंगे।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुन भी रहा था और समझ भी रहा था। मंत्री जी ने और प्रदेशों की जनसंख्या कोट करते हुये यही कहने की कोशिश की कि वहां पर उद्योगों को बल देने के कारण कृषि की पैदावार बढ़ गई और शायद वह यह कहना चाहते हों कि इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। मैं आपके सम्मुख एक बात रखना चाहता हूं कि सन् १९५५ में माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में यह बात कही थी कि इस राज्य या सारे देश की सफलता तो यह है कि हम खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करें; और उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९५६ के भाषण में उन्होंने दूसरी बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य की खाद्य की स्थिति बराबर संतोषजनक रही और सन् १९५५ के पूर्वार्ध में गिरती हुई कीमतों ने सरकार के लिये एक नयी समस्या खड़ी कर दी थी जिससे जरूरी हो गया कि प्राइस सपोर्ट के आधार पर भारत सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर अनाज की खरीदारी की जाय।

मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज से नहीं पहले से कृषक की मांग रही है, उचित मांग रही है कि जब तक कीमतों का निर्धारण इस स्तर पर नहीं हो जायगा, तबतक उत्पादक को उसके श्रम का मूल्य नहीं मिल जायगा उस समय तक कृषि की पैदावार की हालत इसी प्रकार रहेगी। सन् १९५५ में कृषक ने पैदा किया तो उसको क्या मिला। मूल्य इतने गिर गये कि दूसरी समस्यायें खड़ी हो गई। सरकार के सामने समस्या खड़ी हो गई। आज जितना समय मंत्री जी ने गोबर एकोनामिक्स पर लिया, अगर उतना समय मूल्य की एकोनामिक्स पर लिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टम्बरेश्वरप्रसाद]

होते तो मेरे खयाल से शायद प्रदेश के कृषकों का कुछ फायदा हो सकता था। माननीय मंत्री जी ने गोबर का जिक्र किया तो उपाध्यक्ष महोदय, एक खतरा और पैदा हो गया। उत्तर प्रदेश में यह परिपाटी रही है कि अगर किसी बड़े अधिकारी ने कह दिया कि मूंग टाइप (वन) बहुत अच्छी है तो ऊपर से लेकर नीचे तक विभाग चिल्लाने लगता है कि वह बहुत अच्छी है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं आपके द्वारा कि कहीं मूंग टाइप (वन) की तरह गोबर गैस प्लान्ट न बनने लगें।

मुझे शंका इस बात की थी कि माननीय मंत्री जी यहां पर जो आज कृषक के सामने समस्यायें हैं उनको अच्छे प्रकार से सुलझाने का प्रयास नहीं करेंगे। मैं आपके समक्ष बम्बई प्रदेश के बजट भाषण से कुछ अंश अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं। १९ फरवरी, १९५९ को बजट भाषण में वहां के वित्त मंत्री ने कहा:—

"An amount of Rs.44.90 crores or nearly 50 per cent of the plan outlay for the next year has been earmarked for "agriculture" and "Irrigation". The country cannot afford to import food grains year after year and it is essential to propose the Agricultural production programme with a greater sense of urgency."

करीब-करीब यही बात यहां के सन् १९५८ के भाषण में भी कही गई। लेकिन उसके साथ कोई इस प्रकार का प्रयास नहीं था कि कृषक के काम आनी वाली कोई भी स्कीम सरकार चलाती। अगर बजट की तरफ आप गौर करें और कैश क्राप्स का जितना वर्णन मंत्री जी ने किया, उससे मालूम हुआ है कि सरकार का ध्यान सभी ऐसी क्राप्स की ओर था जिससे यहां पर कुछ पूंजीपतियों को अवश्य लाभ होता था। जब कृषक के लिये उसका मूल्य बढ़ाने की बात आती है तो यह कहा जाता कि मिल मालिक को कुछ नहीं रहता। गन्ने की बात आती है तो कहा जाता है कि आजकल उनके पास चीनी के स्टाक्स पड़े हैं। तो जब पैदा करना हित में है तब तो कृषक पैदा करे और जब दाम की बात उनके हित में है तो कृषक को दाम न दिलाया जाय।

मंत्री जी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि वह मालगुजारी बढ़ाना चाहते हैं लेकिन कुछ राजनीतिक कारण हैं जिनके कारण नहीं बढ़ा सकते। आज अगर ८६ फीसदी कृषक अपने लिये भूमि की मांग करता है और वह मानते हैं कि प्रति व्यक्ति भूमि कम है। कृषक के ऊपर मालगुजारी का भार अधिक है। उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्सेशन हैं। बाकी सब जगह प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हैं। मालगुजारी की कमी की वह मांग करता है तो कहा जाता है कि राजनैतिक कंसीडरेशंस हैं जिसके कारण नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अभी-अभी पंजाब का बजट प्रस्तुत हुआ है। उसमें ५ एकड़ से कम के कृषकों की सारी आय पंचायतों को विकास के लिये दे दी है। अन्य प्रदेशों के बजट में इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है तो आप यह कहें कि बिना मालगुजारी बढ़ाये सरकार का काम नहीं चल सकता, यह कितनी गलत बात है।

जो दूसरी बात हमारे मंत्री जी ने विस्तृत ढंग से कही वह यह है कि भूमि प्रति व्यक्ति और प्रति फैमिली कम है। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि बढ़ नहीं सकती, वह निश्चित है। केवल कृषि करने के जो तरीके हैं उनको दुरुस्त कर सकते हैं। आज तक तो यह भी था कि अधिक मेहनत की जाती है तो अधिक पैदा होता है। जिसके पास ३ एकड़ भूमि होती है और वह अगर अच्छी तरह से उसमें मेहनत करता है और उसके बाद कहा जाता है कि उत्पादन कृषक के मेहनत न करने के कारण घट रहा है तो बड़ी दिक्कत होती है। दरअसल उत्पादन घटने का कारण यह है कि जब उसने उत्पादन किया तो उस उत्पादन का उचित मूल्य उसे नहीं मिला जिससे कि खराब साल के लिये वह अपनी ऐसी स्थिति निर्माण कर ले कि उसकी स्वयं की कुछ हैसियत हो जाय और उसे कुछ सहारा रहे। और उसकी सहायता उन्होंने इसलिये नहीं की कि सहायता तो सारी की सारी उद्योग को देनी चाहिये। जब इस प्रदेश की पैदावार सन् १९५५ में इतनी काफी हो गई थी कि यहां आत्मनिर्भरता आ गई थी तो उसके बाद सरकार की गिरावट के ही कारण

यह आज की स्थिति पैदा हुई है और मैं इस सम्बन्ध में और किसी की बात न कह कर माननीय मंत्री जी की बात ही कहना चाहता हूं जो उन्होंने आचार्य जुगुल किशोर जी के मुंह से कहलाई थी। यह विधान सभा की कार्यवाई के ८४९ वें पृष्ठ पर लिखा है। जो बातें उन्होंने कही थीं उनमें पहली बात यह थी कि ग्रामीण जनता में अरक्षा की भावना बढ़ रही है, दूसरी बात यह कि ग्रामीण जनता तक पहुंचने की कोशिश नहीं है, तीसरी बात यह है कि अन्न की उपज के लिये आन्दोलन राजधानी तक रह गया है। ये तीनों, बातें जो चरण सिंह जी ने कही थीं वे आज तक उसी तरह से हैं। उनमें कोई अन्तर नहीं आया है। यह बजट वैसा का वैसा ही है।

मैं १९६१–६२ के बजट की नयी मदों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वह इस प्रकार कि पडरौना, देहरादून आदि स्थानों पर अधिकारियों के लिये पंखे, गन्ना सहायकों के आठ स्थायी पदों का सृजन, कृषि कर्मचारियों के कमरों को ठंडा करना, खांडसारी के लाइसेंस देने वाले कर्मचारियों के लिये ९ छत के पंखे। श्रीमन्, ये नयी मदें इस सरकार द्वारा बढ़ाई गयी हैं जिनको बढ़ाया जाना पिछले साल की वर्षा के बाद माननीय मंत्री जी ने उचित समझा।

माननीय मंत्री जी ने डेढ़ घंटा लिया और कहा कि काश्तकार पुराने कुओं और गर्रा आदि का इस्तेमाल करें लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने किसी अधिकारी को यह नहीं बताया कि वे जाकर पुराने कुओं का उद्धार करें और गर्रा जाकर स्वयं चलायें। ऐसी योजना कृषि मंत्री जी ने कोई नहीं बनायी कि इस प्रकार का श्रमदान मंत्री जी स्वयं करते और उन लोगों से कराते। आपने नयी मदों में लिखा है कमरे ठंढे करना, पंखे लगाना। इन चीजों पर बल देने से मालूम पड़ता है कि मंत्री जी का भी ध्यान इस ओर नहीं है। माननीय मंत्री जी को पुरानी मिनिस्ट्री से जो शिकायतें थीं, वे अब भी वैसी की वैसी बनी हुई हैं।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि पुलिस के लिये विरोधीदल ने २ रोज रखे थे तो कृषि के लिये कम से कम चार रोज रखने चाहिये थे। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कह देना चाहता हूं कि उनके दल ने यह सोच कर कि पुलिस विभाग उनके लिये कुछ कम रहेगा इसलिये कृषि विभाग और उनको दे दिया गया। यह दुर्भाग्य इस प्रदेश का है कि यहां पर मिनिस्टर इस कारण से नियुक्त नहीं किये जाते हैं कि उनको उस विभाग का अनुभव सबसे ज्यादा है बल्कि किसी दूसरे ही कंसीडरेशन से किया जाता है। इस प्रकार से उन्होंने कृषि को अधिक महत्व नहीं दिया और शायद यही कारण रहा कि विरोधी दल ने भी सोचा कि जो थोड़ा समय मिलेगा उसमें ही अपने विचार प्रकट कर देंगे।

एक बात मुझे और याद आ गयी। मैं जब कृषि विद्यालय में पढ़ता था, सन् १९४७ में वहां कुछ झगड़ा हुआ। वर्तमान वित्त मंत्री उस समय सभा सचिव थे। स्टेशन पर जब हम उनसे मिलने गये तो हमने उनसे पूछा कि क्या हमारी मांग सही नहीं है? उन्होंने कहा कि आपकी मांग तो सही है लेकिन पहले मैं अपना अधिकार या कुर्सी सुरक्षित रखूं या आपकी मांग का समर्थन करूं। इसी खयाल से माननीय मंत्री जी ने कृषि योजनाओं के लिये अधिक रुपया रखे जाने पर जोर नहीं दिया। मालूम पड़ता है जब कि दूसरी योजनाओं पर ८६ प्रतिशत रुपया खर्च किया जा रहा है। इन बातों को देखकर विरोधीदलों ने यह सोचा कि जब मंत्री जी अपने विचार प्रकट कर लेंगे तो २–४ बातें हम लोग भी समय मिला तो कह लेंगे।

इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने एक और बात कही और वह कि यहां का काश्तकार जब बेकार रहता है तो भी उतना ही बैठ कर खाता है और जब काम करता है तो भी उतना ही बैठ कर खाता है। मैं मानता हूं कि वह उतना ही खाता है लेकिन क्या कभी सरकार की ओर से या उसके विभाग की ओर से कोई इस तरह का सुझाव आया है या कोई ऐसी क्रापिंग स्कीम आयी

[श्री टम्बरेश्वर प्रसाद]

है—फसलों के हेर-फेर की जिसका कि वह उस समय में उपयोग कर सकें जब कि वह बैठ कर खाता है ?

इस सम्बन्ध में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कृषक आज डरता है और कोई नयी किस्म की फसल नहीं बोता जैसा कि मंत्री जी ने कहा यह सही बात है । उसका डरना स्वाभाविक भी है क्योंकि आपके विभाग की तरफ से जो पुस्तिका निकली है उसमें लिखा है—"देर से पकने वाले समूहों में जाति २८, टिन्डिवेनम–१,११ और ३.३ तथा शीघ्र पकने वाले समूहों में जाति ३२ अकोला १२–२४ और टिन्डिवेनम २ सब से उत्तम पाई गयीं ।" इसी प्रकार की और भी जातियां हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसको किसान समझ नहीं पाता है । आप जो रिसर्च करते हैं ठीक है, लेकिन जो जातियां उपयोगी हैं उन्हीं के बीज को बढ़ाना चाहिये । अगर गेहूं नं० ७१० को बोने के लिये आपने कह दिया और किसान बाजार में जाकर उसे मांगता है तो उसे वह नहीं मिल पाता क्योंकि वह चीज तो अपने यहां की है जिसका इस्तेमाल सभी करते हैं लेकिन रिसर्च के नाम पर उसका एक नया नाम देकर आपने एक तमाशा खड़ा कर दिया है । इसलिये वह उनके लिये उपयोगी नहीं हो पाता ।

इस पुस्तिका में कीट अनुसंधान, कृषि रक्षा तथा टिड्डी विनाश कार्य के सम्बन्ध में लिखा हुआ है कि ६ जिलों में ११४ एकड़ धान की फसल पर राइस हीस्पा, तीन जिलों में ११३.९७ एकड़ धान की फसल पर स्वार्मिग कैटर पिलर, २ जिलों में १८ एकड़, एक जिले में १३ एकड़ तथा २ जिलों में २१ एकड़ धान की फसल पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया गया । आज हमारे प्रदेश में बड़े जोर के साथ इस बात को कहा जाता है कि हमारी सरकार इस दिशा में काफी प्रगति कर रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री तिरमलसिंह (जिला एटा)—उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान सदन के समक्ष पेश है, मैं उसका समर्थन करता हूं । यह जो अनुदान कृषि का पेश है उस सम्बन्ध में मुझे ज्यादा तो नहीं कहना है क्योंकि मंत्री महोदय ने सारी बातें सदन के सामने रख दी हैं । मैं एक बात सदन के सामने रखना चाहता हूं और मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह इस तरह की बातें कर सकें तो सूबे के कृषकों का ज्यादा हित होगा और प्रदेश का उत्पादन बढ़ जायगा ।

कहा जाता है कि प्राकृतिक प्रकोप से पैदावार नहीं बढ़ती लेकिन क्या यह भी सोचा गया है कि सरकार की कानूनी दिक्कतों की वजह से भी पैदावार घटती है ? प्राकृतिक प्रकोप का सभी नाम लेते हैं लेकिन सरकारी कानून का नाम नहीं लेते जो किसानों का कोई हित नहीं करते ।

जहां तक कानून का ताल्लुक है, कुछ कानून ऐसे हैं जो किसानों को आगे बढ़ने में बाधा फैलाते हैं । इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी चीजों के लिये बीमे का नियम है लेकिन फसलों के लिये कोई बीमा नहीं है । सरकार फसलों के लिये बीमा कानून बना दे तो इसमें क्या दिक्कत है । मकानों का बीमा, मशीनों का बीमा सब चीजों का बीमा होता है लेकिन कृषि का बीमा नहीं है । उसके लिये भी सरकार कानून बना सकती है लेकिन उसने आजतक कुछ नहीं किया । दूसरे कहा जाता है कि कृषि के लिये खाद, पानी और बीज ही मुख्य साधन हैं । जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है उस में किसान के साथ भेदभाव होता है । सिंचाई में, जो बिजली चलती है, वह १९८ रुपया पर किलोवाट दी जाती है जब कि उद्योगों को १६५,१७० रुपया पर किलोवाट के हिसाब से दी जाती है । मैंने पिछले साल भी सदन में कहा था कि हमारे यहां उत्पादन के २ साधन हैं एक उद्योग और दूसरा कृषि । जहां उद्योग और उत्पादन का प्रश्न है वहां रेट में अन्तर क्यों है और कृषि में रेट्स क्यों अधिक हैं ? यह सब मानते हैं कि प्राथमिकता कच्चे माल को होना चाहिये और दूसरे नम्बर पक्के माल को होना चाहिये लेकिन कच्चे माल को प्राथमिकता न देकर पक्के माल को ही प्राथमिकता है । तो इस तरह के कानून को यह सरकार क्यों नहीं बदलती ? प्राथमिकता देने का तो कोई ईश्वरीय

प्रकोप नहीं है वह तो सरकार कर सकती है, वहां उसको ठीक करने में क्या कठिनाई है ? मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां किसान को कर्जा दिया जाता है वह भी ६ प्रतिशत, कोआपरेटिव में ९ प्रतिशत और बीज २५ रुपये प्रतिशत तक दिया जाता है जब कि उद्योगों के लिये जो कर्ज दिया जाता है वह ३ रुपया, ४ रुपया या अधिक से अधिक ५ रुपये के व्याज पर दिया जाता है। जब दोनों ही उत्पादन का कार्य करते हैं तो उस में किसान के साथ भेदभाव क्यों है ? जहां तक तकावी का कानून है उसको बदलने में सरकार को क्या कठिनाई है। २० गुना सीरदार को और ४० गुना भूमिधर को इसका सारा हिसाब आज भी पटवारी निकालता है, सीरदार का कितना होगा और भूमिधर का क्या होगा ? क्या यह सब सरकार सीधा कानून नहीं बना सकती ? वह यह कि १५० रुपया प्रतिएकड़ सीरदारों के लिये और २ सौ और ढ़ाई सौ रुपया प्रति एकड़ भूमिधरों के लिये या जो मुनासिब समझे। इस सबका हिसाब निकालने में जो जिलों में नीचे तक १५ प्रतिशत का हिसाब किसान को देना होता है और जो करप्शन होता है उस को सरकार इस तरह का कानून बनाकर रोक सकती है। मैं चाहता हूं कि इस तरह के कानूनों को सरकार बदले।

जहां तक बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि और ओला आदि से फसल के मारे जाने की बात है सरकार का कानून एक साल में १६ आने का नुकसान मानता है। जब एक फसल खराब हो जाती है तो ८ आना नुकसान माना जाता है और मिसाल के तौर पर किसी की खरीफ की फसल खराब हो गई तो उसका ८ आने का नुकसान हो गया और अगली फसल के लिये लगान आबपाशी मुल्तवी कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी का उद्योग फेल हो गया तो उससे सरकार सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स नहीं लेगी। जब सरकार उनके बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेती तो उनका लगान व आबपाशी अगली फसल के लिये क्यों मुल्तवी करती है ? उसको भी माफ क्यों नहीं किया जाता ? इस तरह के कानून को सरकार को बदलने में क्या दिक्कत है ?

तीसरे, जो सरकार का लैंड एक्जीजिशन ऐक्ट है वह भी किसान पर ही हमला करता है। शहरों में तो और भी बुरी हालत है। होता यह है कि किसानों की जमीन एक्वायर की जाती है और यह सीधी सी बात है कि मकान वही बनायेगा कि जिसके पास रुपया होगा और जमीन वह बेचेगा जो गरीब होगा लेकिन होता यह है कि किसान से सरकार १५० रुपये प्रति एकड़ के रेट में जमीन एक्वायर करती है लेकिन जब वही जमीन सरकार द्वारा मकान बनाने वाले के पास पहुंच जाती है तो वही २०,००० रुपये के रेट की हो जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, सरकार के यहां जो यह गरीब अमीर के भेदभाव हैं जो इस तरह के कानून हैं उन को बदलने की जरूरत है। यह मैं माने लेता हूं कि गरीबों पर टैक्स न लगने से गरीबी दूर नहीं होगी, गरीब तो टैक्स देकर ही तरक्की कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार शहर और गांव के लोगों के साथ, कृषि और दूसरे उद्योगों के साथ समभाव की नीति बरते। यह किसानों और मजदूरों की सरकार है, वह नेशनल सरकार है और यही सरकार स्वराज्य को कायम किये हुये है। इसलिये इसके कानून किसानों के हित में होने चाहिये। मैं मंत्री जी से इसलिये यह शिकायत कर रहा हूं कि इस चीज को वही ठीक कर सकते हैं और किसानों के हित में इन कानूनों को संशोधित करा सकते हैं। मेरे कहने से तो कुछ नहीं होता, मैं ने तो पिछले साल भी कहा था और इस साल फिर कह रहा हूं और यह बात सुझाव के रूप में मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। आप देखें, कहा जाता है लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और यह सिद्धान्त मानते हैं कि चूंकि खेती पर ज्यादा दबाव पड़ गया है, इसलिये आदमियों को उद्योगों में जाना चाहिये। उद्योग पावर से चलेंगे। जहां तक पावर देने का सवाल है गांव में २६ रुपया लाइन की गारन्टी ली जाती है, शहर में कुछ नहीं। ६६० रुपया मिनिमम गारन्टी गांव में है लेकिन शहर में कुछ नहीं। तो आप बतायें कि कैसे गांव में उद्योग धंधे खड़े हो सकते हैं शहर के मुकाबले में।

[श्री तिरमलसिंह]

इस कानून को बदला जा सकता है। इसको बदलना चाहिये। कानून ऐसे हैं ही नहीं जो लघु उद्योग गांवों में बढ़ाये जांय। ट्यूबवेल में पावर ज्यादा रेट पर चलती है और उद्योगों में कम रेट पर मिलती है।

स्वास्थ्य का जहां तक सम्बन्ध है, तो श्रम को नितान्त स्वास्थ्य की आवश्यकता है। लेकिन किसान के स्वास्थ्य का कोई प्रबन्ध नहीं जब कि शहरों में है। तो कैसे काम चले? ७२,००० ग्राम सभाएं हैं और १ अरब ५४ करोड़ रुपये का बजट है, गांव वाले दो बटे तीन देते हैं और शहर वाले १ बटे तीन देते हैं। अगर १,००० रु० खर्च करके हर गांव में प्राइमरी स्कूल बना दिये जांय तो ७ करोड़ २० लाख रुपये में स्कूल खुल सकते हैं। तो प्राइमरी शिक्षा सरकार गांव में बढ़ा सकती है। लेकिन वह भी नहीं करती है। अपना काम आप कीजिये। और दैवी प्रकोप जो है वह किसी के बस का नहीं है। लेकिन जो आपके बस का है उसको तो कीजिये। कानून तो आप बदल सकते हैं उसको बदल दीजिये। और अभी आप बदल दीजिये तो अच्छा है वरना समय आप को बदलने के लिये मजबूर कर देगा क्योंकि पारसाल से यह आवाज विधान सभा में शुरू हो गई है, गांव और शहर का सवाल पैदा हो गया है, जो अच्छी बात नहीं है। गांव वाले समझने लगे हैं कि कानून सरकार नहीं बनाना चाहती है। उनके नुमाइन्दे उनको जाकर बताते हैं। इसलिये इन कानूनों को बदलिये। इन सुझावों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और कुछ निवेदन करने के पहले मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक विधवा को सधवा बना दिया। श्रीमन्, कैसे बनाया? इसके बारे में चन्द शब्द निवेदन करके आगे चलूंगा। जैसे श्रीमन्, कोई अति सुन्दरी स्त्री हो और उसका पति अंधा हो और वह कहे कि "केह पर करूं मैं सिंगार, पिया मोरा अंधरा" इस कृषि विभाग की भी वही हालत थी। अभी तक कृषि विभाग जो था वह अपने उपयुक्त स्थान पर नहीं था। भगवान की दया से अब जाकर कृषि विभाग अपने उपयुक्त स्थान पर पहुंचा है। श्रीमन्, अमरीका में जहां कुल आबादी का केवल १३ प्रतिशत ही किसान है। वहां कृषि मंत्री वही हो सकता है जो किसान हो। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मगर अभी तक, चौधरी साहब के पहले तक, अपने यहां यह परम्परा रही कि कृषि मंत्री वही हो सकता है जो कृषक न हो। इसलिये मैंने कहा कि अभी तक यह विभाग विधवा था अब सधवा हुआ।

मंत्री जी ने अपने भाषण में कृषि के विषय में जितना कुछ कहा है, जितनी बातें बतायीं हैं उसके अतिरिक्त और कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कोई भी कृषक और उससे अधिक क्या कह सकता है। अगर कहना चाहे भी तो अपनी अनभिज्ञता ही प्रकट करना है। इसलिये मैं उस पहलू पर न जाकर प्रशासकीय पहलू पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

इस विभाग की तरफ से प्रत्येक जिले में २५, २५ एकड़ के फार्म बनाये जा रहे हैं सरकार की तरफ से। जमीनें ली जा रही हैं किसानों की। छोटे किसान हों या बड़े इससे मुझे ताल्लुक नहीं है। यह जमीन खरीद कर नहीं ली जाती बल्कि एक्वायर की जा रही है। दाम उसके दिया जा रहा है सरकारी भाव पर। यदि बाजार भाव है २,५००, ३,००० रुपया प्रति एकड़ तो सरकार उसे एक्वायर करके ५०० रुपया फी एकड़ के हिसाब से देती है और ५०० रुपये जो सरकारी खजाने से मिलते हैं किसान जिस समय तहसील से उन्हें लेने जाता है तो घूम फिर कर बहुत सारी मधु मक्खियां चिपट जाती हैं और उस ५०० में ३००, ३५० या ४०० रुपया ही उसके पास बच पाता है। माननीय चौधरी चरण सिंह के मंत्रित्व के पहले जैसा कहा, उस विधवा विभाग की एक योजना थी, उसी के अनुसार ये फार्म खोले जा रहे थे प्रदर्शन के लिये, और बीज बढ़ाने के लिये। तो २५ मील के घेरे में २०,

२५ एकड़ का एक सरकारी फार्म बना और उसमें वैज्ञानिक तरीके की खेती को अपनाया गया। फसलें उगीं लेकिन २५ मील दूरी से एक किसान उन्हें देखने नहीं आ सकता है क्योंकि उसके पास आने के लिये और उस फार्म को देखने के लिये न पैसा है, न समय है। इसलिये जो पहला पहलू है कि ये फार्म डिमांस्ट्रेशन के लिये खोले जा रहे हैं मेरी राय नाकिस में सही नहीं है। डिमांस्ट्रेशन के लिये मेरी राय यह है कि किसानों के खेतों पर ही डिमांस्ट्रेशन किया जाय। किसी भी गांव में जाओ और किसी एक किसान से यह कहा जाय कि तुम्हारे ही आधे खेत में तुम अपने ढंग से खेती करो और आधे में हम अपने ढंग से खेती करें, उपज जो भी होगी तुम ले लेना। इसके लिये कोई भी किसान राजी हो जायगा। जब वह देखेगा कि नये ढंग से जो खेती की गयी है इसमें ६ फीट का गेहूं खड़ा है और पुराने ढंग से खेती करने में ४ फीट का ही है तो ख्वामख्वाह उसमें यह भावना पैदा होगी कि वह नया तरीका अच्छा और अपनाने योग्य है। इस तरह से गांव में जाकर अगर डिमांस्ट्रेशन किया जाय तो इसका अच्छा असर पड़ेगा और लोग लाभान्वित भी होंगे। २०, २५ मील के एरिया में एक फार्म खोल कर वह लाभ नहीं उठाया जा सकता।

दूसरा पहलू आता है बीज बढ़ाने का। तो २५ एकड़ के फार्म में बीज बढ़ाने को जो स्कीम है उसमें जितना बीज पैदा होगा उससे ज्यादा फी मन उसके रख रखाव में खर्चा हो जाता है। सरकारी फार्म जितने चल रहे हैं सदन में चर्चा होती है, सदस्य पूछ ताछ करते हैं सरकारी फार्म क्यों घाटे पर चल रहे हैं? मुझे अवसर मिला है कुछ सरकारी फार्मों पर जाने का और मैंने यह देखा कि फार्म घाटे में वास्तव में कोई नहीं है। घाटा होता है टीम टाम पर, रखरखाव पर। २५ एकड़ के फार्म में १०–५ हजार की बिल्डिंग बनी होती है, नौकर चाकर होते हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, उन मकानों को देखने के लिये चपरासी हैं। जो आफिसर्स दौरे पर आते हैं या अन्य लोग इन फार्म्स को देखने आते हैं उसके लिये सड़कों की सफाई करनी पड़ती है, मकान की सफाई की जाती है। उस पर जो खर्चा पड़ता है वह भी उसी में जुड़ जाता है। इसलिये अन्त में बैलेंसशीट में वह फार्म घाटे पर चला जाता है। वास्तव में घाटा नहीं है मगर वे घाटे पर चले जाते हैं।

इसी तरह से इन २५ एकड़ के फार्मों को अगर सीड मल्टीप्लीकेशन के लिये रखा जाता है तो इनमें भी अनावश्यक खर्च होगा क्योंकि सरकारी ढंग के काम में ख्वामख्वाह खर्च ज्यादा होता है। इसके एवज में, जैसा कि अमरीका में है कि वहां वे किसानों से बीज बनवाते हैं अगर वैसा ही यहां भी किया जाय तो अधिक लाभ हो। वहां वे किसानों से कहते हैं कि जो भी बाजार भाव होगा उस पर ५० फीसदी ज्यादा हम तुम्हें देंगे और तुम हमारे इस बीज को मल्टीप्लाई करके दो। इस पर किसान स्वयं आकर्षित होते हैं क्योंकि उनको अधिक दाम मिलने को होते हैं और इसलिये वे अपने खेत में जैसा सरकार चाहती है वैसा बीज मस्टीप्लाई कर के दे देते हैं। यह मैंने माना कि अमरीका बड़ा धनी मुल्क है, वह ५० फी सदी ज्यादा दे सकता है और हम गरीब हैं, उतना नहीं दे सकते हैं, तो हम २५ फी सदी ही बाजार भाव से अधिक दें और किसान से कहें कि यह हमारे बीज हैं उनको तुम मल्टीप्लाई करके दो। मैं यकीन दिला सकता हूं कि प्रदेश का कोई भी किसान ऐसा नहीं होगा जो इस शर्त पर राजी न हो जाय और जिस ढंग पर सरकार चाहेगी, १, २, ३ मर्तबा चलने से चाल कर फर्स्ट क्लास बीज उसका मिल जायगा और इस खर्चे से सरकार बच जायगी, इस बदनामी से बच जायगी और इस परेशानी से बच जायगी।

इसके अलावा, श्रीमन्, ये जो २५ एकड़ के फार्म लिये जा रहे हैं इनसे एक अजीब माहौल सा बनता जा रहा है। लोगों में यह भावना फैल रही है कि इसी तरीके से धीरे-धीरे सरकार हर जगह छोटे-छोटे फार्म बना कर फिर उनके किनारे की जमीन लेगी और फिर उसके

[कुंवर श्रीपालसिंह]

किनारे की लेगी और इस तरीके से बढ़ते-बढ़ते सारी जमीन पर कब्जा कर लेगी। यह एक भावना देहात के लोगों में बढ़ रही है। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं चूंकि वे प्रैक्टिकल आदमी हैं, वरना अगर वही जमाना होता तो मेरा यह अरण्यरोदन किसी काम का नहीं होता कि इन फार्मों को तोड़ कर भूमि उनके पिछले मालिक किसानों को वापस कर दें।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा कि इस विभाग के लिये केवल एक दिन का समय रखा गया है। मानता हूं मैं कि यह बहुत बड़ी भूल हुई है। वास्तव में इधर के बैठने वाले या उधर के बैठने वाले जब भाषण देंगे तो गांव का, कोई बात कहेंगे तो किसान की भलाई का मगर जहां असलियत आती है वहां वही लोग सामने रह जाते हैं जो वास्तव में किसान हैं और जिनके हृदय में किसान के लिये जगह है। माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि दिन कम रखे गये उसका कारण है, श्रीमन्। उसका कारण यह है कि समाजवाद का जो एक बड़ा भारी नारा बुलन्द हो रहा है उसमें तो सब से पहले किसानों को ही साफ करना है। अतः उनकी उन्नति की बात में व्यर्थ समय नष्ट करने से क्या लाभ, श्रीमन्?

महापुरुष लेनिन जिनका निकाला हुआ समाजवाद है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पूंजीवाद का गढ़ कौन है? किसान। उन्होंने साफ लफ्जों में "दो कार्य नीतियां" नामक पुस्तक में यह कहा है और उसमें पहली नीति जो उन्होंने बतलायी है वह यह कि जो एक तंत्रीय शासन और सामन्तशाही की समाप्ति के लिये क्रान्ति होती है वह है पूंजीवादी क्रान्ति और वह चलायी जाती है पूंजीपतियों द्वारा। उस क्रान्ति को चलाने वाले होते हैं कृषक और मजदूर वर्ग और उसका ध्येय होता है प्रजातन्त्र, जब प्रजातन्त्र की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद समाजवादी क्रान्ति का प्रादुर्भाव होता है। तो समाजवादी क्रान्ति में दुश्मन के खाने में कौन आता है? किसान। इसलिये अब चूंकि पूंजीवादी क्रान्ति यहां समाप्त हो चुकी है, जनवादी क्रांति यहां समाप्त हो चुकी है, प्रजातंत्र हासिल किया जा चुका है इसलिये अब अगला कदम समाजवादी क्रांति की तरफ बढ़ेगा। लिहाजा यह तय है कि दुश्मन के खाने में किसान आ गया। रूस में भी जार शाही तथा जमीदारों की समाप्ति के बाद समाजवाद के नाम पर किसानों को दुश्मन के खाने में रखा गया और उस किसान को समाप्त करने के लिये कुलक शब्द उसके लिये दिया गया।

श्रीमन्, रूस में जब प्रति व्यक्ति १८ एकड़ ही जमीन आती थी। इससे छोटे किसान वहां नहीं हैं। इसके माने यह हैं कि जितने किसान थे वे सब कुलक बना दिये गये और उनकी तस्वीर भी उसी तारकोल से खींची गई जिससे जमीदारों की खींची गई थी और उनको भी समाप्त किया गया। इसी प्रकार से श्रीमन्, यहां दूसरी क्रान्ति यानी समाजवादी क्रांति चालू हुई है और कृषि मंत्री जी चाहते हैं कि कृषक समस्याओं पर अधिक समय दिया जाय, अधिक विवेचन किया जाय। तो श्रीमन्, यह खाली मृग मरीचिका है और कोई बात नहीं है। यहां तो सिद्धान्त ही दूसरा है और सबके दिमाग में यह भरा हुआ है कि किसान को गिराया जाय। वोटों के लिये तो उसके पास जायेंगे लेकिन उसकी उन्नति के लिये नहीं सोचा जाता है। मंत्री जी चूंकि कृषक और कृषि के पंडित हैं इसीलिये कृषकों के बारे में ऐसा सोचते हैं वरना वह भी समाजवादी ढंग के होते तो ऐसा नहीं सोच सकते थे।

श्रीमन्, मैं बागों के बारे में एक चीज निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री जी ने अपने भाषण में एक बहुत जरूरी चीज कही कि हमारे यहां ईंधन की कमी होती जा रही है। यह दिक्कत गांव वालों को है। शहरों में तो ट्रकों में भरकर लकड़ी आजाती है। गांवों में लकड़ी नहीं मिलती है जिसकी वजह से किसान उपले बनाकर अपने भोजन बनाने में गोबर का इस्तेमाल करता है। इसलिये खेतों में जो खाद के रूप में गोबर देना चाहिये वह नहीं दे पाता। पहले बाग और जंगल गांवों में थे जो इस कमी को दूर करते थे। मगर अब

राजस्व विभाग ने बागों पर लगान लगा दिया है और रोस्टर रेट का और पहले नम्बर का लगाया है क्योंकि जब बाग है तो जमीन अच्छी किस्म की होगी। लिहाजा लगान इतना ज्यादा हो जाता है कि किसान बाग काटकर खेत बनाने के लिये मजबूर हो जाता है। बाग की जमीन अच्छी होती है और उसमें कुछ उपज अच्छी हो जाती है लेकिन ज्यादा लगान लगने से खेत हो गये हैं और गोबर की बचत नहीं हो पाती है। अगर कृषि की उपज बढ़ाने का विचार है तो इस प्रकार की चीजों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिये और मंत्री जी राजस्व विभाग से कहें कि वह बागों पर से लगान हटा दें।

हमारे एटा के माननीय सदस्य ने बताया कि वहां कुछ लोगों की जमीन ली गई। उनमें कुछ लोगों की पहुंच यहां तक थी। इसलिये उनकी जमीन के ज्यादा दाम लगा दिये गये और ३/४ छोटे किसान थे उनकी जमीन के दाम कम लगाये गये। यदि ऐसी बात है तो मंत्री जी इस पर अवश्य ध्यान दें। इतना कहकर मैं इस कटौती के प्रस्ताव का इसलिये समर्थन कर रहा हूं कि इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है और हम कटोत्तरी कहकर ही रुपया दिला सकते हैं, बढ़ोत्तरी कह कर नहीं दिला सकते हैं। यही तो है प्रजातन्त्र की विडम्बना।

श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करती हूं। हमारा देश पहले से ही कृषि प्रधान रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश विशेष रूप से रहा है। लेकिन साथ ही एक समस्या यह है कि हरिजन समाज बहुत बड़ी संख्या में इस वक्त भूमिहीन है। आज जो भूमिहीन मजदूर है वह खेती के सब कार्य जानता है, जैसे कटाई, बोवाई, इत्यादि। वह सब अच्छी तरह से कार्य कर लेता है लेकिन आज वह भूमिहीन है। वर्तमान कृषि मंत्री जी ने जो कार्य किया है वह वाकई में सराहनीय है। उन्होंने मजदूरों के लिये यह प्रबन्ध किया कि ग्राम समाज में भूमि जो उपलब्ध हो वह मजदूरों को दी जाय। लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा निवेदन करूंगी कि वह फिर दोबारा उस पर विचार करें ताकि भूमिहीन मजदूरों को कुछ जमीन मिल सके।

वर्तमान सरकार ने जो कार्य किसानों के लिये किया है वह वास्तव में सराहनीय है, जैसे पानी का प्रबन्ध, बीज का प्रबन्ध, तकावी का प्रबन्ध। लेकिन साथ-साथ ही किसानों को जो तकावी दी जाती है उसमें उनको बहुत परेशानी होती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि उनको कितने ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जिस वक्त उनको तकावी की आवश्यकता होती है उस समय उनको नहीं मिल पाती बल्कि उसमें देर हो जाती है और वह अपने कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। तो मेरा आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह कहना है कि जिस समय उन्हें तकावी की आवश्यकता हो उस समय उन्हें वह तकावी मिल जाय तो अच्छा होगा।

दूसरे मुझे अपने जिले में जो कार्य हो रहा है, उसके सम्बन्ध में यह कहना है कि हमारे जिले की नकुड़ तहसील में कुछ अमीन बिना रसीद दिए हुए बेचारे किसानों से लगान का पैसा ले लेते हैं, एक अमीन १०, १५ हजार रुपये लगान के ले कर गायब है, उसका आज तक कोई पता नहीं। मेरी प्रार्थना है कि जहां इस प्रकार की गड़बड़ियां हों उन पर ध्यान दिया जाय।

अन्तिम सुझाव मुझे यह देना है कि हमारे जिले सहारनपुर में परगना चिलकाना है। चिलकाने में मसखरा नदी बहती है। उस से बरसात के दिनों में खेती योग्य भूमि पर बाढ़ आ जाने से कोई अन्न पैदा नहीं होता। इसके अतिरिक्त सरसावे में यमुना नदी बहती है। उसमें किसानों की बहुत सी जमीन यमुना में आ जाने के कारण बहुत सी जमीन जो खेती योग्य है, इस प्रकार नष्ट हो गई है, जिससे खेती को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। मेरी प्रार्थना है कि

[श्रीमती शकुन्तलादेवी]

जो किसान भूमिहीन हो गये हैं, उनके खेत यमुना के बीच में आ गये हैं, उनको दूसरी जगह भूमि दी जाय, ताकि वह अपने कार्य को पूरी तरह कर सकें।

श्रीमती सुनीता चौहान (जिला रायबरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का मैं समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि माननीय मंत्री जी के द्वारा कृषि विभाग में जितनी सुविधायें किसानों को मिल रही हैं वह वास्तव में सराहनीय हैं। मैं यह भी मानती हूं और यह उम्मीद करती थी कि जो वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण यहां प्रस्तुत हुआ है माननीय मंत्री जी उसके समर्थन में ही या उसी अनुदान पर अपना भाषण प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उनकी स्पीच से वास्तव में मुझे बड़ा संतोष हुआ, साथ ही मुझे उनको बधाई देने की इच्छा होती है कि जो प्रैक्टिकल बातें किसानों के लिये आज उन्होंने इस सदन में रखी हैं वह वास्तव में सराहनीय कदम है। उन्होंने गोबर के खाद के विषय में बहुत सुन्दर चर्चा की है कि इस पर अधिक जोर दिया जाय और इसका बहुत महत्व समझा जाय क्योंकि गोबर के खाद को उतने पानी की आवश्यकता नहीं होती जितने पानी की आवश्यकता दूसरे खादों को होती है। इस खाद को एक तरह से पीछे ढकेल दिया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, बजट स्पीच में कहा गया था कि कृषि को जीविका का साधन न बना कर उद्योग का प्रश्रय देकर प्रदेश को उन्नतशील बना सकते हैं। इसके विपरीत माननीय मंत्री जी ने यहां पर अपना अनुदान प्रस्तुत करते हुये अपना कथन इस सदन में रखा कि हम कृषि को ही बढ़ावा देकर अपने प्रदेश को उन्नतशील बना सकते हैं। यह सही है और यह कौन नहीं जानता कि हमारे प्रदेश में ८० फीसदी किसान खेती करते हैं। यह भी सही है कि हम उन उद्योगों को प्रश्रय दे कर अपने यहां किसानों की माली हालत नहीं सुधार सकते हैं।

सरकार की तरफ से नये नये फार्म खोले जा रहे हैं, जैसा कि अभी कई सदस्यों ने इस सदन में जिक्र किया कि २५ एकड़ के फार्म खुले हैं। मैं समझती हूं कि इन फार्मों के बजाय यदि सरकार यह सुविधायें अन्य किसानों को भी दे तो वे कहीं ज्यादा अच्छी तरह से किसानी करके उन्नति करने का अपना नमूना प्रस्तुत कर सकते हैं। इन फार्मों पर जितना कम जोर दिया जाय उतना अच्छा है। कहीं कहीं वैसी ही जमीन के लिये, जिनकी उपज उतनी ही है, लाखों रुपया किसी किसी जिले को दे दिया गया है। इसके साथ ही पता नहीं किन कारणों से या जमीन के कारण से उस जमीन से हटकर दूसरी जमीन को एक्वायर करने की कोशिश की गई है। मैं चाहती हूं कि इन फार्मों पर सरकार अधिक विचार करे और उन जमीनों को ही सरकार एक्वायर करने की कोशिश करे जिनसे किसान सहमत हों क्योंकि सहकारी फार्मों के लिये हर किसान तैयार नहीं हो सकता है। ऐसी ऐसी मिसाल हैं कि जहां पर किसान जमीन देने के लिये तैयार नहीं हैं। उनसे जमीन जबरदस्ती लेकर अपनी मर्जी के मुताबिक मुआविजा देकर जमीन एक्वायर कर ली जाती है। एक छोटी सी मिसाल देना चाहती हूं रायबरेली जिले की डलमऊ तहसील की। वहां पर एक अच्छे किसान की जमीन का कुछ हिस्सा एक्वायर किया गया जिसके पास काफी जमीन थी लेकिन उसका कुछ हिस्सा ऐसे किसान की जमीन का एक्वायरमेन्ट किया गया जिसके पास उतनी ही जमीन थी जितनी कि सहकारी फार्म के लिये ली जाने वाली थी। हालांकि वह नक्शा मैंने यहां पेश कर दिया और शायद सरकार ने उस पर गौर किया हो। मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती कि क्या हुआ लेकिन इतना अवश्य कहूंगी कि जब सरकार इस प्रकार से जमीन के विषय में कोई कदम उठावे तो वह उसके ऊपर बहुत सोच विचार करके कदम उठावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बच्चों को स्कूलों में खेती का कार्य सिखाने के विषय में एक बात का और जिक्र करना चाहती हूं। हमारी शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर गया है और हमारे बच्चे आगे चल कर बहुत ऊंचे स्तर पर ऊंची शिक्षा नहीं पा रहे हैं। जो गांव में पढ़ कर आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें यह होता है कि उन बच्चों को बहुत सारा काम खेती और किसानी में दिया जाता है। आठवीं कक्षा के बच्चे, जिनको रात में पढ़ना चाहिये और रेस्ट करना चाहिये, उनको

खेती की रखवाली के लिये मास्टर भेजा करते हैं। मैं इसके लिये अपनी असहमति प्रकट करती हूं कि यह खेती का काम स्कूल के बच्चों को न सिखाया जाय। हमारे मन्त्री जी ने बतलाया कि ११ स्कूल और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का काम अच्छे पैमाने पर सरकार ने शुरू किया है। जब इस तरह से किसानी का काम सिखाने के लिये सरकार स्कूल खोल रही है तो इस प्रकार से छोटे बच्चों को छोटी क्लास में किसानी का काम न सिखाया जाय।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार की तरफ से सीड स्टोर खुले हैं। कुछ कोआपरेटिव्स की तरफ से खुले हैं और कुछ कृषि विभाग की तरफ से खुले हैं। मेरी यह निश्चित राय है कि यह सीड स्टोर एक ही विभाग की तरफ से खुलने चाहिये क्योंकि इसमें जो भी बुराई हो उन को एक ही मन्त्री जी के सामने रखा जाय। यदि कृषि विभाग के सीड स्टोर से गल्ला लेना चाहते हैं तो हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास ही कह सकते हैं कि इस विभाग से इस तरह के ढंग का गल्ला हमको मिलता है तो मैं चाहूंगी कि कृषि विभाग के अन्तर्गत ही सीड स्टोर खोले जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, खाद के विषय में थोड़ा सा जिक्र कर दूं। कृषि तथा कोआपरेटिव दोनों ही विभागों के सीड स्टोर्स पर जब किसान सीड लेने जाते हैं तो उन्हें सीड के साथ-साथ खाद भी लेनी पड़ती है और उसको खाद लेने पर ही सीड दिया जाता है। माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें। यदि सीड का वितरण कृषि विभाग द्वारा किया जाय तो मेरा सुझाव है कि अनाज के साथ खाद देना जरूरी न रखा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बड़ा जिक्र इस बात का किया कि खेती को आजीविका का साधन न बना कर उद्योग को ज्यादा प्रश्रय दिया जाय। मैं नहीं समझती कि जिस देश में ८० फीसदी लोग कृषि में काम करते हों, वे उसे आजीविका का साधन न बनायें यह कैसे संभव हो सकता है, और पता नहीं कैसे माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार की बात कही कि हम उद्योग को ज्यादा प्रश्रय दें। एक छोटी सी बात है कि रायबरेली में महुए के आधार पर तेल के छोटे उद्योग और कई छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज कायम की जा सकती हैं, लेकिन वह आज तक कुछ नहीं हो सका। जब हम उन चीजों को बढ़ावा नहीं दे सकते तो क्या आवश्यकता है कि उन बातों की इस सदन में, इस प्रकार चर्चा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, तकावी के सिलसिले में भी मैं चाहूंगी कि कुछ न कुछ परिवर्तन किया जाय। मैं समझती हूं कि तकावी एक कर्जा होता है जो किसानों को देना पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि कोई किसान अपने प्राइवेट बिजनेस द्वारा उसकी अदायगी कर सके, इसलिये सरकार को उसे देने में सहूलियतें बरतनी चाहिये जिससे कि तकावी आसानी से मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करती हूं।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान में जो कटौती का प्रस्ताव श्री रघुवीर सिंह जी ने रखा है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस समय हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए आवश्यक हो गया है कि खाद्यान्न के मामले में सरकार आत्मनिर्भर बने और जब प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च स्थान पर कृषि को रखा गया था उस समय भी यह कहा गया था कि उस योजना काल में ९.८३ लाख टन अतिरिक्त अनाज पैदा किया जायगा। परन्तु प्रथम पंचवर्षीय योजना बीत गयी, दूसरी भी समाप्त हुई और अब तीसरी योजना का आरम्भ हमारे देश और प्रदेश में होने जा रहा है, लेकिन खाद्यान्न की समस्या दिन प्रति दिन गंभीर होती जा रही है।

अभी हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं हो सका है और उसे बाहर से गल्ला मंगाना पड़ता है। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाता जिनके आधार पर चौधरी साहब ने अपना भाषण दिया है। वह आंकड़े उनको लेखपाल, कुर्क अमीन, कानूनगो और तहसीलदार द्वारा दिये हुए हैं और उन

[श्री सजीवनलाल]

आंकड़ों पर हमारा विश्वास नहीं है और उन आंकड़ों पर विश्वास कर के सरकार देख चुकी है कि जिन बातों को लेकर सदन में बार-बार चर्चा होती रही है, वह खाद्यान्न जैसी समस्या आज तक हल नहीं हो पा रही है। अधिक अन्न उपजाने के लिये सरकार की ओर से तमाम आन्दोलन किये जाते हैं, रबी आन्दोलन होता है, खरीफ आन्दोलन होता है, पंचायतों को आदेश भी जाते हैं, सेक्रेटरीज और ग्राम सेवक घूमते हैं, किन्तु फिर भी यह समस्या हल नहीं होती। मेरा कहना यह है कि जब तक सरकार इसके लिये कोई समुचित कदम नहीं उठायेगी और किसानों की जो रोजमर्रा की आवश्यकता की चीजें हैं उनको सुलभ नहीं करायेगी, तब तक यह गल्ले की समस्या हल नहीं होगी।

आज किसान जो पैदा करता है उसको अपनी उपज का उचित मूल्य भी नहीं मिलता है और जो पूंजीपति और सट्टेदार लोग हैं वही सारा मुनाफा खा जाते हैं। उनके माल की बिक्री की कोई व्यवस्था नहीं है और न भावों पर कोई नियंत्रण ही है। इसलिये सरकार को इस बात की भी व्यवस्था करनी चाहिये कि उस किसान का माल उचित भाव पर बिके।

पहली बात मैं इन दोनों विभागों ——कृषि विभाग और पशुपालन विभाग——के बारे में कहना चाहता हूं। इन विभागों में जो कर्मचारी रखे जाते हैं वे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कृषि संबंधी बातों की तनिक भी जानकारी नहीं होती और वे स्वयं गांव में जाकर किसानों से पूछते हैं। उनको कोई तजुर्बा गांव के जीवन का नहीं होता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इन दोनों विभागों में, जो गांव के पढ़े-लिखे लोग हों, उन्हें रखा जाय, जो पिछड़ी हुई जाति के लोग हों, हरिजन जाति के लोग हों, उन्हें रखा जाय। अगर ऐसे कर्मचारी रखे जायेंगे तो निश्चय ही कृषि में कुछ तरक्की होगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज १३ वर्षों की आजादी के बाद भी खेतों के इंदराज दुरुस्त नहीं हुए हैं। आज कागज में इन्दराज किसी का है और कब्जा कोई किये बैठा है। इसके कारण आज किसानों को तहसीलों और शहरों में भागना पड़ता है और उनका काफी पैसा भी खर्च होता है। इस समस्या को भी जल्दी से जल्दी सरकार द्वारा हल करना चाहिये। वकीलों के जरिये, कर्मचारियों के जरिये, आज वह किसान अच्छी तरह से लूटा जाता है।

एक बात मैं जो सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म्स हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। यह जो फार्म्स बने हैं इनमें भूमि छोटे-छोटे किसानों की ली गयी है। आज ऐसे बहुत से किसान हैं कि उनके पास जमीन तक नहीं रह गयी है। बड़े-बड़े किसानों ने जिन्होंने लिख कर भी दिया कि इनकी जमीन ली जाय, मगर उनकी जमीनें नहीं ली गयीं और छोटे छोटे किसानों की जमीनें ली गयीं। इसकी मुकदमेबाजी में कल्लू नाम के एक किसान की जान तक चली गयी। गरीब किसानों के साथ अन्याय किया गया। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा सरकार को यह अच्छी तरह से अनुभव है कि आज जो सरकारी फार्म्स हैं उनमें घाटा हो रहा है। तो जब सरकारी फार्म्स में घाटा होता है तो यह कैसे समझा जा सकता है कि किसान को उसकी खेती में फायदा होगा। हमारा यह कहना है कि जब तक किसान की इन समस्याओं को हल नहीं किया जायगा, जब तक उसकी खरीदने की शक्ति नहीं पैदा की जायगी, उसका बैल मजबूत नहीं होगा, किसान मजबूत नहीं होगा तब तक खेत पर पैदावार नहीं बढ़ सकती। इसलिए किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत की जाय, तभी पैदावार बढ़ सकती है और उसके आधार पर देश की तरक्की हो सकती है, दूकानें भी चल सकती हैं और उद्योग-धंधे भी पनप सकते हैं।

अभी यह भी कहा गया था कि जमीन कोई ऐसी चीज नहीं है कि बढ़ सके। हमारा सुझाव है कि जमीन हमारे प्रदेश के अन्दर ही है। अगर उस पर खेती ढंग से की जाय तो पैदावार बढ़ सकती है। जो बंजर भूमि लाखों एकड़ के पैमाने पर पड़ी हुई है। एक तरफ बेकार जमीन है, दूसरी तरफ बेकार आदमी घूम रहे हैं। यदि उस बेकार जमीन पर बेकार

आदमी लग जायं तो खाद्यान्न बढ़ सकता है और यह समस्या भी हल हो सकती है। लेकिन जरूरत है कि जो भूमिहीन हैं, बेकार हैं, उनको खेती के साधन दिये जायं तो वह खेती कर सकते हैं और उससे प्रदेश की खाद्य समस्या हल हो सकती है।

सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हमने ४ क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं। पहला तो जमींदारी का खात्मा, उसके बाद चकबन्दी, तीसरा हदबन्दी और चौथा सहकारी खेती। अब ये जो ४ क्रान्तिकारी कदम उठाये गये हैं इन क्रान्तिकारी कदमों से १० साल के अन्दर समस्या हल नहीं हो पा रही है तो हम कैसे समझें कि यह सरकार खाद्यान्न की समस्या को हल कर सकती है? गांव का वह आदमी जो खेती पर परिश्रम करना जानता है जब तक उसकी समस्या हल नहीं होगी तब तक कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती है। इस समय मैं अपनी समझ के अनुसार कह रहा हूं कि आज गांव का शासन शहरों की ओर से हो रहा है। वह इस प्रकार से कि सड़कें शहरों की बनती हैं, जितने भी विकास सम्बन्धी कार्य होते हैं वह शहर में ही हो रहे हैं, लेकिन देहात में न सड़कें हैं जिन पर किसान अपना गल्ला लेकर शहर में आसानी से भेज सके, न पक्की सड़कें हैं, न रास्ते सही हैं। तो जब सरकार मान चुकी है कि देश के ८५ फीसदी किसानों की समस्या हल करने के बाद ही देश की तरक्की हो सकती है, तब सरकार उस ओर क्यों नहीं ठोस तवज्जह देती है?

खरीफ आन्दोलन हो, चाहे रबी आन्दोलन हो, इन आन्दोलनों के आधार पर और इन ए० डी० ओ० या बी० डी० ओ० के आधार पर या ग्राम सेवकों के आधार पर ये समस्याएं हल नहीं हो सकती हैं। चाहे जापानी ढंग से धान लगावें, चाहे डिबलर से बुवायें, उससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। मुख्य जरूरत यह थी कि उस किसान के पास जो खेती पर मेहनत करना जानता है उस को भर पेट अनाज मिल जाय।

हड्डी वाली खाद या अमोनियम सल्फ़ेट की खाद इन चीजों का प्रचार तभी हो सकता है जब इनकी तरफ किसान का रुझान हो, किसान समझे कि हमारे हित में ये चीजें हो रही हैं, और मुझे बताये रास्ते पर चलना है। अभी किसान इसकी तरफ मुखातिब नहीं हो रहा है। ये जो खाद के गड्ढे जगह-जगह बनाये जा रहे हैं, कहीं तो फर्जी वाउचर बना कर भेज दिये जाते हैं कि इस जगह खाद का गड्ढा बना था और २०–२५ रुपया लेकर बैठ जाते हैं। इस तरह की चीजों की छान-बीन और जांच होनी चाहिये।

मेरा सुझाव है कि तकावी का तरीका बदला जाय। आज हालत यह है कि जो किसान तकावी चाहता है उसको तकावी नहीं मिल पाती, फाइलें दौड़ती रहती हैं कभी लेखपाल के पास और कभी तहसीलदार के पास। असाढ़ के महीने में जब खेत में हल-बैल और बीज लेकर जाने की आवश्यकता होती है उसी समय उस किसान को पये की आवश्यकता होती है लेकिन उस समय उसको तकावी नहीं मिल पाती। उसका क्रम चलता रहता है जिसमें साल डेढ़ साल लग जाते हैं। और जब यह मंजूर होती है तो कहा जाता है कि जमानत दो। जमानत का मामला यह है कि बगैर उसके तकावी मिल नहीं सकती। उसका भी प्रबन्ध करके यदि तकावी मिल भी जाय तो कुछ रुपया तहसील के अधिकारियों के पास रह जाता है और कुछ दूसरी जगह चला जाता है, बमुश्किल तमाम थोड़ी-सी रकम उसको मिलती है और वह भी जब टाइम निकल जाता है, उसके बाद।

चौधरी साहब ने कहा कि पुराने तरीके बदले जायं और आधुनिक ढंग से खेती पर काम किया जाय। वह आधुनिक ढंग कौन होंगे? १३ साल से तो वह चल रहे हैं। ट्रैक्टरों से खेती, ट्यूबवेल और नहरों से सिंचाई की गई लेकिन आज भी क्या खाद्यान्न की समस्या हल हुई? नहीं हुई। हमारा कहना यह है कि जब किसान का रुझान पुराने तरीकों की तरफ है तो उन्हीं को बढ़ावा दिया जाय और धीरे-धीरे करके जब नये तरीकों की तरफ उसका रुझान हो

[श्री सजीवनलाल]

जाय तो उनको भी प्रोत्साहित किया जाय। पुराने साधन वैसे ही धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं। कारण यह है कि सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और किसान भी हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। इसलिये जब किसानों में नयी लहर और नयी जागृति पैदा की जायगी तभी इस प्रदेश की पैदावार बढ़ सकती है।

एक सुझाव खास तौर पर और देना चाहता हूं कि बड़े-बड़े जो ऊसर और बंजर पड़े हुये हैं जिनमें लाखों मन धान पैदा हो सकता है उनको तोड़वाया जाय और गरीब किसानों और भूमि-हीनों को उसे दिया जाय ताकि पैदावार बढ़े। अगर सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और सरकार धीरे-धीरे लगान, सिंचाई और दूसरे टैक्स ही बढ़ाती रही तो पैदावार नहीं बढ़ सकेगी। तम्बाकू की खेती पर भी टैक्स कम किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—समय समाप्त।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, १५४ करोड़ रुपये का इस प्रदेश का बजट है उसमें करीब सात साढ़े ७ करोड़ रुपये कृषि के लिये रखे गये हैं। प्रदेश की आबादी भी करीब-करीब इतनी ही है। करीब-करीब ८० फी सदी आदमी कृषि पर निर्भर है। अगर मोटे तौर से हिसाब लगाया जाय तो सवा रुपया एक किसान पर पड़ रहा है। इतने धन से कितनी सहायता हो सकेगी, कितनी प्रगति हो सकेगी मैं नहीं कह सकता। माननीय कृषि मंत्री जी किसानों के प्रति इतना सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण रखते हुये भी क्या कर सकेंगे, मैं नहीं समझता। उपाध्यक्ष महोदय, उनके प्रारम्भिक भाषण को मुझे सुनने का मौका मिला। जिस दृष्टिकोण का उन्होंने दिग्दर्शन कराया उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ठीक ढंग से समस्या को पकड़ा है और मुझे आशा है कि इस थोड़े से धन का अधिक से अधिक सदुपयोग किसानों के हित में होगा। उनके इस दृष्टिकोण के लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। प्रदेश में ८५ फीसदी किसान हैं। अर्थ संख्या विभाग से जो पुस्तिका बटी है उसके पेज एक पर परकैपिटा आय लिखी हुई है। अगर १९४८–४९ की आय के आंकड़े १०० मान लिये जायं तो ५९–६० में गांव के लोगों की आमदनी १९१.१ हुई और कस्बे के रहने वाले नागरिकों की आमदनी ६६५.० हुई। इसके माने हुये कि कस्बे वालों की आमदनी गांव वालों के मुकाबले तीन साढ़े तीन गुनी है।

माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें कि ८४ फीसदी लोगों के कल्याण का राज्य गांवों के लिये है या शहरों के लिये। उन्होंने एक सिद्धान्त अर्थशास्त्र का प्रतिपादित किया। लैन्ड, लेबर, कैपिटल और टैक्नीकल स्किल, समान स्थिति में ये चारों फैक्टर्स उत्पादन के लिये काम करते हैं। लेकिन लैंड कहां है, लेबर का कोआपरेशन है या नहीं, कैपिटल किसके पास है और टैक्नीकल स्किल उसके पास है या नहीं, यह देखने की बात है। इन चारों का कोआर्डिनेशन नहीं है। इन चारों फैक्टर्स का कोआर्डिनेशन करा सकें तो स्थिति सुधरेगी। कृषक की जब स्थिति अच्छी होगी, आर्थिक स्तर उठेगा तो बहुत से लोग निकल कर उद्योगों की तरफ जाएंगे। उद्योगों में लोगों को कैसे खपाया जाय यह एक समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। वर्तमान समय में चारों फैक्टर्स अस्त-व्यस्त हो गये। ५४–५५ फीसदी छोटे किसान हैं। उनको कैपिटल का अभाव है। जो साधन रखे गये हैं उसमें कितनी ही दिक्कतें हैं। खाद मिलता है तो पानी नहीं मिलता और पानी मिलता है तो बैलों की तकावी में कठिनाई है, लेखपालों की गड़बड़ी है। तो यह तमाम कठिनाइयां हैं।

अपने जिले की मैं मिसाल देता हूं। साढ़े ५ लाख रुपया देवरिया में छोटे कुओं के लिये था। लेकिन साढ़े ५ लाख में से डेढ़ लाख भी नहीं बंटा। सैकड़ों दरख्वास्तें तो मैंने दिलवाईं लेकिन तकावी नहीं मिल सकी। तो जो खामियां हैं उनको मंत्री जी देखें। छोटे कुओं के लिये साढ़े ५ लाख रुपया रखा गया और वह नहीं बट सका, क्या कारण है?

इसी पुस्तिका में उत्तर प्रदेश में खेती की भूमि का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। सन् १९५९–६० में नान-फूड क्राप्स में है ३५.० लाख एकड़ जबकि कुल एरिया है ४८४.६० लाख एकड़ है। दो फसली क्षेत्र हैं सन् ५८–५९ में ११४.१ लाख एकड़ और १९५९–६० में है १११.७ लाख एकड़। इसके माने यह हुए कि दो फसली जो क्षेत्र है वह घट रहा है। जिस देश में खाद्यान्न की इतनी कमी हो वहां दो फसल की जगह एक फसल करने लगें तो कैसे स्थिति सुधरेगी? रबी और खरीफ दोनों फसल नहीं हो रही है बल्कि ऐसे क्राप्स हैं जो साल भर चलते हैं, जैसे गन्ना वगैरह। तो मंत्री जी इसको देखें।

पृष्ठ ४ पर एक आंकड़ा और है इसी पुस्तिका में और वह है कैश क्राप और फूड क्राप के बारे में। सन् १९५८–५९ में व्यापारिक क्राप १३२.० है—इसमें ४८–४९ में १०० माना है—और ५९–६० में १३८.३ है। फूड क्राप ५८–५९ में १२३.० है और ५९–६० में भी १२३.० है। इसके माने यह हैं कि फूड क्राप की स्थिति तो वही रही लेकिन जो कैश क्राप्स हैं वह १३२ से बढ़ कर १३८.३ हो गई। इसके माने हैं कि हम केश क्राप्स की तरफ झुक रहे हैं।

जब देश में खाद्यान्न की कमी हो, जब हम बाहर से गल्ला मंगाते हों, फारेन ऐक्सचेंज की कमी हो तब हमें यह देखना चाहिये कि अगर हम कैश क्राप्स ज्यादा बोयेंगे तो हमारी खाद्यान्न की उपज कम हो जायेगी। हमें यह देखना चाहिये कि कौन-सा तरीका अपनायें कि हमारी कैश क्राप कम हों और खाद्यान्न की पैदावार बढ़े। हालांकि मैं इसके भी विरुद्ध नहीं हूं कि कैश क्राप हम न बोयें बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये यह आवश्यक है कि वे कैश क्रास बोयें लेकिन साथ ही साथ हमें प्राथमिकता खाद्यान्न को देनी चाहिये तब कैश क्राप के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिये। इस पुस्तिका के पेज ९ पर यह दिया हुआ है कि गन्ने की पैदावार किस प्रकार बढ़ी है—

पैदावार हजार टनों में

५७–५८	५८–५९	५९–६०
३०७०२	३०७६५	३२०२७

इसके माने यह हैं कि शुगर केन बढ़ा है और खाद्यान्न कम हुआ है। इस पर हमें विचार करना है कि इस समस्या को किस प्रकार से हल किया जाय।

श्रीमन्, इस शुगरकेन के लिये एक बहुत बड़ा विभाग भी है जो स्पेशल ड्राइव करके शुगरकेन को बढ़ाता है। इसी प्रकार से खाद्यान्न को बढ़ावा देने के लिये भी कोई विभाग खोलना चाहिये जो यह देखे कि कौन-सा खाद्यान्न कितनी तादाद में हम किस प्रकार से पैदा कर सकते हैं, जैसे जौ, गेहूं, चावल आदि। जब हम इस प्रकार से सोचेंगे तभी हमारे प्रदेश का कल्याण हो सकता है।

(इस समय ४ बजकर ८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसके अलावा स्वायल टेस्टिंग की भी आवश्यकता है। स्वायल टेस्ट करके सरकार को यह बताना चाहिये कि किस भूमि में कितनी खाद डाली जाय और कितना पानी उसमें लगाया जाय। इस काम के लिये कुछ एरियाज को निर्धारित कर दिया जाय और कृषि कालेजेज को इसका सेंटर बना दिया जाय। ये कालेजेज स्पेशल स्टाफ को रख कर यह काम करायें। एक्स-टेन्शन सर्विस हो। अगर ऐसा किया जायगा तो मेरा खयाल है कि डिमान्स्ट्रेशन का यह बड़ा अच्छा तरीका होगा। एग्रीकल्चर कालेजेज द्वारा गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ आदि में इस काम को किया जा सकता है। इस प्रकार से जो अलग से इस पर खर्च होगा वह भी बच जायगा और कम दामों में यह काम व्यापक रूप से हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री अब्दुल रऊफ लारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री खजानसिंह चौधरी—श्रीमन्, मेरा नंबर है। गयूर अली साहब चले गये, उनका नंबर था। फिर उसके बाद मेरा नंबर है। वे गैरहाजिर हैं इसलिये मुझे बोलना चाहिये। ये कह कर आये इसलिये इनका नंबर कर दिया। मैं इसको सहन नहीं कर सकता कि मेरा नंबर न आये। मुझे निकाल दीजिये, मैं चला जाऊंगा। मैं खड़ा हुआ था तो आपने मेरी तरफ देखा तक नहीं, यह बेइन्साफी है जिसे मैं बर्दास्त नहीं कर सकता। मुझे अधिकार है और मैं बोलूंगा जरूर।

श्री अध्यक्ष—मैं इस तरह ईल्ड नहीं करता, आप कृपा करके बैठें।

श्री खजानसिंह चौधरी—आप मुझे निकाल दीजिये।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, आप बाहर चले जायं।

(इसके पश्चात् श्री खजानसिंह चौधरी सदन छोड़ कर चले गये)

श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा ही अनुगृहीत हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया।

मैं चौधरी रघुवीर सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह विषय निर्विवाद है कि हमारा देश और प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है और यह भी निर्विवाद है कि किसी देश और प्रदेश की तरक्की उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि वहां के कृषकों की तरक्की न हो और कृषकों की तरक्की उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि वहां की कृषि में उन्हें काफी तरक्की न मिले व काफी फायदा न मिले। मान्यवर, यह जो हमारी योजना चल रही है, यह चाहे कितनी ही ऊंचे स्तर की हो जाय लेकिन आपका प्रदेश कभी भी समृद्धिशाली देशों की पंक्ति में नहीं खड़ा हो सकेगा जब तक कि यहां के कृषक वर्ग का दर्जा ऊंचा न हो।

मुझे बड़ी खुशी है कि आज माननीय कृषि मंत्री महोदय ने उन सारे सुझावों को सद्भावना पूर्वक इस आदरणीय सदन में रखा जिनको हम लोग वक्तन फवक्तन इस सदन में दिया करते हैं। उन्होंने इस बात को माना है कि कोई भी देश उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक कि प्रदेश के कृषक वर्ग की उन्नति न हो। केवल उद्योग-धंधे बढ़ाने से ही प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है। उद्योगधंधे भी उसी वक्त पनप सकते हैं जब कि प्रदेश की कृषि की उन्नति हो। मुझे बड़ी खुशी है कि आज जो उन्होंने भाषण दिया उससे मालूम हुआ कि वाकई किसानों के दिल के समान ही उनका दिल भी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं तथा उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो उन्होंने यहां सदन में कहा है, हम लोग बाहर मीटिंग्स में बराबर किसानों से कहा करते हैं और उन्हें यह सब सुझाव दिया करते हैं। अब किसान भी समझते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति हमारा मंत्री है जो हमारी बातों को समझता है। आज विभाग के अधिकारी भी उनकी शक्ति को समझने लगे हैं और सही बात तो यह है कि जब से माननीय मंत्री जी को यह विभाग मिला है तब से विभागीय कर्मचारी भी कांपने लगे हैं; सोचते हैं कि न मालूम कब क्या हो जाय।

मान्यवर, आपको खयाल होगा कि इसी सदन में जब माननीय मंत्री जी को पिछली बार मंत्री पद P.W.D व पावर का मिला तो लखनऊ के महाजनों ने आकर कहा कि उनके पास अब इस विभाग के अफसरों के आदमी आने लगे हैं कि तुम्हारा जो कुछ हम पर बाकी है वह आ कर ले लो या परचा भेज दो। और बात कहने के पहले मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वाकई हमें उनमें विश्वास है कि वह किसानों की उन्नति दिल से चाहते हैं, लेकिन इसके लिये उन्हें किसानों की तरक्की के लिये लंगोटा खींच कर मैदान में आना होगा और उनके सिर जो यह पुलिस का बोझ डाला गया है उसको वह उठाकर फेंक दें और उसके बदले में वह राजस्व, सिंचाई और कृषि तीनों विभागों को सम्हालें। इस तरह से जब वह संयुक्त कोशिशें किसानों की उन्नति के लिये इन तीनों विभागों द्वारा करेंगे तब ही देश और किसान समृद्धिशाली बन सकेंगे। उन पर

आज पुलिस विभाग का बोझ इतना अधिक है कि वह कृषि विभाग की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे सकते और उसका सबूत भी इसी से जाहिर हो गया कि इन्होंने आज के डेढ़ घंटे के अपने पूरे भाषण में विभाग के कामों का जिक्र तक नहीं किया और जो सिद्धान्त किसानों को समझाने के थे केवल वही समझाते रहे, जो बहुत जरूरी चीजें विभाग की थीं उनका जिक्र तक नहीं किया।

मैं चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि जहां खेती के लिए उन्होंने यह माना कि उसकी उन्नति के लिये साधनों की जरूरत है, जैसे खाद, पानी, अच्छा बीज और अच्छे बैलों की जरूरत है उसी तरह यह भी सर्वमान्य है कि हमारे यहां के ८४ प्रतिशत किसान अमीर नहीं हैं, वह साधन-हीन और गरीब हैं और जब तक उनको खेती के अच्छे साधन उपलब्ध न होंगे वह खेती की उन्नति नहीं कर सकते, और न पैदावार ही बढ़ा सकते हैं। मान्यवर, आज तक सरकार ने किसानों के लिए क्या साधन इसके लिये मोहइया किये हैं, ढोल तो बहुत पीटा जाता है कि किसानों को इतना बीज, इतना खाद सरकार से मिल रहा है, लेकिन अगर वाकई देहातों में जाकर देखा जाय कि वहां किसानों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है, ब्लाकों में सारा काम एक ए० डी० ओ० कृषि को जो किसी बड़े आदमी का शहर का लड़का प्रायः होता है और जिसकी उम्र केवल २०, २५, ३० साल की ही होती है, जो कालेज से निकल कर सीधा चला आता है, जो यह नहीं जानता कि रास माड़ना किसे कहते हैं, जब उस भाषा में किसान उसके पास अपनी बात कहने आता है तो वह कालेज से पढ़े हुये शब्दों को बोलता है और उनके अल्फाज को नहीं समझ पाता, वह कोट हैट पेंट में वहां जाता है तो किसान से उसका कोई लगाव नहीं हो पाता। आज उन के द्वारा ब्लाकों में लाखों रुपया किसानों के नाम पर व्यय हो रहा है लेकिन किसानों को कोई भी रकम ठीक वक्त से मौके पर नहीं मिलती और किसान को बैल की जरूरत होती है तो वह फागुन से कोशिश करना शुरू करता है, चिल्लाता दौड़ता है तकावी के लिये लेकिन उस की सुनवाई नहीं होती और कहीं आषाढ़ और सावन में जाकर उसे ५० प्रतिशत तकावी मिल पाती है तो ५० प्रतिशत तमाम प्रकार के दक्षिणा और खर्च में चला जाता है।

किसानों को बीज जो बीज-भन्डारों से बटता है उसके सम्बन्ध में भी मन्त्री जी को मालूम होना चाहिये कि क्या हालत है। पिछले तीन-चार सालों में जो बीज वितरण में गड़बड़ हुई है वह मैं बता दूं कि गोरखपुर बस्ती में जड़हन की जगह उसहन और अर्ली पेडी की जगह लेट पेड़ी का बीज किसानों को बीज भन्डारों द्वारा दे दिया गया जिससे किसान तबाह हो गये, खेतों में बालियां ही नहीं लगीं, बोआंड़ों में भी धान फूट गये इस तरह किसान बरबाद हो गया और एक बार जब किसानों पर तबाही का चक्कर चलता है तो वह कई साल तक पनप नहीं पाते, किसान घबरा जाता है। हम यहां किसानों की भलाई की बातें करते हैं लेकिन जब इस तरह की हानि किसानों की सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाती है तो उसके लिये मुआवजा किसानों को देना चाहिये। लेकिन शर्म आनी चाहिये इस सरकार को इतनी बरबादी के बाद सभी किसानों को उस बीज की हानि माफ नहीं की गई बल्कि बीज का सवाया वसूल किया गया। चाहिये तो सरकार को यह था कि सरकार उनकी हानि का मुआवजा देती और अगर सरकार वाकई किसानों का भला चाहती है तो उसको उन अधिकारियों को कड़ा दन्ड देना चाहिये था जिन की गलती से यह गड़बड़ी हुई थी और उन से तनख्वाह काटकर किसानों को उसका मुआवजा देना चाहिये था। मगर किसी पर कोई ऐक्शन नहीं हुआ साल डेढ़ साल तक केस चला, कुछ लोग इस मामले में मोअत्तिल हुये और एक साहब तो इसी मामले की पैरवी कोशिश में ही मर गये और बाकी सब लोग बहाल हो गये। लेकिन किसान बेचारा मारा गया उसकी कोई मदद हो सकी। उसकी एक बार कमर जब टूट जाती है तो न जाने कब तक वह सीधी नहीं होती। मान्यवर, उससे उस सारे गलत बीज का सवाया वसूल किया गया। आज चौधरी साहब के जमाने में भी इस तरह की धांधली है। मैं एक वाक्या बताता हूं कि मैं स्वयं फरेन्दा में प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना के साथ दौरा कर रहा था एक जगह सिहोरवा में हम लोग रात को ठहरे थे वहां दूसरे गांव महुअवा का एक जत्था किसानों का आया और उसने कहा कि हम डेढ़ महीने से चिल्ला रहे हैं लेकिन हम से बीज नहीं वापस लिया जाता है।

[श्री अब्दुलरऊफ लारी]

बात यह थी कि नवतनवां के सुपरवाइजर साहब किसी कारणवश उन किसानों से नाराज हो गये थे और वह कहते थे कि मैं इन किसानों को जेल भिजवा दूंगा अगर यह सब हमारे गोदाम में आ गये। कारण यह था कि वह उनसे डेढ़ रुपया, दो रुपया बोरा बीज पर घूस मांगते थे। उन किसानों ने बी० डी० ओ० से शिकायत की इस पर वह नाराज हो गये और कहा कि २२ रुपये के हिसाब से बीज के दाम इनसे लूंगा बीज नहीं लूंगा। सक्सेना जी से किसानों ने अपनी बातें, दिक्कतें सब बताईं और कहा और उन्होंने कान पकड़ा कि किसी तरह से अब की और हमारा बीज, वापिस दिलवा दीजिये फिर हम कभी बीज इन बीज भंडार से नहीं लेंगे। प्रोफेसर शिवनलाल सक्सेना ने हम से कहा कि यह लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं जब कि सारा पैसा सरकार उन्नतिशील बीज के लिये इन किसानों के लिये खर्च कर रही है। मैंने उनसे बताया कि इन बीज भन्डारों में इतनी गड़बड़ी की जाती है। इतना भ्रष्टाचार है कि अच्छा किसान इसमें बिल्कुल हाथ नहीं डालना चाहता। जो ४२० करने वाले लोग हैं वही १०, १२ काश्तकारों के नाम पर गल्ला उठाते हैं और किसानों की फजीहत कराते हैं। आज भी मैं दावे के साथ मन्त्री जी से कहता हूं कि अगर कोई भी बात जो मैं कहता हूं गलत साबित होगी तो मैं सजा भुगतने के लिये तैयार हूं। आपके उन्नतिशील बीज भन्डारों में इतनी धांधली है कि किसानों के नाम पर ग्राम सेवक बीज बांडों पर लिख लेता है लेकिन किसानों को बीज नहीं मिलता। दूसरे साल जब कुर्की उसके घर पहुंचती है तब उसको मालूम होता है कि बीज उसके नाम लिखा हुआ है। इनके पूरे बीज भन्डार मान्यवर, भरे हुये हैं ऐसी गड़बड़ियों से; किसान को दिया जाता है उसहन और लिखा जाता है जड़हन, लाल धान दिया गया लिखा जाता है डिडई। किसान को बेवकूफ बनाया जाता है नम्बर लिख कर T.९, T.2·1, T.2·2 आदि। एक बीज भंडार नौतनवा में है, अगर भंडार देखा जाय तो जिसमें २५ फीसदी काला और खराब धान मिला हुआ स्टाक वहां मिलेगा, अगले साल वहां किसानों में बांट दिया जायगा। और ज्यादा अगर अधिकारी सचेत रहे तो उस सुपरवाइजर को बदल देंगे। किसानों को २२ नम्बर का बीज ९ नम्बर का बीज कह कर दिया जाता है। किसान उसको नहीं समझता। किसान को बीज का सेम्पिल मिलना चाहिये ताकि वह उसी तरह का बीज वापस करे। हम खराब बीज के हामी नहीं हैं कि किसान खराब बीज वापस करे, लेकिन यह अनुचित बात है कि खराब बीज उसको दिया जाय और लिया जाय उससे अच्छा बीज; और लेते वक्त उससे ५, ५ सेर बेसी लिया जाय जबकि देते वक्त उसको एक-एक दो-दो सेर कमती मिट्टी मिला कर दी जाती है। यह चीज अच्छी नहीं है इससे उन्नति नहीं हो सकती है।

मन्त्री जी का ध्यान मैं २५ एकड़ की सरकारी खेती की तरफ ले जाना चाहता हूं। यह स्कीम बढ़िया बीज बनाने के लिये सरकार द्वारा चलाई गई है। देखने में तो अच्छी स्कीम है, लेकिन जो बुराइयां हैं उनको मैं बताना चाहता हूं। सरकारी आदेश है कि जिनके पास बड़ी खेती है उन्हीं से यह २५ एकड़ जमीन ली जाय। लेकिन बड़े खाते वालों की पहुंच बहुत है, वह बड़े-बड़े मन्त्रियों, अधिकारियों तक पहुंच सकते हैं। इसलिये उनकी जमीन नहीं ली जाती है। उन काश्तकारों के खेत लिये जा रहे हैं जिनके पास इस खेत के लेने के बाद खेती खत्म हो जाती है। तो मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि यह पाबन्दी लगा दें कि ४०, ५० एकड़ से कम वालों के खेत किसी तरह भी सरकारी कामों में न लिये जायं। अव्वल तो अगर किसानों के खेत पर ही डिमान्सट्रेशन किया जाय तो किसान उससे ज्यादा प्रभावित होगा और यह बुराइयां भी रुक जायेंगी और उससे सही मानों में कृषि का विकास हो सकेगा।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया इसलिये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं चौधरी साहब को पुलिस बजट पर भी बधाई देना चाहता था लेकिन वह अवसर मुझे नहीं मिला। उस कमी को आपने समय देकर पूरा कर दिया।

श्री अध्यक्ष--पुलिस के बारे में बधाई इस अनुदान की बहस में नहीं दे सकेंगे।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--कृषि के अनुदान पर मुझे कुछ नहीं कहना है चौधरी साहब ने जिन बातों की ओर स्वयं संकेत किया है उससे इस कदर हमारे विरोधी पक्ष के भाई प्रभावित हुये कि उनके पास बोलने के लिये या आलोचना करने के लिये कोई विषय बाकी नहीं रहा। लेकिन फिर भी एक रस्म अदा करना चाहते हैं।

मैं बधाई इसलिये देना चाहता हूं कि चौधरी साहब ने जिस विभाग को सम्भाला, जैसा कुंवर श्रीपालसिंह जी ने कहा, वह उनका एक गुण है कि जिस विभाग को सम्भालते हैं उस पर अधिकारपूर्वक अपना कब्जा और प्रभाव जमा लेते हैं जिससे उस विभाग में सुधार के लक्षण फौरन दिखाई देने लगते हैं।

एक मैंने कटमोशन दिया है और मैं अपना बयान उसी तक सीमित रखना चाहता हूं। वैसे चर्चा करते हुये यह कह देना चाहता हूं कि इस कृषि अनुदान में कृषि विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान १०,६३,००० रुपये दिया गया, गन्ने की प्रतियोगिता, बाजार विनमय के लिये, जूट विकास योजना, लाख की खेती के विकास की योजना आदि इसमें शामिल है। खेत के चूहों के सम्बन्ध में अध्ययन करने की योजना है। ये सारी योजनायें बड़ी लाभप्रद हैं खेती के लिये, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। कृषि का सम्बन्ध कृषि के अधिक उत्पादन से है।

जब जमीन्दारी उन्मूलन कानून पेश किया गया था तो यह उसूल माना गया था कि जिस भूमि पर किसान का कब्जा हो वह किसान के पास रहे। उसके अन्तर्गत एक बात और काम कर रही थी। बड़े-बड़े गुजारेदार और बड़े जमीन्दार थे वह जमीन को पट्टे पर अपने नाम से लिखाये थे लेकिन शिकमी जोतता था किसान। इसलिये किसान दिलचस्पी नहीं लेता था। इस उसूल की तहत जमीन्दारी उन्मूलन कानून बना।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एक परगना है दक्षिणी कोड़री। १० साल से मैं बराबर कोशिश कर रहा हूं कि उस परगने के अन्तर्गत जमीन के इन्दराजात सही हो जांय ताकि लोगों को अधिक कृषि उत्पादन का अवसर मिले और किसानों की दिलचस्पी जमीन की तरफ लगे। लेकिन वह इन्दराजात अभी तक सही नहीं हुये। हालांकि इसका सम्बन्ध माल विभाग से है, लेकिन जब तक इन गलतियों को दुरुस्त नहीं किया जाता कृषि का उत्पादन बढ़ नहीं सकता और जब कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ रहा हो तो देश के सामने खाद की समस्या, जो विकट रूप धारण कर रही है, के हल के लिये कोई उपाय नहीं है।

मुझे प्रदर्शन फार्म्स के सिलसिल में कुछ निवेदन करना है। जिस क्षेत्र की मैंने चर्चा की, बी० डी० ओ० महोदय ने २५ एकड़ का फार्म इस गवर्नमेन्ट के सामने प्रस्तावित किया जिस पर कब्जा किसानों का था और उसको प्रस्तावित करा दिया दूसरे व्यक्ति से। अब समझने की बात है कि इस तरह से सरकारी अधिकारी ने अनियमित कार्य करने की हिम्मत क्यों की? मैं आम तरीके से सरकारी कर्मचारियों को बेइमान नहीं कहता हूं, लेकिन स्पेसिफिक मिसाल अगर मैं दूं तो मेरा नम्र निवेदन है कि सरकार ऐसे मामलों की जांच करे और अगर सरकारी कर्मचारी दोषी हो तो उन्हें दन्ड देने की कृपा की जाय ताकि आगे के लिये इस तरह की धांधली वे न करें कि जमीन किसी की हो और उसे बेचने के लिये प्रस्तावित कोई करे। यह इन्साफ नहीं है, न न्याय है। इससे सरकार के शासन के प्रति असन्तोष की भावना बढ़ती है।

मैं एक बात और निवेदन कर दूं। मैंने स्वतन्त्र भारत अखबार में परिपूर्णानन्द वर्मा जी का एक आर्टिकिल पढ़ा जिसमें उन्होंने मौदहे के उप चुनाव की कोई चर्चा की है। मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता। मौदहे के उप चुनाव में मैं भी कांग्रेस के कार्यकर्ता की हैसियत से गया था।

श्री अध्यक्ष—अगर खेती के अनुदान से उसका सम्बन्ध है तो कहिये।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—मौदहे में कृषि समस्या ठीक से हल नहीं की गई थी। उस क्षेत्र में बड़े-बड़े खातेदार तथा जमीन्दार थे और सारी शक्ति अपने हाथ में लिये हुये थे। यही कारण है कि मौदहे के उपचुनाव में निष्पक्षता तथा निडरता के साथ वहां की जनता अपना वोट नहीं दे सकी। जहां तक कर्मठता का सवाल है वहां तक माननीय चन्द्रभानु जी भी कम कर्मठ नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं इसे अनुचित समझता हूं इस तरह की बहस करना। इस अनुदान से आपकी बात से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—मौदहे के उपचुनाव में हार का कारण कृषि की समस्या थी जिसका निराकरण नहीं किया गया था।

श्री रघुवीरसिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का हर्ष है कि जितने भी माननीय सदस्य बोले उनमें से किसी ने भी मेरे प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। उन्होंने एक भी शब्द उसके विरोध में नहीं कहा है। साथ-ही साथ में यह भी कहूंगा कि उधर के बैठने वाले जो सदस्य बोले उन्होंने सरकार की नीति की कुछ न कुछ आलोचना की। इसलिये मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मेरी सहायता की और मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया।

श्रीमन, मुझे किसी भी माननीय सदस्य के भाषण के विषय में कोई उत्तर नहीं देना है क्योंकि किसी ने कोई विरोध नहीं किया। मुझे केवल मन्त्री महोदय की कुछ बातों का उत्तर देना है। उन्होंने आरम्भ में कहा कि रासायनिक खाद में १० गुना गोबर मिला कर तब उसको प्रयोग में लाना चाहिये। अपनी जगह उनकी बात ठीक है क्योंकि अकेले उसी खाद को डालने से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। उन्होंने अपने भाषण में इस बात को माना था कि सिंचित भूमि-क्षेत्र को अधिक मात्रा में अभी सरकार बढ़ा नहीं पाई है। तो जब सिंचित भूमि का क्षेत्रफल बढ़ा नहीं है तो यह उर्वरक खाद कहां इस्तेमाल होगी क्योंकि यह तो सिंचित भूमि में ही इस्तेमाल होती है। इसलिये जब तक हम सिंचित क्षेत्र नहीं बढ़ा लेते हैं तब तक उन रसायनिक खादों का प्रयोग कर भी कैसे सकते हैं।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि गोबर को लोग ईंधन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है उनका यह कहना। और इस सम्बन्ध में उन्होंने यह सुझाव दिया कि किसानों को चाहिये कि वह अपने ईंधन आदि के लिये ऊसर जमीन पर बबूल बोयें। परन्तु मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि ऐसे बोये हुये बबूल कितने साल बाद ईंधन का काम देंगे और तब तक जनता ईंधन के लिये क्या करेगी? इसलिये मैं एक बड़ा ठोस सुझाव इस सम्बन्ध में देना चाहता हूं अगर वह मान लें, लेकिन मुझे आशा नहीं है कि वह मानेंगे...

श्री चरणसिंह—अगर माकूल बात होगी तो जरूर मानेंगे।

श्री रघुवीरसिंह—खाद की पूर्ति करने के लिये, क्योंकि खाद तो हमारे पास उतनी है नहीं, चरागाह हमारे लावणी ऊसर से परिणत हो गये और जब चरागाह नहीं है तो पशुओं का पेट नहीं भरता है, गोबर कम होता है, उनको जितना भी किसान अपने खूंटे पर बांध कर खिला ले उतना गोबर होता है अन्यथा होता यह है कि जानवर दिन में छोड़ दिये जाते हैं जिसके कारण आधे समय का गोबर तो रेह में गिर जाता है और आधे समय का रहता है लेकिन चूंकि पशुओं का पूरा पेट भर नहीं पाता है इसलिये उसमें भी गोबर कम होता है। तो यदि आप वास्तविकता के साथ किसान की मदद करना चाहते हैं और यह देखते हैं कि उसकी दशा अत्यन्त दयनीय होती चली जा रही है तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह उचित होगा कि केवल हरी खाद के लिये आप सिंचाई मुफ्त में करा दीजिये। यह कोई बड़ी व्यापक चिन्ता

करने की बात नहीं है कि मन्त्री जी को आशंका हो कि मुफ्त होने पर किसान अपनी सब भूमि में हरी खाद को डालेगा । कोई भी किसान जितनी होल्डिंग उसके पास है उसके अधिक से अधिक १/१० हिस्से में हरी खाद बो सकेगा, केवल वह अपनी दोफसली जमीन में खाद के प्रयोग से खेती करता है। उसके पास इतनी जमीन ही नहीं है कि सबको हरी खाद से घेर ले। ऐसी जमीन में वह हरी खाद बोयेगा जिसको वह रबी की फसल के प्रयोग में लायेगा और वह भी ऐसी भूमि होगी जो कभी पानी से न डूबती होगी। मैं मन्त्री महोदय को यह आश्वासन देता हूं कि जितनी भी भूमि किसानों के पास है उसमें मुश्किल से १/२० भूमि ऐसी होगी जिसमें किसान हरी खाद का उपयोग करेगा। मैं स्वयं एक किसान हूं और किसानों के बीच में रहता हूं, उनकी कठिनाइयों को अच्छी तरह से जानता हूं इसलिये मैं वादे के साथ कहता हूं कि १/२० से ज्यादा क्षेत्रफल हरी खाद के नीचे नहीं जायगा।

दूसरी बात यह है कि सिंचाई के साधनों को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाना चाहिये। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, मन्त्री महोदय उस समय यहां नहीं थे, और अब संकेत मात्र में कहता हूं कि अगर आप सिंचाई के साधन नहीं बढ़ायेंगे तो पैदावार नहीं बढ़ेगी। जो उन्होंने सिंचाई के बढ़े हुये आंकड़े बताये थे वह केवल इसी वजह से हैं कि निरन्तर हमारा क्षेत्रफल बढ़ता चला जाता है।

श्री चरणसिंह—कितने एकड़ बताया था ?

श्री रघुवीरसिंह—वह मेरी स्पीच में है, उसे पढ़ लीजियेगा। बात यह है कि अध्यक्ष महोदय, मुझे समय देंगे नहीं इसलिये मैं नहीं बता सकता। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जितने भी सिंचाई के साधन सरकार ने बढ़ाये हैं वह अपनी जगह पर वहीं के वहीं हैं क्योंकि हमारे लघु सिंचन के जो साधन थे उन्होंने सिंचाई के बड़े साधनों का स्थान ले लिया। यानी कहने का मतलब यह है कि अपनी जगह पर सिंचाई का रकबा नहीं बढ़ा है। इस बात को हमारे मन्त्री जी भी मानते हैं। जब तक सिंचाई के साधन नहीं बढ़ेंगे हमारी उपज भी नहीं बढ़ सकती है।

सिंचाई के शुल्क के सम्बन्ध में जो तीन आने प्रति रुपये की छूट सरकार ने विगत कई वर्षों से दे रक्खी थी सरकार ने उसे किसानों के ऊपर लगा दी है। वह खत्म कर दी जाय। आप कहेंगे कि इस समय सिंचाई विभाग की बात कहना ठीक नहीं है । मैं प्रार्थना करूंगा कि खेती और सिंचाई का घनिष्ट सम्बन्ध है इसलिये इन दोनों की समस्यायें एक ही होती हैं; इसलिये किसानों की दयनीय दशा को देखते हुये इसको हटा लिया जाय। इससे आप किसानों का बड़ा उपकार करेंगे। मुझे मन्त्री जी के भाषण से बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने अच्छी तरह से समझ लिया कि खेती की और किसानों की कठिनाइयों की उन्हें जानकारी है इसलिये मुझे आशा है कि खेती का विकास होगा।

आपने एक बात और कही कि उत्तर प्रदेश में छोटी-छोटी होल्डिंग्स हैं इसलिये पैदावार कम होती है। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जापान में होल्डिंग्स का औसत २.०२ है, इजिप्ट में २.२६ है, हिन्दुस्तान में ५.३४ और उत्तर प्रदेश का ३.५६ है। अब प्रति एकड़ पैदावार लीजिये जापान में गेहूं की पैदावार २४.४, इजिप्ट में ४०.००, हिन्दुस्तान में ७.०७ और उत्तर प्रदेश में ८.५ है।

श्री अध्यक्ष—आप ज्यादा फिगर्स देने की कृपा न करें।

श्री रघुवीरसिंह—श्रीमन्, चावल की जापान में ४५.००, इजिप्ट में ३५.६, हिन्दुस्तान में १२.८ और उत्तर प्रदेश में ७.५ है। इसलिये यह स्पष्ट है कि कम होल्डिंग्स से पैदावार कम नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष—यह उन्होंने नहीं कहा। वह तो हमेशा कहते हैं कि छोटी होल्डिंग्स में ज्यादा पैदावार होती है।

श्री रघुवीरसिंह--खैर, इसमें मुझे विरोध नहीं है। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, दो मिनट और दे दिये जांय क्योंकि मेरी जरूरी बात रह गई।

श्री अध्यक्ष--जो नहीं, मैं क्या करूं समय कम है।

***श्री चरणसिंह**--अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मित्रों ने बातें कही हैं उनका मैं बहुत संक्षेप में जवाब दूंगा क्योंकि एक तो समय नहीं है और मेरा गला भी ठीक नहीं है। रघुवीरसिंह जी मेरे साथ अन्याय कर रहे थे और अध्यक्ष महोदय ने बहुत कुछ ठीक भी किया। अब मैं एक-एक करके जवाब देता हूं।

एक तो यह मांग की गई कि तकावी रूल्स में तब्दीली होनी चाहिये। यह दो आधार पर मांग की जा रही है। एक तो यह कि तकावी मिलने में देर लगती है। इसमें दो कारणों से देर लगती है, तकावी कर्जा है और यह वापस ली जायगी। इसलिये आदमी की हैसियत देखना जरूरी है और हैसियत देखी जाती है तो यह देखा जाता है कि उसके पास कितनी जमीन है। यह तस्दीक किये बिना तकावी नहीं दी जा सकती है।

दूसरी बात यह है कि पहले की उस पर तकावी बाकी तो नहीं है, क्योंकि अगर पहले की तकावी उसने अदा नहीं की है तो दोबारा तकावी नहीं दी जा सकती है। इसके तस्दीक करने में देर हो जाती है, लेकिन फिर भी जितनी देर होती है वह नहीं होनी चाहिये और १९५७ में महकमा माल की तरफ जो पहले कवायद थे उनको थोड़ा बहुत तरमीम किया गया और छोटा-सा पेम्फलेट माननीय सदस्यों की मेज पर रखा गया और उसमें और क्या सुधार हो सकता है जिससे जल्दी तकावी दी जा सके इसको मैं कोशिश करूंगा, मुहकमा माल के कर्मचारियों से मिल कर।

तीसरी बात जो यह कही जाती है कि सूद ज्यादा लिया जाता है, मैं समझता हूं कि इस में कुछ गलत फहमी है। माननीय तिरमलसिंह ने कई कानूनी बातें गिनाई थीं, उनमें एक बात यह भी कही थी कि कोआपरेटिव सोसाइटी के किसानों से ९ प्रतिशत सूद लिया जाता है। कोआपरेटिव सोसाइटी आपकी है ९ प्रतिशत सूद लें पौने ९ प्रतिशत। लेकिन गवर्नमेन्ट साढ़े पांच प्रतिशत तकावी पर सूद लेती है। मैंने १९५८ में सिंचाई के लिये कुओं की तकावी में आसानी करने के लिये एक यह परिवर्तन कर दिया था कि सिंचाई के लिये कुओं को बनाने के लिये जो तकावी ली जाय तो साढ़े ५ फीसदी के बजाय ४ फीसदी लें। बाकी अखराज के लिये साढ़े पांच के बजाय ६ फीसदी लिया जाय। गवर्नमेन्ट खुद साढ़े चार फीसदी पर कभी-कभी कर्जा लेती है। तो एक परसेन्ट सर्विस चार्जेज के लिये रखा गया है। कभी-कभी तकावी वसूल नहीं होती है, हालांकि ऐसा कम होता है। इसके अलावा स्टाफ रखना पड़ता है। इन्होंने कहा कि इन्डस्ट्रियलिस्ट को पांच फीसदी सूद पर कर्जा दिया जाय, और किसान को ९ फीसदी पर कर्जा दिया जाय। दोनों में इतना अन्तर क्यों है। कोआपरेटिव सोसाइटी जो लेती है उससे गवर्नमेन्ट का कोई वास्ता नहीं है। ९ प्रतिशत रखे या २ प्रतिशत।

एक सदस्य--बीज सवाया लेती है।

श्री चरणसिंह--हमने तय किया है कि सवाई का सिस्टम बिलकुल खत्म कर दिया जाय। वह खत्म हो गया है। एक बात और। जहां तक बीज का ताल्लुक है गवर्नमेन्ट आगे को बीज तकसीम नहीं करेगी। गवर्नमेन्ट सीड स्टोर से बीज नहीं मिलेगा। कोआपरेटिव के सीड स्टोर से बीज मिलेगा। वह चाहे सवाई पर दे या मुफ्त में। गवर्नमेन्ट से कोई वास्ता नहीं है। कोआपरेटिव किसानों की है। गवर्नमेन्ट आगे अपने सीड स्टोर्स से सीड नहीं देगी।

अध्यक्ष महोदय, आपके तशरीफ लाने से पहले माननीय अब्दुल रऊफ लारी एक शिकायत कर रहे थे, किसी सीड स्टोर के कर्मचारी की। अगर वह गवर्नमेंट का सीड स्टोर है और मुझे वह लिखने की कृपा करेंगे....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—मेरे सामने ही उन्होंने कहा था ।

श्री चरणसिंह—तो तहकीकात के बाद उन पर जरूरी और सख्त कार्यवाही की जायगी । अगर वह कोआपरेटिव का है तो आप जानें और आपकी कोआपरेटिव जाने ।

फार्म्स के लिए जो जमीन ली जा रही है इसकी बाबत काफी शिकायत की गयी कि छोटे किसानों की जमीन ली गयी और बड़े किसानों की नहीं ली गयी । अगर पहले कहीं ऐसा हो गया हो तो मैं नहीं जानता लेकिन गवर्नमेंट की कई साल से यह पालिसी है कि छोटों की न ली जाय और बड़ों की ली जाय । अगर कहीं ऐसा हो गया है तो वह गलत है । अगर जमीन अक्वायर हो चुकी है तो वह रिलीज नहीं की जा सकती । लेकिन अगर अभी एक्वीजीशन प्रोसीडिंग पेंडिंग हैं, कतई बात नहीं हुई, तो जहां छोटे किसानों की जमीन ली जा रही है हम उसको छोड़ देंगे बशर्ते कि बड़े किसानों की जमीन उस ब्लाक में मिल जाय। यह पालिसी सीधी सी है । मैं इसका एलान करता हूं । अब अगर कोई ऐसी बात है तो उसको मेरे नोटिस में लाने की कृपा करें उसको देख लिया जायगा ।

एक मित्र ने एक केस बतलाया कि ४ आदमियों की जमीन ले ली गई और अब वह मारे मारे फिरते हैं । अब उसमें कुछ नहीं हो सकता । जो जमीन ले ली गई वह ले ली गई । वह वापस नहीं हो सकती। अब रही मुआविजे की बात, तो उनको लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के मातहत मुआविजा मिलता है । वह उनको मिल गया होगा। उसमें अगर उनको कोई कमी मालूम होती है तो वह उसकी अपील कर सकते हैं ।

एक बात यह कही गई कि बड़े बड़े फार्म घाटे पर चल रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि कुछ हद तक यह बात सही है लेकिन साथ ही यह कथन बिलकुल अनक्वालिफाइड है । १६३ गवर्नमेंट के फार्म हैं । कुछ हमार सदस्य इसको जानते हैं कि गवर्नमेंट के फार्म घाटे पर क्यों चलते हैं । इसके लिये एक कमेटी बनी हुई है जिसके चेयरमन माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी हैं । इस हाउस के और उस हाउस के सदस्य इस कमेटी के सदस्य हैं । उसकी रिपोर्ट का हम इन्तजार कर रहे हैं । अब गवर्नमेंट के जो १६३ फार्म हैं उनमें ७५ में मुनाफा हो रहा है । बाकी ८८ में ७३ ऐसे हैं जो १, २ साल पहले ही कायम हुये हैं । और खराब जमीन पर कायम हुये हैं ।इस वजह से आज उन में घाटा है । जैसे जैसे वह जमीन डवलेप होती जायगी वैसे वैसे उन ७३ फार्म में भी घाटा नहीं रह जायगा जैसे कि ७५ फार्मों में घाटा नहीं हो रहा है । इसके अलावा ८८ में से ७३ तो ऐसे फार्म निकल गये और बाकी १० फार्म ऐसे हैं जो कि कैटिल मैकेनाइज्ड फार्म हैं जहां पर पशु रखे जाते हैं । ऐसे फार्मों में कभी भी मुनाफा नहीं हो सकता । कैटिल मेकेनाइज्ड फार्म हमेशा लास पर चलते रहेंगे ।

इसी तरह से डेरीज भी जहां पर प्रोडेक्शन सेन्टर होते हैं कामयाब नहीं होती हैं । वे प्रोसेसिंग सेन्टर होने से ही कामयाब हो सकती हैं । कितना ही वहां का इन्तजाम अच्छा कर दिया जाय, अच्छे मैनेजर को रख दिया जाय लेकिन वहां पर फायदा नहीं होगा । फायदा वहीं पर हो सकता है जैसे कि कोई किसान अपने यहां घर पर गाय रखे और प्रोसेसिंग तरीके पर उस काम को करे । उसके दूध, पनीर, क्रीम, मट्ठा और स्कीम्ड मिल्क को सेल करे । तभी वह मुनाफा उठा सकता है । उस दशा में ही वह कामयाब हो सकता है । यहां पर आप मुकाबला करते हैं कैटिल मैकेनाइज्ड फार्म का एक प्राइवेट फार्म से । यह तो एक प्रकार के प्रोडेक्शन सेन्टर हैं और हमेशा घाटे में ही रहेंगे । ये एग्रीकलचर फार्म नहीं हैं । उनमें अधिकतर जानवर रखे जाते हैं । किसानों के फार्म से किसी प्रकार से भी इन फार्मों का कम्पेरिजन नहीं किया जा सकता । किसान खुद अपना मैनेजर है, खुद ही प्रोपराइटर है और खुद ही उसकी सारी देखभाल करने वाला है । उसके पास ओवर हेड खर्चा कुछ भी नहीं है । उसको अपना इन्सेन्टिव भी है । किन्तु गवर्नमेंट के जो फार्म हैं उन सरकारी फार्मों पर गवर्नमेंट को सर्वेन्ट रखने

[श्री चरणसिंह]

पड़ते हैं और सर्वेन्ट का वह इन्सेन्टिव नहीं हो सकता है जो किसान का खुद का हो सकता है । इस वजह से गवर्नमेंट के फार्म पर खर्चा बढ़ जाता है । मैं अपने मित्र से इतना कहना चाहता हूं, जो कुछ कह रहे हैं कि मैं उनको गवर्नमेंट फार्म पर मैनेजर रखने के लिये तैयार हूं अगर वह इसको स्वीकार करने के लिये तैयार हों ।

श्री उग्रसेन—आप सारे अफसरों को निकाल दीजिये । हम सब इन्तजाम कर लेंगे । हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम सब ठीक कर लेंगे ।

श्री चरणसिंह—एक बात यह कही जाती है कि कोआपरेटिव, एग्रीकलचर और इरीगेशन डिपार्टमेंट्स में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है । यह बात पूर्णतः सही नहीं है । इस हद तक तो यह बात सही है कि सब डिपार्टमेंट अलग-अलग हैं लेकिन यह अच्छा हो कि वे एक के कन्ट्रोल में आ जांय क्योंकि एक दूसरे से उनका संबंध है और एग्रीकलचर प्रोडेक्शन पर उसका असर पड़ता है लेकिन इरीगेशन इतना बड़ा डिपार्टमेंट है और उसके साथ साथ कृषि मिनिस्टर के पास एनीमल हस्बेंड्री रहना चाहिये, और भी क्या क्या रहना चाहिये, उस तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसका काम और कृषि का काम अगर एक आदमी को दे दिया जाय तो वह कंट्रोल कर नहीं सकता । मुश्किल हो जायगा काम करना । वैसे कोआर्डिनेशन के लिये शायद जिले के लेविल पर भी कुछ है और स्टेट के लेविल पर तो है ही । जब कभी कोई सवाल ऐसा पैदा होता है तो प्लानिंग और डेवलपमेंट के जो कमिश्नर हैं उनकी देखरेख में मीटिंग्स होती हैं और उनमें एग्रीकल्चर, रेवेन्यू, फारेस्ट, कोआपरेटिव आदि विभाग के अफसरान शामिल होते हैं ।

मालूम नहीं किसने कहा कि आगरा में ऊसर बहुत बढ़ रहा है और यह बात सही मालूम होती है । अभी मैं पूरे यकीन के साथ यह नहीं कह सकता कि यह बात सही है । तीन साल हुए स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी ने एक सवाल उठाया था कि कुरावली तहसील में ऊसर बढ़ता जा रहा है । उस समय जो रिपोर्ट वहां से आयी वह डेफिनिट नहीं थी । वह डेफिनिटली नहीं कह सकते थे कि यह बात सही है । उन्नाव की बाबत भी यही बात है और सही है ऐसा मेरा खयाल है । लेकिन यह लांग टर्म बात है और उसको कैसे रोका जाय, यह सोचना है । अभी स्वायल कंजरवेशन बोर्ड की जो मीटिंग आगरा में हुई थी उसमें मैंने एक सुझाव रखा था और बोर्ड ने उसको मंजूर भी कर लिया । उसके अनुसार एक कमेटी मुकर्रर हुई है जिसमें फारेस्ट के एक्सपर्ट हैं, इरीगेशन के इंजीनियर हैं, स्वायल केमिस्ट हैं और एक नान-आफिशियल हैं । चार आदमियों की एक कमेटी बनायी गयी है और वह आगरा, मथुरा, और जो ट्रांस जमुना एरिया हैं, जहां ऊसर का फार्मेशन बढ़ रहा है, उसको स्टेडी करेगी कि क्या सबस्वायल वाटर में कोई फर्क है या उसका लेविल नीचा हो गया है या फारेस्टेशन से उसे रोका जा सकता है या वहां पर किसी खास किस्म की खाद देने से काम चल सकता है । तो यह विशेषज्ञों की कमेटी है और मैं उसके लिये निराशावादी नहीं हूं ।

माननीय महीलाल जी ने और तिरमलसिंह जी ने एक सुझाव दिया कि फसलों का बीमा किया जाना चाहिये । पंजाब में हो गया तो यहां क्यों नहीं हो सकता । मैं उनको और इस माननीय सदन को बतलाना चाहता हूं कि पंजाब में भी अभी नहीं हुआ । १९५५–५६ में जब फ्लड वगैरह बहुत आये थे तो उस समय इसको देखा गया था, लेकिन जो आदमी भी हमारे देश की हालत से वाकिफ हैं वह बिना किसी एक्सपर्ट से पूछे ही बिना किसी क्राप इंशोरेंस कंपनी से सलाह किये कह सकता है कि यह स्कीम हमारे यहां चल नहीं सकती । नामुमकिन है । अमरीका तक में यह कामयाब नहीं हुई है जहां इतने बड़े-बड़े फार्म हैं और जहां एजूकेटेड फार्मर्स हैं, ईमानदार हैं । यहां इस बीमे के सिलसिले में क्या होगा ? एक किसान ढाई एकड़ का है वह अपने ३/४ हिस्से में उर्द बो देगा । अगर नुकसान हो गया तो यह देखा जायगा कि कितने पर ओला पड़ गया, कितने में बाढ़ आ कर नुकसान हो गया, कितने पर टिड्डी पड़ गयी, और अगर बान आदि हुआ तो कितने में गंधी लग गयी, या और कीड़ों से कितना नुकसान हुआ ।

तो पढ़े लिखे लोग जब जान बीमा में रुपया लेने के लिये जबरदस्ती मार देते हैं, मर जाते हैं, तो भला वह अनपढ़ किसान कैसे अपना रेकार्ड रखेगा, कैसे उसकी तहकीकात होगी, फिर वह आदमी सही बात कहेगा या नहीं, इस सब का अंदाजा लगा कर आप देखें। यह नामुमकिन बात है। हो नहीं सकती। मैं नहीं समझता कि माननीय तिरमलसिंह जी ने कैसे इस बात को कह दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १० मिनट के लिये और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप ५ बज कर ५ मिनट पर खत्म कर दें। ५.१० तक सदन का समय रहेगा।

श्री चरणसिंह—अच्छी बात है। प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं छप रही है ऐसा कहा गया। ऐसा नहीं है। वह छप रही है।

एक बात यह कही गयी कि एग्रीकल्चर और नान-एग्रीकल्चर प्राइसेज में पैरिटी होना चाहिये। शायद रघुवीरसिंह जी ने कहा। राममनोहर लोहिया साहब का भी यही नारा है। वह भी उसमें विश्वास करते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह पैरिटी कभी हो नहीं सकती। दूसरी पार्टी के लोग भी यही चाहते हैं, मगर यह संभव नहीं है। डेमोक्रेसी में यह संभव नहीं है। एग्रीकलचरल कमोडिटीज में यह नहीं हो सकता—दैट इज नाट पासिबिल।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, अंग्रेजी शब्दों की जगह हिन्दी में कहें, वह हमारी समझ में नहीं आते हैं।

श्री चरणसिंह—मैं यह कह रहा था कि कृषि तथा दूसरे पदार्थों की न्यूनतम कीमत मुकर्रर कर दी जाय, यह सभी लोगों का मत है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। वे इस तरह की स्कीम बनाते हैं, लेकिन वे फेल हो जाती हैं, और आइन्दा होंगी भी। नान-एग्रीकलचरल चीजों की जो बाजार में कीमत होती है वह ऊंची होती है। और किसानों के पैदावारों की कीमत बाजारों में नीची होती है। वह क्यों है, इस समय उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब तक हम पूरे मार्केट पर अपना कंट्रोल न करें, प्रोडक्शन पर कंट्रोल न करें, अपने वेयरहाउसेज न बनायें, गांव की इकोनामिक लाइफ पर भी स्टेट कंट्रोल न हो, तब तक पैरिटी हो नहीं सकती।

अध्यक्ष महोदय, केवल एक ही देश है जहां ऐग्रीकलचरल और नान-एग्रीकलचरल वेजेज बराबर हैं। इंगलैंड में यह चीज है। वहां जो नान-एग्रीकलरिस्ट्स हैं उनकी पर कैपिटा इन्कम उतनी है जितनी कि एग्रीकलचरिस्ट्स की। वहां यह होता है कि अगर किसी की फैक्टरी में इन्कम कम होती है तो वह फैक्टरी छोड़ कर खेती में चला जाता है और अगर खेती में घाटा होता है तो वह खेती छोड़ कर फैक्टरी में चला जाता है। वहां मूवमेंट होता रहता है। हमारे यहां यह बात नहीं है। इसीलिये मैंने यह कहा था कि हमारे यहां मेन्टालिटी को चेन्ज करने की जरूरत है। हमारे यहां वह बातें नहीं हैं जो वहां पर हैं। हमारे यहां अगर किसान की पैदावार अच्छी हो जाती है, उसके खाने को मिल जाता है तो ठीक है। अगर उसकी पर कैपिटा इन्कम एक फैक्टरी के मुकाबले में, एक मोटर चलाने वाले के मुकाबले में, तथा अन्य किसी आदमी के मुकाबले में कम होती है, तो वह खेती छोड़ने के लिये तैयार नहीं होता। तरक्की कैसे हो। दूसरे देशों में यह है कि जिस चीज की प्राइस गिर गयी, खेती की गिर गयी तो लोग नान-ऐग्रिकल्चरल चीजों की तरफ चले जायेंगे (विघ्न) वह पंजाबी कैसे सीतापुर में फैक्टरी कायम करने में सफल हुए जब कि सीतापुर वाले देखते रह गये। क्योंकि उसमें इंटरप्राइज था, उन्होंने कोशिश की, खतरा उठाया।

[श्री चरणसिंह]

दूसरी चीज यह है कि यह कहा गया कि एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्राइसेज फिक्स कर दी जायं । वह उन देशों में होता है जहां किसान एक क्लास कांस्टीट्यूट करते हैं । यह नकल करना चाहते हैं यूनाइटेड किंगडम की जहां ५ परसेंट किसान हैं और अमेरिका में ८७ परसेंट नान-एग्रिकल्चरिस्ट लोग हैं और १३ परसेंट ही किसान हैं । तो ९५ प्रतिशत लोगों से या ८७ परसेंट लोगों से जो टैक्स वसूल होता है, उसमें ५ परसेंट या १३ परसेंट की मदद की जा सकती है । क्योंकि प्राइसेज फिक्स करने का मतलब यह है कि मार्केट प्राइज से ऊंची प्राइसेज । उसमें स्टेट को लास होता है । ५ परसेंट को हम ९५ फीसदी लोगों की जेबों से सबसिडाइज कर सकते हैं । यहां सारे के सारे किसान हैं, किसान मासेज हैं । यहां अगर तय करना चाहें कि जिस वकील की आमदनी ढाई सौ से कम होगी, मसलन २३५ रुपया होगी तो गवर्नमेंट १५ रुपया देगी और २५० होगी तो २५ रुपया देगी । हो सकता है और किसी छोटी क्लास को ले लें । तब तो सरकार उसे फाइनेंस कर सकती है । लेकिन ८० फी सदी टैक्सेज किसानों से डाइरैक्टली या इन्डाइरैक्टली आते हैं । स्टेट सबचैकर से उन्हें सबसीडाइज करना संभव है । अगर आप इसे डिक्टैटोरियल स्टेट बनाना चाहें, तो वह दूसरी बात है ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय श्रीपालसिंह जी ने कहा कि मालगुजारी बागात पर लग गई है और वह नहीं लगनी चाहिये । मैं समझता हूं कि इसमें कहीं गलतफहमी है । काश्तकारान के बागात पर तो मालगुजारी लगी नहीं थी । जमींदारों की सीर के अन्दर जो बागात थे उन पर महाल पर जो मालगुजारी थी उनके सारे असेट्स लगाकर जो एवरेज मालगुजारी उनके ग्रोव पर आती थी वह लगा दी गई । पहले भी मालगुजारी में वे बागात शामिल थे । मैं श्रीपालसिंह जी से किसी समय बात करना चाहूंगा आगे के बाबत के लिये, जमींदारी अबालीशन रूल्स में है कि टिम्बट्री की ग्रोव्ज पर मालगुजारी कभी नहीं लगेगी जो पहली जुलाई, सन् १९५२ के बाद में लगे हैं । रूट ट्री ग्रोव्ज पर लगेगी । तो कीमती दरख्तों के बागात पर जो सन् १९५२ के बाद लगे हैं लगेगी, वह भी बाग लगाने के ३ साल बाद । यह सूरत है ।

माननीय रघुवीरसिंह ने कहा कि खेतों की पैदावार बढ़ाने के लिये खाद चाहिये । यह सर्वमान्य बात है कि खाद हमारे यहां कम होती जा रही है । उसके लिये चाहिये गोबर । वह कहते हैं कि गोबर के अलावा ग्रीन मैन्योर बोने के लिये किसान को सिंचाई के रेट कम या माफ कर दिये जायं । यह बात ३, ४ दिन हुये हमारी पार्टी में भी कही गई थी । खैर, पार्टी की बात तो मैं यहां नहीं कहूंगा । लेकिन यह बात मुनासिब है और इस पर मैं इरीगेशन और फाइनेंस डिपार्टमेंटों से मिलकर गौर करूंगा और कोशिश यह करूंगा कि उसमें कुछ सहूलियत हो जाय ।

इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मित्रों को उनके सुझावों, तकरीरों के लिये और इंटरफियरेंस जिन्होंने की है उनको भी धन्यवाद देता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३—कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर समस्त अनुदान की मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री उग्रसेन ने विभाजन की मांग की ।)

श्री अध्यक्ष—इस बैठक का समय मैं तब तक के लिये बढ़ाता हूं कि जब तक कि तीनों अनुदानों पर राय न ली जाय ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—२४,

विपक्ष में—८१ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३--कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ४,७८,७७,१०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४--उपनिवेशन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४--उपनिवेशन के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ११,१९,९०० रुपय की मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७--कृषि योजनाओं पर पूंजी लागत के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७--कृषि योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ११,०९,५१,४०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१२ अप्रैल, १९६१।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०--४३ एल० ए०--१९६१--८४५।